

Fifteenth Lok Sabha

XIV Session (05/08/2013 to 06/09/2013)

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 5 अगस्त, 2013/14 श्रावण, 1935 (शक)

संख्या 315

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाहन 11.02 बजे

2. शपथ अथवा प्रतिज्ञान

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपने स्थान ग्रहण किए:—

क्रम सं	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1.	श्री प्रभुनाथ सिंह	महाराजगंज	बिहार	शपथ	हिन्दी
2.	श्री हरिभाई पार्थीभाई चौधरी	बनसकांठा	गुजरात	शपथ	गुजराती
3.	श्री विठ्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया	पोरबंदर	गुजरात	शपथ	हिन्दी
4.	श्रीमती प्रतिभा सिंह	मंडी	हिमाचल प्रदेश	शपथ	अंग्रेजी
5.	श्री प्रसुन बनर्जी	हावड़ा	पश्चिम बंगाल	शपथ	बंगाली

पूर्वाहन 11.11 बजे

3. मंत्रियों का परिचय

प्रधानमंत्री ने श्री शीश राम ओला, श्रम और रोजगार मंत्री; श्री ऑस्कर फर्नार्डिस, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री; डॉ. गिरिजा व्यास, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री; डॉ. कवुरु सांबासिवा राव, वस्त्र मंत्री; श्री मणिकराव होडलन्या गावीत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; श्रीमती संतोष चौधरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री; डॉ. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; और श्री जेसुदासु सीलम, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का परिचय कराया।

पूर्वाहन 11.13 बजे

4. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने छठी लोक सभा के सदस्य श्री बिरेन्द्र प्रसाद; ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री महेन्द्र कर्मा, चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री लोनप्पन नंबाडन; दूसरी से पांचवीं तथा सातवीं से दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री विद्याचरण शुक्ल; सातवीं से बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री एन.डे.डेनिस; छठी और आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री दिनकर बालू पाटील; आठवीं लोक सभा के सदस्य डॉ. चन्द्र शेखर वर्मा; सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री सुभाष यादव; दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा की सदस्य श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया; दसवीं और चौदहवीं लोक सभा के सदस्य श्री बरीसिन्ह चावड़ा; पांचवीं, छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य श्री समर मुखर्जी; आठवीं लोक सभा के सदस्य श्री खुर्शीद आलम खान; और सातवीं, आठवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री अरूण कुमार नेहरू के निधन के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने निम्नलिखित के बारे में भी उल्लेख किया:—

(एक) माह जून, 2013 के दैरान भूस्खलन और आकस्मिक बाढ़ की घटनाओं के साथ-साथ हुई भारी वर्षा से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के प्रमुख तीर्थ स्थलों तथा उत्तराखण्ड के अनेक जिलों में कथित रूप से 500 से अधिक व्यक्तियों के मारे जाने, हजारों के घायल होने तथा 5 हजार से अधिक लोगों के लापता होने के बारे में।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के नौ कार्मिक तथा राष्ट्रीय आपदा मोर्चन दल के छह कार्मिक सहित बचाव कार्यों में लगे भारतीय वायुसेना के एक हैलीकॉप्टर के पांच कर्मीदल की मृत्यु के बारे में।

—जारी

- (तीन) 25 मई, 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में हुए नक्सली हमले में वरिष्ठ राजनेताओं सहित अट्टाइस लोग मारे गए और छत्तीस अन्य लोगों के घायल हो जाने के बारे में।
- (चार) 2 जुलाई, 2013 को झारखण्ड स्थित दुमका में हुए नक्सलवादी हमले में एक पुलिस अधीक्षक सहित छह पुलिसकर्मियों के मारे जाने के बारे में।
- (पांच) 24 जून, 2013 को श्रीनगर में हुए एक आतंकवादी हमले में सेना के कॉन्वोय तथा आठ जवान शहीद हो गए और उन्नीस अन्य के घायल हो जाने के बारे में।
- (छह) बिहार के सारण जिले में 16 जुलाई, 2013 को एक प्राथमिक विद्यालय में मिड-डे मील खाने के बाद भोजन-विधाकता के कारण तेईस बच्चों और एक रसोइए की मृत्यु हो जाने के बारे में।
- (सात) 30 जुलाई, 2013 को राजस्थान के हुमुमानगढ़ जिले में एक स्कूल बस की ट्रक से भिड़त होने पर ग्यारह स्कूली बच्चों के मारे जाने और तेईस अन्य के घायल हो जाने के बारे में।
- (आठ) 1 अगस्त, 2013 को पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले में सरहिन्द के पास पंजाब रोडवेज की एक बस के बड़े सवरे भाखड़ा नहर में गिर जाने के कारण चालीस व्यक्तियों के मारे जाने के बारे में।
- (नौ) स्पेन में सैन्टिएगो डी कम्पोस्टेला के पास 24 जुलाई, 2013 को हुई दुःखद रेल दुर्घटना जिसमें कई लोगों की जानें चलीं गईं, के बारे में।
- तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत व्यक्तियों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाहन 11.30 बजे

5. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं^० 1 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाहन 11.49 बजे स्थगित हुई और
मध्याहन 12.00 पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 2—20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

6. अतारांकित प्रश्न संख्या

अतारांकित प्रश्न संख्या 1—230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

7. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से निम्नलिखित को बधाई दी—

- (एक) भारतीय क्रिकेट टीम को 23 जून, 2013 को बर्मिंघम में इंग्लैंड को हराकर चैम्पियंस ट्रॉफी जीतने के लिए तथा 3 अगस्त, 2013 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में जिम्बाब्वे पर 5-0 की शानदार जीत दर्ज करने पर।
- (दो) भारत की तीरंदाजी टीम को 23 जुलाई, 2013 को मेडेलिन, कोलम्बिया में तीसरी तीरंदाजी विश्व कप चैम्पियनशिप की विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में एक स्वर्ण तथा दो कांस्य पदक जीतने पर।
- (तीन) सुश्री के॰ जेनिथा एंटो को 24 जुलाई, 2013 को बेल्के लोजिनी, चेक गणराज्य में आयोजित 13वीं विश्व महिला व्यक्तिगत शतरंज चैम्पियनशिप जीतकर निःशक्त व्यक्तियों की श्रेणी में विश्व शतरंज चैम्पियन बनने पर।
- (चार) भारतीय कुश्ती टीम को जिसने 28 जुलाई, 2013 को उलानबातर, मंगोलिया में एशियाई कैंडेट चैम्पियनशिप में प्रीस्टाइल श्रेणी में चैम्पियन ट्रॉफी जीतने के साथ-साथ तीन स्वर्ण, नौ रजत और तीन कांस्य पदक सहित पन्द्रह पदक जीते।
- (पांच) 30 जुलाई 2013 को कैलि, कोलम्बिया में आयोजित विश्व खेलों में पुरुषों की स्नूकर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय श्री अदित्य मेहता को।
- (छह) भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम को 4 अगस्त, 2013 को जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में देश के लिए पहली बार कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने के लिए।

अपराह्न 12.05 बजे

8. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 4) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- *(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

*अपराह्न 3.01 बजे

- (एक) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- *(3)** वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या कांगा 449(अ) जो 2 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय मातिस्यकी नौका रजिस्ट्री पत्तों या स्थलों और भारतीय मातिस्यकी नौकाओं के रजिस्ट्रीकरण हेतु रजिस्ट्रार बनाने वाले अधिकारियों की घोषणा की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 7) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) एनीमल वेल्फेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एनीमल वेल्फेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन तथा सेवा की अन्य निबंधन व शर्तें) (संशोधन) नियम, 2013 जो 22 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 260(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा जिसका एक शुद्धिपत्र 12 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या 482(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) धातु निगम लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 34 के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2013 जो 11 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं° 1/3/2009–ईपी (एग्री–चार) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 5) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 (3) के अधीन झारखण्ड राज्य में राष्ट्रपति शासन के प्रतिसंहरण, जो 13 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं° सा० का० नि० 486(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (16) संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 4)
 - (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 5)
 - (तीन) संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन (दूसरा) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 6)
 - (चार) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 7)
 - (पांच) प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 8)
- (17) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अधीन पेटेंट (बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड में आवेदन और अपील) संशोधन नियम, 2013 जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० नि० 312 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 157 की उपधारा (4) के अधीन व्यापार चिह्न (बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड में आवेदन और अपील) संशोधन नियम, 2013 जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० नि० 313 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) वस्तुओं का भौगोलिक निरूपण (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 की धारा 87 की उपधारा (3) के अधीन वस्तुओं का भौगोलिक निरूपण (प्रपत्र और अपील करना तथा उसके लिए फीस) नियम, 2013 जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांका० नि० 314 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

9. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

- (एक) अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उन्हें कर्नाटक के बंगलौर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री एच० डी० कुमारस्वामी का दिनांक 21 मई, 2013 का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से

अपना त्यागपत्र दे दिया है तथा उन्होंने उनका त्यागपत्र 21 मई, 2013 से स्वीकार कर लिया है।

(दो) अध्यक्ष ने सभा को यह भी सूचित किया कि उन्हें कर्नाटक के मांड्या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री एन० चेलुवरया स्वामी का दिनांक 21 मई, 2013 का एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसके द्वारा उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से अपना त्यागपत्र दे दिया है तथा उन्होंने उनका त्यागपत्र 21 मई, 2013 से स्वीकार कर लिया है।

10. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि केन्द्रीय मंत्री के रूप में डॉ० (कु०) गिरिजा व्यास की नियुक्ति के परिणामस्वरूप, वे सभापति तालिका की सदस्य नहीं रह गई हैं।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 9(1) के अन्तर्गत मैंने इस रिक्ति को भरने के लिए श्री जगदम्बिका पाल को मनोनीत किया है।”

11. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री नवीन जिंदल ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) *पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013 संबंधी 171वां प्रतिवेदन।

(2) सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैंदराबाद के कार्यकरण के बारे में 163वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 172वां प्रतिवेदन।

12. दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री पी० सी० चाको ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त संसदीय समिति में श्री तिरुची शिवा के राज्य सभा से सेवानिवृत्ति और डॉ० ई० एम० सुदर्शन नाच्चीयप्पन,

*171वां प्रतिवेदन 30 मई, 2013 को राज्य सभा के सभापति को प्रस्तुत किया गया और उसी दिन अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित किया गया।

संसद सदस्य के संयुक्त संसदीय समिति से त्यागपत्र के कारण उत्पन्न रिक्तियों पर राज्य सभा से दो सदस्यों को नियुक्त करे और राज्य सभा संयुक्त संसदीय समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. प्रस्ताव

श्री कमल नाथ ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

“कि यह सभा 8 मई, 2013 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के 48वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

#(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.35 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.01 बजे युनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.01 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री भरत राम मेघवाल द्वारा पंजाब से राजस्थान के लिए शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री पी० विश्वनाथन द्वारा तमिलनाडु के कांचीपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेशम सहकारी समितियों को हथकरघा बुनकर ऋण माफी योजना का लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री नारायण सिंह अमलाबे द्वारा बागवानी क्षेत्र और दुधारू पशुओं की खरीद हेतु रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 और 66 के समुचित रख-रखाव तथा केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.17 बजे।

#अपराह्न 12.10 बजे से अपराह्न 12.35 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (5) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा ऐसे भाषणों, जिनमें आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया हो और जो राष्ट्र हित के विरुद्ध हों, पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री हर्ष वर्धन द्वारा संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के पत्रों पर सरकारी अधिकारियों द्वारा समुचित जवाब दिए जाने और उस पर कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री केंपी० धनपालन द्वारा एक ईपीएफ पेंशनधारियों की पेंशन बढ़ाए जाने और उनकी ईएसआई चिकित्सा सुविधा बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के कारण विस्थापित लोगों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु भाखड़ा-व्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री निखिल कुमार चौधरी द्वारा रेलवे में अर्द्धप्रशासनिक कार्यालयों में अस्थायी तौर पर कार्यरत समूह ‘घ’ के कर्मचारियों की सेवाएं स्थायी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखण्ड के संथाल परगना क्षेत्र के छह जिलों को एकीकृत कार्ययोजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री धनंजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री मंगनी लाल मंडल द्वारा बिहार के मधुबनी जिले में पूर्व-पश्चिम गलियरे के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 को चार लेन वाला बनाए जाने हेतु जिन विस्थापितों की भूमि अधिगृहीत की गई है, उन्हें तत्काल मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री पी०के० बिजू द्वारा केरल के पालककड़ जिले के अटापडी क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने तथा आदिवासियों की समस्या का समाधान करने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री चन्द्रकांत बी० खैरे द्वारा महाराष्ट्र में औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गारखेड़ में मिनी पासपोर्ट कार्यालय शीघ्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (15) श्री नामा नागेश्वर राव द्वारा विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश के मुद्दे हल करने हेतु पात्रता मानदंडों की कठिनाइयों को देखते हुए एक उपयुक्त फार्मूला निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री जगदानन्द सिंह द्वारा देश में चिट-फंड कंपनियों के अनैतिक कार्यकलापों को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा स्कूलों में मध्याहन भोजन योजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.01 बजे युनःसमवेत हुई।)

अपराह्न 3.01 बजे

15. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012

आर्बटित समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 4 मिनट
शेष : 1 घण्टा, 56 मिनट

कुमारी सैलजा ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.05 बजे

(लोक सभा मंगलवार 6 अगस्त, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

ट्रै. के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 6 अगस्त, 2013/15 श्रावण, 1935 (शक)

संख्या 316

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं^० 21 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 22—40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231—460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर परमाणु बम गिराए जाने की 68वीं वर्षगांठ के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने 4 अगस्त, 2013 के बाद से केरल के विभिन्न भागों में भारी वर्षा, बाढ़ और भू-स्खलन के कारण लगभग 16 व्यक्तियों के मरे जाने तथा कई अन्य के घायल हो जाने के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण परमाणु बम तथा केरल में प्राकृतिक आपदा के शिकार बने व्यक्तियों की स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
 - (क) (एक) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2009-2010 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
 - (एक) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (दो) राजस्थान ड्रास एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

- (तीन) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (चार) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (पांच) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (छह) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (सात) राष्ट्रीय कोमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (आठ) एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (नौ) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दस) फर्टिलाइजर्स एंड कोमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (ग्यारह) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (बारह) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक कोमिकल्स लिमिटेड और रसायन एवं पेट्रोकोमिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (4) बंगाल कोमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स के वर्ष 2010-2011 और 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 जो 15 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1221(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, महानिदेशक के वरिष्ठ निजी सचिव, भर्ती नियम, 2013 जो 26 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 274(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (संशोधन) नियम, 2012 जो 30 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 857(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) वेट्रीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वेट्रीनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

- (एक) लक्ष्मीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कवरती के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) लक्ष्मीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कवरती का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (14) (एक) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।
- (तीन) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (16) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, 2013, जो 28 मई, 2013 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का०आ० 1378(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2013, जो 14 जून, 2013 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या का०आ० 1531(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (17) (एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के छठे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 और 2003-2004 के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शनी वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शनी वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. विधेयकों पर अनुमति

- (एक) महासचिव ने 26 अप्रैल, 2013 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 15वीं लोक सभा के 13वें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित 3 विधेयक सभा पटल पर रखे:—
- (1) विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 2013;
 - (2) विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2013; और
 - (3) वित्त विधेयक, 2013.
- (दो) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति से अनुमति-प्राप्त दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रति भी सभा पटल पर रखी।

6. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मुलायम सिंह यादव ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित “नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग” के बारे में 36वां प्रतिवेदन।
- (2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित “नेशनल ग्रिड का विकास” के बारे में 37वां प्रतिवेदन।

*प्रतिवेदन, अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 25 मई, 2013 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

7. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोपीनाथ मुंडे ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के 'नाशक जीवमार का उत्पादन और उसकी उपलब्धता' विषय पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का 36वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. रतन सिंह अजनाला ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन^१ (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की समीक्षा के बारे में 245वां प्रतिवेदन।
- (2) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड के पुनरुज्जीवन के बारे में 246वां प्रतिवेदन।
- (3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित व्याज सब्सिडी अर्हता प्रमाणन (आईएसईसी) स्कीम के कार्यान्वयन के बारे में 247वां प्रतिवेदन।
- (4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का क्षमतावर्द्धन और विनिर्माण सुविधाओं का विस्तार के बारे में 248वां प्रतिवेदन।
- (5) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के पुनरुज्जीवन और उसकी पुनर्संरचना के बारे में 249वां प्रतिवेदन।
- (6) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पर मल्टी ब्रांड रिटेल में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रभाव के बारे में 250वां प्रतिवेदन।
- (7) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित प्रधानमंत्री-रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के कार्यान्वयन के बारे में 251वां प्रतिवेदन।

9. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री कीर्ति आजाद ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के कार्यकरण के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 71वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

^१प्रतिवेदन 23 जुलाई, 2013 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किए गए और उसी दिन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को अंग्रेजित किए गए।

*अपराह्न 12.08 बजे

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिया:—

- (1) उत्तराखण्ड में आई प्राकृतिक आपदा के पश्चात् भारत सरकार के प्रत्युत्तर तथा राहत और पुनर्निर्माण हेतु किए गए उपाए।
- (2)[#] जम्मू और कश्मीर के पुण्ड्र क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के निकट पाकिस्तानी सेना द्वारा घात लगाकर किया गया हमला।
(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.44 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा एक अलग विदर्भ राज्य बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री सतपाल महाराज द्वारा उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क बहाल करने तथा ट्रॉली रोपवे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा निजी एयरलाइनों को हवाई मार्गों के आवंटन के संबंध में नागर विमानन नीति की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री दत्ता मेघे द्वारा महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के किसानों, जिनकी फसलों को भारी वर्षा के कारण हानि हुई है, को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री एंटो एंटोनी द्वारा रियायती व्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.20 बजे से अपराह्न 12.44 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

[#]अपराह्न 3.01 बजे।

- (6) श्री एस०एस० रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा देश में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा ग्वालियर और झांसी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 की मरम्मत किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखण्ड में हाल में आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण प्रभावित लोगों का पुनर्वास करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा राहत कार्य किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री अशोक अर्गल द्वारा ग्वालियर-भिंड-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 को चार लेन मार्ग में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा केन्द्रीय पूल से उत्तर प्रदेश को प्रदत्त बिजली के आबंटन में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री राकेश सचान द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों के भत्तों में वृद्धि किए जाने तथा उन्हें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश में कानपुर और बिलहौर के बीच जी०टी० रोड की मरम्मत किए जाने तथा बिलहौर के पास एक ट्रैमा सेंटर की स्थापना सहित कानपुर-दिल्ली मार्ग पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो द्वारा बिहार के बाल्मीकिनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नरकटियांगंज रेलवे जंक्शन के पास समपार संख्या 22 पर सड़क उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री डॉ वेणुगोपाल द्वारा राज्यों में सार्वजनिक-वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान लाभार्थियों को प्रभावित किए बिना खाद्य सुरक्षा विधेयक को अधिनियमित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री ए० सम्पत द्वारा राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (17) श्री ओ०एस० मणियन द्वारा कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतिम आदेश का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किए जाने हेतु कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री बलीराम जाधव द्वारा महानगरों में अनिवार्य किए गए सेट-टॉप बॉक्स के माध्यम से बहतर श्रव्य-दृश्य टीवी सिग्नल सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.02 बजे

12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री गोपीनाथ मुंडे ने कार्य मंत्रणा समिति का 49वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 3.04 बजे

13. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012

आबंटित समय :	2 घण्टे
लिया गया समय :	5 मिनट
शेष :	1 घण्टा 55 मिनट

कुमारी सैलजा द्वारा विधेयक पर विचार के लिए 5.08.2013 को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री वीरेन्द्र कश्यप ने बाद-विवाद में भाग लिया और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.05 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा बुधवार 7 अगस्त, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

ट्री० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 7 अगस्त, 2013/16 श्रावण, 1935 (शक)

संख्या 317

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री पी० सुब्रैया अम्बलम, दूसरी लोक सभा के सदस्य; और श्री अमर राय प्रधान, छठी लोक सभा से तेरहवीं लोक सभा तक के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने 6.8.2013 को हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास नागोरी में एक गहरे दर्दे में बस गिरने के कारण कथित तौर पर दस व्यक्तियों की मृत्यु होने और अनेक अन्य व्यक्तियों के घायल होने का भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण इस अवसर की महत्ता को उजागर करने के लिए थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाहन 11.06 बजे

2. सदस्य द्वारा निवेदन

*श्रीमती सुषमा स्वराज ने जम्मू कश्मीर के पूँछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के समीप पाकिस्तानी सेना द्वारा घात लगाकर हमला किए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री कमल नाथ ने उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.11 बजे स्थगित हुई और
मध्याहन 12.00 बजे युन: समवेत हुई।)

*यह मामला अपराह्न 3.10 बजे भी उठाया गया।

3. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 41—60 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 461—690 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आदर्श विद्यालय), बंगलुरू के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आदर्श विद्यालय), बंगलुरू के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, भोपाल के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, भोपाल के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पश्चिम बंग सर्व शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अर्थारिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अर्थारिटी, भुवनेश्वर के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूड़की, रूड़की के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) नेशनल कमीशन फॉर माइनरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) नेशनल कमीशन फॉर माइनरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) नेशनल कमीशन फॉर माइनरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) डॉ बी०आर० अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) डॉ बी०आर० अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जालंधर के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (34) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पुडुचेरी के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पुडुचेरी के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) योजना आयोग के वर्ष 2013-2014 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. संसदीय समितियां (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)—कार्य का सारांश

महासचिव ने 'संसदीय समितियां (वित्तीय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों से भिन्न)—कार्य का सारांश (1 जून, 2011 से 31 मई, 2012 तक)' के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

6. विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां—कार्य का सारांश

महासचिव ने 'विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां—कार्य का सारांश (31 अगस्त, 2011 से 30 अगस्त, 2012 तक)' के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

7. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पैंतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उल्लंघन के बारे में और असम, दार्जिलिंग तथा जलपाइगुड़ी जिले में डुअर्स के चाच्य बागान कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने के बारे में श्री एच० महादेवन, उप महासचिव, अखिल भारतीय

ट्रेड यूनियन कांग्रेस से प्राप्त अभ्यावेदन संबंधी 18वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

- (2) अपने पुत्र श्री सदन कुमार सिंह यादव को सीसीएसओ/सेल, धनबाद द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियोजन दिए जाने के संबंध में श्रीमती लक्ष्मी देवी, पल्ली स्वर्गीय एस-के-एस-यादव, पूर्व-प्रभारी (संचार), सीसीएसओ/सेल से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 26वां प्रतिवेदन।
- (3) आईडीबीआई बैंक में कार्यरत स्टाफ को वेतन पुनरीक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के बारे में श्रीमती विजया ढावले, महासचिव, एआईआईडीबीईए, मुम्बई से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में 27वां प्रतिवेदन।

9. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जांच” के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने “प्रवासी भारतीय विवाहः अपने प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को विधिक/वित्तीय सहायता/पुनर्वास दिए जाने संबंधी योजना से संबंधित समस्याएं” विषय पर 15वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का 21वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री यशवंत सिन्हा ने वित्त संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) “बीपीएल मानदंड का मूल्यांकन” विषय पर समिति के 32वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 72वां प्रतिवेदन।

*21वां प्रतिवेदन, लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अधीन 25.5.2013 को जब सभा सत्र में नहीं थी, माननीय लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया।

(2) संविधान (115वां संशोधन) विधेयक, 2011 के संबंध में 73वां प्रतिवेदन।

(3) 'प्राकृतिक गैस की कीमत के पुनरीक्षण का आर्थिक प्रभाव' विषय पर 74वां प्रतिवेदन।

12. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री दीप गोगोई ने जल संसाधन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 14वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ महेश जोशी ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन \$ (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

(1) “राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर—भंगा खंड) विधेयक, 2013” के बारे में 196वां प्रतिवेदन।

(2) “वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2013” के बारे में 197वां प्रतिवेदन।

14. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) जनजातीय कार्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री ने “न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एमएफपी के लिए वैल्यूचेन के विकास के माध्यम से लघु वन उत्पाद के विपणन हेतु तत्र शुरू किया जाना” स्कीम के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (एक) प्रो॰ (डा॰) रंजन प्रसाद यादव और अन्य सदस्यों द्वारा 13.3.2013 को एनआईटी और आईआईटी में शिक्षकों की कमी के बारे में पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं 2699 के उत्तर में शुद्धि किए जाने; और (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने के बारे में एक वक्तव्य दिया।

15. समितियों के लिए निर्वाचनों हेतु प्रस्ताव

(एक) भर्तृहरि महताब ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा

\$प्रतिवेदन 26 जून, 2013 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किए गए और उसी दिन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित किए गए।

अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए डॉ गिरिजा व्यास जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, के स्थान पर लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) भर्तृहरि महताब ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा समिति की शेष अवधि के लिए श्री ईंएम् सुदर्शन नाच्चीयपन, जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और डॉ वी॰ मैत्रेयन जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हुए हैं, के स्थान पर इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) बंस गोपाल चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 312ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए श्री अम्बिका बनर्जी जिनका निधन हो गया, के स्थान पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331ख के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए श्री माणिकराव होडलन्या गावित जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, के स्थान पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा समिति की शेष अवधि के लिए श्री डी० राजा, जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हुए हैं, के स्थान पर इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोगित करने हेतु राज्य सभा के एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16. राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री के० एच० मुनियप्पा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड नियम, 2006 के नियम (6) के उप-नियम (दो) के साथ पठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन श्री लालचंद कटारिया, जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, के स्थान पर राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

17. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान (निमहांस), बंगलौर के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से श्रीमती संतोष चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर अधिनियम, 2012 की धारा 5(1) (i) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका-विज्ञान संस्थान, बंगलौर के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

18. भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से श्रीमती संतोष चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 4 (छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश स्थिति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), में प्रत्येक के लिए सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

19. प्रस्ताव

श्री कमलनाथ ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 6 अगस्त, 2013 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 49वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.17 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.00 बजे

*20. सरकारी विधेयक—वापस लिया गया

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011

*21. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013

*22. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 7) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान किए जाने के कारणों को दर्शाने वाला स्पष्टीकारक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

*अपराह्न 3.01 बजे से अपराह्न 3.09 बजे तक

23. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री जयवंत गंगाराम आवले द्वारा लोक सभा सदस्यों द्वारा सांसद कोटे के अंतर्गत उनके निर्वाचन क्षेत्रों से बाहर रहने वाले बच्चों को वहां स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री एन॰ पिताम्बर कुरुप द्वारा मधुमेह रोधी औषधि “पायोग्लिटाजोन” पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री चाल्स डिएस द्वारा केरल के कोचीन पोर्ट में राजीव गांधी केंटर टर्मिनल की कार्राई-डलिंग क्षमता की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा आन्ध्र प्रदेश के करीम नगर संसदीय क्षेत्र के श्रीसिला शहर में विद्युत करधों के उन्नयन के लिए निधि मंजूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री राज्या सिरिसिल्ला द्वारा आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों का श्रेणीकरण किए जाने हेतु कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री एम॰ कृष्णास्वामी द्वारा तमिलनाडु के आरानी में एक सिल्क पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री आर॰ धूबनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराज नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जंगली जानवरों के हमलों के कारण हुई मौत/घायल होने से हुए नुकसान के लिए पर मुआवजा दर में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री राम सिंह कास्वां द्वारा राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अदा किए गए प्रीमियम के अनुरूप किसानों के फसल बीमा दावों का निपटान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री रमेन डेका द्वारा असम के मंगलदोई निर्वाचन क्षेत्र में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्रीमती सुमित्रा महाजन द्वारा प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रन्थ वेदों को राष्ट्रीय ग्रन्थ घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री महेन्द्रसिंह पी० चौहाण द्वारा गुजरात के साबरकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को मामूली शुल्क पर रेलवे लाइन के नीचे पानी के पाइप बिछाने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राज्यों द्वारा भर्ती किए जाने वाले अध्यापकों के संबंध में अध्यापक पात्रता परीक्षा संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री कपिल मुनि करवारिया द्वारा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में सुचारू यातायात प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए गंगा और यमुना नदियों के साथ-साथ एक रिंग रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री आर० थामराईसेलवन द्वारा तमिलनाडु के मोरापुर और बोमिडी स्टेशनों पर चेन्नई-पलानी एक्सप्रेस का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री ए०के०ए० विजयन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा कटक में मधुपटना पुलिस स्टेशन के नजदीक फ्लाईओवर के निर्माण पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री बिभू प्रसाद तराई द्वारा ओडिशा के कटक सर्किल में बीएसएनएल द्वारा काम पर लगाए गए ठेका मजदूरों को एक महीने में उन्हें काम पर लगाए गए दिनों की संख्या के अनुपालन में दिहाड़ी दिए जाने और उनके कार्य अनुभव तथा निष्पादन के अनुसार उनका वर्गीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री राजू शेट्टी द्वारा पश्चिमी घाट क्षेत्र की जैवविविधता को प्रदूषित करने वाले बाक्साइट उत्खनन और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं को रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 3.13 बजे

24. सरकारी विधेयक-विचाराधीन

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012

आवंटित समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 8 मिनट

शेष : 1 घंटा 52 मिनट

कुमारी सैलजा द्वारा 5.8.2013 को विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

व्यवधान के कारण श्री वीरेन्द्र कश्यप अपना भाषण पुनः आरंभ नहीं कर सके।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.16 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा गुरुवार, 8 अगस्त, 2013 के
पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

ट्रॉ के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 8 अगस्त, 2013/17 श्रावण, 1935 (शक)

संख्या 318

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं^० 61 और 62 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.24 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 63—80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691—920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (१) (एक) सेंटर फॉर सॉफ्ट मैटर रिसर्च, बैंगलुरु के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर सॉफ्ट मैटर रिसर्च, बैंगलुरु के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2013 का संख्यांक 13)—अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) एचएमटी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
 - (दो) एंड्रू यू गूल ग्रुप और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
 - (तीन) स्कूर्ट्स इंडिया लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
 - (चार) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
 - (पांच) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
 - (छह) नेपा लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
 - (सात) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
 - (आठ) भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के नियंत्रणाधीन हिन्दुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड (अनुषंगी) और हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड (नियंत्री कंपनी) के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
 - (नौ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।

- (दस) भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
- (ग्यारह) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
- (बारह) रिचर्ड्सन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
- (तेरह) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (I) लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
- (चौदह) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
- (पंद्रह) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
- (सोलह) राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन।
- (सत्रह) इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (5) (एक) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड आर एण्ड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड आर एण्ड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

- (दो) एसजेवीएन लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) एनएचपीसी लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (चार) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (7) (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या बीवाई-ईएल-2013/1 से 8, जो 4 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय लागत लेखा संस्थान के दक्षिण भारत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से परिषद् के लिए नए चुनाव (उप-चुनाव), 2013 के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. कृषि संबंधी स्थायी समिति का विवरण

श्री बसुदेव आचार्य ने कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों 2012-13' के बारे में 35वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तैतालीसवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.03 बजे

5. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री पबन सिंह घाटेवार ने 12 अगस्त, 2013 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.09 बजे

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्री ने भारतीय नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिकों पर अकारण हमले के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.11 बजे

7. सरकारी विधेयक—विधेयक वापिस लिए जाने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत

श्री पी० चिदम्बरम ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

“कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 का और संशोधन करने वाले विधेयक, जिसे 11 मार्च, 2013 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था और 12 मार्च, 2013 को इस सभा के पटल पर रखा गया था, को वापस लिए जाने के लिए इस सभा द्वारा दी गई अनुमति से सहमत हो।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.21 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे युनः समवेत हुई।)

*अपराह्न 12.12 बजे से अपराह्न 12.21 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 2.00 बजे

8. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012

आवंटित समय	:	2 घंटे
लिया गया समय	:	12 मिनट
शेष	:	1 घंटा 48 मिनट

कुमारी सैलजा द्वारा 5.8.2013 को विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

व्यवधान के कारण श्री वीरेन्द्र कश्यप अपना भाषण पुनः आरंभ नहीं कर सके।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 2.04 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा सोमवार, 12 अगस्त, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक को लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 12 अगस्त, 2013/21 श्रावण, 1935 (शक)

संख्या 319

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री राम नरेश त्रिपाठी, तेरहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण इस अवसर पर दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.03 बजे स्थगित हुई और

मध्याहन 12.00 बजे युन: समवेत हुई।)

2. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 81—100 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 921—1150 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याहन 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने 10 अगस्त, 2013 को चीन के ग्वांगझोउ में आयोजित विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर सभा की ओर से सुश्री पींवीं सिन्धू को बधाई दी।

उन्होंने 11 अगस्त, 2013 को ब्राजील के सांतोस शहर में वर्ल्ड टूर ब्राजील ओपन में 21 वर्ष से कम आयु वर्ग में क्रमशः महिला एवं पुरुष टेबल टेनिस का एकल खिताब जीतने पर सुश्री मनिका बत्रा और श्री सोम्यजीत घोष को भी बधाई दी।

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन, नागपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सलीम अली सेंटर फॉर ऑरनिथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सलीम अली सेंटर फॉर ऑरनिथोलॉजी एण्ड नेचुरल हिस्ट्री, कोयम्बटूर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुमबदुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरुमबदुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 1788(अ) जो 21 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा जूट पैकेज सामग्री में खाद्यान्न और चीनी की पैकेजिंग उक्त आदेश के समाप्त होने की तारीख से तीन माह की आगामी अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो पहले हो किए जाने का अधिदेश दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा 4(ख) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 1485(अ) जो 7 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय जूट बोर्ड में दो वर्ष की अवधि के लिए लोक सभा के दो सदस्य और राज्य सभा के एक सदस्य के नामनिर्देशन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर वाहन (पहला संशोधन) नियम, 2013 जो 8 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकानि० 207(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

- (एक) का०आ० 842(अ) जो 28 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो) का०आ० 1713(अ) जो 26 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर अमरावती बाईपास के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 839(अ) जो 26 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर पुणे-शोलापुर खण्ड के फोर लेन डिवाइडेड कैरिजवे से संबंधित प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण और उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण के बारे में है।
- (चार) का०आ० 837(अ) जो 26 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 पर अहमदाबाद-गोधरा खण्ड के फोर लेन डिवाइडेड कैरिजवे से संबंधित प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण और उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 835(अ) जो 26 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 पर रोहतक-बावल खण्ड के फोर लेनिंग से संबंधित प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण और उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण के बारे में है।
- (छह) का०आ० 624(अ) जो 12 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क पर बामनबोर-गारामोड़ खण्ड के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (सात) का०आ० 485(अ) जो 27 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर वर्ष 1997 और 2000 में जादेश्वर में नरमदा नदी पर निर्मित पुल के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (आठ) का०आ० 315(अ) जो 1 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8क पर अमृतसर-वाघा सीमा खण्ड के संबंध में प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

- (नौ) का०आ० 581(अ) जो 8 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1088(अ) को निरस्त किया गया है।
- (दस) का०आ० 70(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (ग्यारह) का०आ० 105(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 13 (शोलापुर-बीजापुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे है।
- (14) उपर्युक्त (13) की मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 8 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर, 2012 को संशोधनों सहित पारित कंपनी विधेयक, 2012 को पारित कर दिया और इस अनुरोध के साथ विधेयक को वापस किया कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति की सूचना राज्य सभा को दी जाए।

6. विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित—सभा पटल पर रखा गया

कंपनी विधेयक, 2012

7. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री जगदीश शर्मा ने बागान क्षेत्र चाय और कॉफी उद्योग का निष्पादन के बारे में समिति के 102वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का 109वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्री की ओर से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ‘हॉविट्जर तोपों’ के बारे में सर्वश्री रमेश बैस, रुद्रमाधव राय और जितेन्द्र सिंह बुंदेला, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारंकित प्रश्न संख्या 6398 का 6 मई, 2013

को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने के लिए एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. तम्बाकू बोर्ड के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती डॉ पुरन्देश्वरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन तम्बाकू बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.05 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे युनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

10. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

(एक) सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2013

(दो) प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2013

11. अध्यादेश के बारे में विवरण—सभा पटल पर रखा गया

प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 8) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान किए जाने के कारणों को दर्शाने वाला स्पष्टीकारक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 2.04 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

(1) श्री पोन्नम प्रभाकर द्वारा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देते समय बीमा उद्योग के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 2.00 बजे

- (2) श्री सुरेश कलमाडी द्वारा पुणे छावनी बोर्ड, महाराष्ट्र को सेवा कर की 150 करोड़ रुपए की लम्बित राशि जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री केंपी० धनपालन द्वारा केरल में भारी बारिश और बाढ़ से हुए जान-माल के नुकसान का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने और केरल सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री राजस्या सिरिसिल्ला द्वारा देश में अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा अवैध शिकार करने वाले शिकारियों से बाघों की रक्षा करने के लिए बाघ अभ्यारण्यों की सुरक्षा सुदृढ़ किए जाने और नागपुर को विश्व बाघ राजधानी घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री सतपाल महाराज द्वारा उत्तराखण्ड में बाढ़ और भूस्खलन के पश्चात् लापता लोगों के आश्रितों को मुआवजा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लापता लोगों को “मृत माने गए” घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री मानिक टैगोर द्वारा आधुनिक चेन्नै अंतर्देशीय टर्मिनल-दो का नाम कामराजार टर्मिनल-दो किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री राधा मोहन सिंह द्वारा बिहार में मोतिहारी और गया के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के नाम क्रमशः महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय और गौतम बुद्ध केन्द्रीय विश्वविद्यालय रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा डबरा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा देश में पत्रकारों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री रमाशंकर राजभर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्राम रोजगार सेवकों के वेतन का भुगतान करने के लिए पृथक बजट उपलब्ध कराए जाने तथा इस योजना में कार्यरत सभी कामगारों को दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (12) श्री विश्व मोहन कुमार द्वारा बिहार के सुपौल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जिन किसानों की जमीन कोसी नदी पर पुल का निर्माण किए जाने हेतु अधिग्रहीत की गई है उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) प्रौं सौगत राय द्वारा कोलकाता, चेन्नै, गुवाहाटी, अहमदाबाद, लखनऊ और जयपुर के विमानपत्तनों के प्रचालन और प्रबंधन का निजीकरण किए जाने के प्रस्ताव के आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री ईंजी० सुगावनम द्वारा तमिलनाडु के कृष्णगिरि ज़िले में पर्याप्त शीतागार सुविधाएं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और एक कृषि निर्यात क्षेत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री ए० सम्पत द्वारा देश में छात्रों को दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों की संख्या और राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री नामा नागेश्वर राव द्वारा आंश्च प्रदेश में बाढ़ के कारण जन-माल और फसलों की क्षति का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजे जाने और राज्य को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री बलीराम जाधव द्वारा देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों तरफ चल रही शराब की दुकानों को बंद कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.05 बजे

13 उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

उपाध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“आज सभा में अनेक सदस्यों का सभा के बीचोंबीच आकर बैनर और तख्तायां दिखाना, नारे लगाना और एक सदस्य द्वारा नाटकीय वेशभूषा धारण कर सभा के बीच आकर बांसुरी बजाने का प्रयास करने का आचरण सदन की गरिमा के लिए अत्यधिक अपमानजनक है। मैं माननीय सदस्यों के इस आचरण की कड़ी निन्दा करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में इस प्रकार के व्यवहार की पुनरावृत्ति नहीं होगी।”

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.06 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 3.00 बजे

14 मंत्री द्वारा वक्तव्य

वित्त मंत्री ने चालू खाता घाटा के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराह्न 3.05 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 13 अगस्त, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 13 अगस्त, 2013/22 श्रावण, 1935 (शक)

संख्या 320

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री डी०पी० यादव पांचवीं, सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने वर्तमान मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में हो रही मूसलाधार वर्षा और भूमि-कटाव के कारण हुई कई लोगों की मृत्यु और कई लोगों के घायल होने के बारे में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

*पूर्वाहन 11.03 बजे

2. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने किश्तवाड़ जम्मू और कश्मीर में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बारे में निवेदन किए:—

(1) श्री योगी आदित्यनाथ

(2) चौधरी लाल सिंह

श्री राजेन्द्र अग्रवाल सहयोजित हुए।

श्री कमल नाथ ने उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.20 बजे स्थगित हुई और

मध्याहन 12.00 बजे युनः समवेत हुई।)

*पूर्वाहन 11.03 बजे से पूर्वाहन 11.20 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

3. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 101—120 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1151—1380 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) वर्ष 2011-2012 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2013 का संख्यांक 1)—संघ सरकार के लेखे (वित्तीय लेखापरीक्षा)।
 - (दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (वायु सेना) (2013 का संख्यांक 10) अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए हेलीकॉप्टरों का अर्जन।
 - (तीन) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2013 का संख्यांक 9)—(निष्पादन लेखापरीक्षा)—सेवाओं के आयात पर सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण, राजस्व विभाग।
- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) वर्ष 2011-12 के लिए संघ सरकार—वित्त लेखे।
 - (दो) वर्ष 2011-12 के लिए संघ सरकार—विनियोग लेखे (सिविल)।
 - (तीन) वर्ष 2011-12 के लिए संघ सरकार—रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे।
 - (चार) वर्ष 2011-12 के लिए संघ सरकार—डाक सेवाओं के विनियोग लेखे।
- (3) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) खुदा बछा ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) खुदा बछा ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकाण्डि 280(अ) जो 2 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा बाजार में आयातित चीनी को बेचने के लिए आयातकों पर लगाए गए प्रतिबंधों से संबंधित विद्यमान अधिसूचना को निरस्त किया गया है।
 - (दो) सांकाण्डि 281(अ) जो 2 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1.10.2012 से उत्पादित चीनी के संबंध में चीनी मिलों की लेवी देयता से संबंधित विद्यमान अधिसूचना को निरस्त किया गया है।
 - (तीन) सांकाण्डि 282(अ) जो 2 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा चीनी की खुले बाजार में बिक्री के लिए विनियमित निर्मुक्तिकरण पद्धति से संबंधित विद्यमान अधिसूचना को निरस्त किया गया है।
- (12) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत चीनी विकास निधि (संशोधन) नियम, 2013 जो 10 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 210 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) भाण्डागारण (विकास और विनियमन) भाण्डागारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2013, जो 2 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 197(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) भाण्डागारण (विकास और विनियमन) प्राधिकरण, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति नियम, 2013, जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकार्णि 408(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (14) उपर्युक्त (13) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान (पैकेज्ड वस्तुएं) संशोधन नियम, 2012, जो 6 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकार्णि 359(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारिवृद्धि) (पहला संशोधन) विनियम, 2013 जो 27 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी० 1(3)/2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नालॉजी, गुडगांव के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंस्टिट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नालॉजी, गुडगांव के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2010–2011 और 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

- (एक) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2012, जो 29 जून, 2012 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 16/4/2010/एचपी-1/स्था०/1387 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) दिल्ली पुलिस (प्रोन्ति और पुष्टि) (संशोधन) नियम, 2012, जो 29 जून, 2012 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 16/4/2010/एचपी-1/स्था०/1391/डीएसहोम-1/250 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 13 मार्च, 2013 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 13/11/2012/एचपी-1/स्था०/7966 से 7971 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2012, जो 1 जून, 2012 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 16/06/2010/एचपी-1/स्था०/975 से 978 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2012, जो 11 अक्टूबर, 2012 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 13/11/2012/एचपी-1/स्था०/3713 से 3718 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) दिल्ली पुलिस (प्रोन्ति और पुष्टि) (संशोधन) नियम, 2012, जो 11 अक्टूबर, 2012 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 13/40/2006/एचपी-1/स्था०/3719 से 3724 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) दिल्ली पुलिस (सेवा की सामान्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2012, जो 20 नवम्बर, 2012 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 13/07/2012/एचपी-1/स्था०/4698 से 4703 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2012, जो 5 नवम्बर, 2012 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 16/02/2010/एचपी-1/स्था०/4366 से 4371 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2012, जो 25 मई, 2012 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 13/13/2003/एचपी-1/स्था०/813 से 816 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2012, जो 19 नवम्बर, 2012 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 16/02/2012/एचपी-1/स्था०/4669 से 4674 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2012, जो 3 अप्रैल, 2013 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 16/05/2013/एचपी-1/स्था०/54 से 58 में प्रकाशित हुए थे।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले नौ विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) विदेशी विषयक आदेश, 1948 के खण्ड 2 के उप-खण्ड (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का०आ० 1190(अ), जो 10 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आव्रजन अधिकारी, बागडोगरा को पश्चिम बंगाल राज्य में बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की अधिकारिता के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ 31.5.2013 से “सिविल प्राधिकारी” के रूप में नियुक्त किया गया है।

(दो) का०आ० 1191(अ), जो 10 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आव्रजन अधिकारी, गया को बिहार राज्य में गया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की अधिकारिता के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ 31.5.2013 से “सिविल प्राधिकारी” के रूप में नियुक्त किया गया है।

(तीन) का०आ० 1193(अ), जो 10 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आव्रजन अधिकारी, वाराणसी को उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की अधिकारिता के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ 31.5.2013 से “सिविल प्राधिकारी” के रूप में नियुक्त किया गया है।

(चार) का०आ० 1489(अ), जो 10 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आव्रजन अधिकारी, गुवाहाटी को असम राज्य में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन गुवाहाटी की

अधिकारिता के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ 31.6.2013 से “सिविल प्राधिकारी” के रूप में नियुक्त किया गया है।

- (24) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 1070(अ) जो 29 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 41 के निबंधनों के अनुसार विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत नियम बनाए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अंतर्गत नागरिकता (संशोधन) नियम, 2013 जो 16 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि० 488(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।
- (26) वर्ष 2011 के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 के कार्यकरण के बारे में धारा 15क(4) के अंतर्गत प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) वर्ष 2011 के लिए अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21 के उपबंधों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3)के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
 (एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कांस्टेबल (बैंड्समैन-सह-जीडी) भर्ती नियम, 2013, जो 14 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि० 85(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सुरक्षा विंग (अधीनस्थ रैंक) भर्ती संशोधन नियम, 2011, जो 25 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 785(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) और हेड कांस्टेबल (मंत्रालयी) भर्ती नियम, 2013, जो 21 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 184(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (31) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) और हेड कांस्टेबल (मंत्रालयी) भर्ती नियम, 2012 जो 23 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 787(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) निम्नलिखित संस्थानों के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को उसमें उल्लिखित संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

क्रम सं०	संस्थान का नाम	लेखा वर्ष (वर्षों)
1.	आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2011-12
2.	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1988-89 और आगे
3.	हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2010-11 और आगे
4.	जम्मू-कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1998-99 और आगे
5.	केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2007-2008 और आगे
6.	मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2011-12
7.	उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2011-12

- (33) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, पंचकूला के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, पंचकूला का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2013 जो 11 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकानि 474(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2013 का संख्यांक 14)—(अनुपालन लेखापरीक्षा) राजस्व विभाग—सीमा-शुल्क।
 - (दो) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2013 का संख्यांक 11)।
 - (तीन) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल) (2013 का संख्यांक 12)—रेल वित्त।
 - (चार) वर्ष 2011-2012 के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (अप्रत्यक्ष कर—सीमा-शुल्क) (2013 का संख्यांक 8)—‘मानित निर्यात ड्राबैक स्कीम’ और ‘ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों का केन्द्रीय विक्रय कर (सीएसटी) की प्रतिपूर्ति’ राजस्व विभाग।
- (37) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) वर्ष 2011-12 के लिए भारतीय रेल के विनियोग लेखे (भाग एक-समीक्षा)।
 - (दो) वर्ष 2011-12 के लिए भारतीय रेल के विनियोग लेखे [भाग दो-विस्तृत विनियोग लेखे (अनुबंध-छ)]।
- (38) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2013 जो

7 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकानि० 290(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

- (एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना संख्या 25/2003 को०उश० जो 13 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसका आशय 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं० सांकानि० 163(अ) में संशोधन करना है।
- (दो) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अधीन अधिसूचना संख्या 41/2013 सी०उश० जो 13 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसका आशय 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं० सांकानि० 185(अ) में संशोधन करना है।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

श्री गोबिन्द चन्द्रा नास्कर ने सरकार द्वारा की-गई-अंतिम-कार्रवाई संबंधी निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पट्टन पर रखे:—

- (1) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित “राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग—अधिदेश और उपलब्धियां—संगठन और कार्यकरण की समीक्षा” के बारे में 33वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 11वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर।
- (2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित “गैस और पेट्रोल एजेंसियों के आवंटन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण” के बारे में चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 17वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर।

6. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री विजय हाँडिक ने “वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा” के बारे में 28वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री हरिन पाठक ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 12वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. श्रम संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री दारा सिंह चौहान ने “‘मऊ तथा आसपास के क्षेत्रों में छोटे बुनकरों का कल्याण-मामला अध्ययन’” के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति का 38वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री गोपीनाथ मुंडे ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) ‘उर्वरकों का उत्पादन, मांग और उपलब्धता तथा इसका वितरण’ (उर्वरक विभाग) के बारे में 28वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।
- (2) ‘राष्ट्रीय भेषज मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण’ (भेषज विभाग) के बारे में 29वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।

10. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री हेमानन्द बिस्वाल ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित “बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की योजना” के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

प्रो॰ शेख सैदुल हक ने ‘भेषज क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश’ के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का 110वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) वित्त मंत्री ने आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के

60वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

- (2) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—
 - (एक) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2010-11) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (दो) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2011-12) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (तीन) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 54वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (चार) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (पांच) भेषज विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (3) कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने ‘खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण और उद्योगों के विकास के लिए अवसरंचनात्मक सुविधाएं—‘एक मूल्यांकन’ के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.07 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा केरल में हाल की भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए राहत उपायों और सङ्कों के पुनर्निर्माण के लिए राज्य के इटुककी जिले को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री हर्ष वर्धन द्वारा देश में ग्रामीण डाक सेवकों को पर्याप्त वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा लाभ दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्रीमती प्रिया दत्त द्वारा एक राष्ट्रीय प्रशासक उपचार नीति बनाने और देश के प्रत्येक जिले में प्रशासक उपचार केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा में राय मलिकपुर और खरक के बीच प्रस्तावित चार लेन के सङ्क कॉरिडोर का निर्माण कार्य आरंभ किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान सम्प्रलापुर में उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री एस०एस० रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में महेन्द्रगिरि स्थित लिकिवड प्रॉपल्शन सिस्टम्स सेंटर का शीघ्र एक पृथक इकाई के रूप में उन्नयन कर उसका मुख्यालय महेन्द्रगिरि में ही रखे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री महेन्द्रसिंह पी० चौहाण द्वारा गुजरात में खेडब्रहमा-अंबाजी-आबू रोड खंड पर रेल लाइन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा गरीबी की रेखा की परिभाषा पर पुनर्विचार किये जाने और इसे जमीनी वास्तविकताओं के अनुरूप परिभाषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री सुदर्शन भगत द्वारा देश में अनुसूचित जनजातियों को धर्म कोड दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार में सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर और इटाहरी खंडों में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अंतर्गत सङ्कों का निर्माण विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) डॉ रत्ना ढे द्वारा देश में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने के लिये कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री अब्दुल रहमान द्वारा वेल्लोर, तमिलनाडु में एक पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा कटक, उड़ीसा में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना का एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री जगदानंद सिंह द्वारा बिहार राज्य में शिक्षण के स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डालने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री कुलदीप बिश्नोई द्वारा दिल्ली-सिरसा राजमार्ग पर हिसार में डाबरा चौक के निकट स्थित रेल उपरिपुल को चार लेन में बदले जाने की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.02 बजे

14. सरकारी विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर — सहमति हुई।

*कंपनी विधेयक, 2012

श्री सचिन पायलट द्वारा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, “तिरसठवें” के स्थान पर “चौसठवें” प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 5, “2012” के स्थान पर “2013” प्रतिस्थापित किया जाए।

अनुसूची एक

3. कि पृष्ठ 286, पंक्ति 34, “2011” के स्थान पर “2013” प्रतिस्थापित किया जाए।

* विधेयक 18 दिसम्बर, 2012 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया तथा राज्य सभा की सहमति के लिए इसे राज्य सभा को प्रेषित किया गया। राज्य सभा ने 8 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और 12 अगस्त, 2013 को इसे लोक सभा को लौटा दिया।

4. कि पृष्ठ 304, पंक्ति 6, “2011” के स्थान पर “2013” प्रतिस्थापित किया जाए।
5. कि पृष्ठ 304, पंक्ति 13, “2011” के स्थान पर “2013” प्रतिस्थापित किया जाए।
6. कि पृष्ठ 309, पंक्ति 1, “2011” के स्थान पर “2013” प्रतिस्थापित किया जाए।
7. कि पृष्ठ 309, पंक्ति 10, “2011” के स्थान पर “2013” प्रतिस्थापित किया जाए।

अनुसूची तीन

8. कि पृष्ठ 317, पंक्ति 13, “2011” के स्थान पर “2013” प्रतिस्थापित किया जाए।

अनुसूची पाँच

9. कि पृष्ठ 340, पंक्ति 19, “2012” के स्थान पर “2013” प्रतिस्थापित किया जाए।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सचिन पायलट ने विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमति संबंधी प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

आवंटित समय : 6 घंटे

लिया गया समय : 22 मिनट

शेष समय : 5 घंटे 38 मिनट

अपराह्न 2.04 बजे

§15. सांविधिक संकल्प—विचाराधीन

श्री प्रबोध पांडा ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जुलाई, 2013 को प्रख्यापित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 7) का निरन्तरोदान करती है।”

§16. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रो॰ के॰ वी॰ थॉमस द्वारा पेश किया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.08 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

१ एक साथ चर्चा की गई।

अपराह्न 2.30 बजे

प्रो० के० वी० थॉमस ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.43 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 3.00 बजे

प्रो० के० वी० थॉमस ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 3.04 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

प्रो० के० वी० थॉमस ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया किंतु निरंतर व्यवधान के कारण अपना भाषण पूरा नहीं कर सके।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*17. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री गोपीनाथ मुंडे ने कार्यमंत्रणा समिति का 50वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

#18. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:—

“माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि जैसाकि सोमवार, 12 अगस्त, 2013 को हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था, शुक्रवार, 16 अगस्त, 2013 के लिए नियत सभा की बैठक रद्द की जाए और उसके स्थान पर लोक सभा की बैठक 24 अगस्त, 2013 को की जाए।

मुझे सभा को यह भी सूचित करना है कि बैठक में यह निर्णय भी लिया गया है कि मंगलवार, 20 अगस्त, 2013 को लोक सभा की बैठक हो और बुधवार, 21 अगस्त, 2013 के लिए नियत बैठक रद्द की जाए।

सभा सहमत हुई।

*अपराह्न 2.39 बजे।

#अपराह्न 4.00 बजे।

अपराह्न 4.03 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा बुधवार 14 अगस्त, 2013 के पूर्वाइन 11 बजे
तक के लिए स्थगित हुई।)

ट्री० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 14 अगस्त, 2013/23 श्रावण, 1935 (शक)

संख्या 321

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में 10 अगस्त, 2013 को कुल्दा में एक कोयले की खान ढह जाने से ग्यारह लोगों के मारे जाने और अन्य अनेक के घायल होने के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

*पूर्वाहन 11.03 बजे

2. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्री जसवंत सिंह ने पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली द्वारा अकारण हमले का हवाला देते हुए भारत की निंदा करने वाले पारित संकल्प के बारे में निवेदन किया।

श्री कमल नाथ ने उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने घोषणा की कि समस्त सभा पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली द्वारा पारित संकल्प की निंदा करने में एकजुट है और इस आशय का संकल्प सभा के समक्ष लाया जाएगा।

(दो) निम्नलिखित सदस्यों ने एम्स में संकायों की नियुक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में निवेदन किए:—

1. श्री शरद यादव

2. श्री मुलायम सिंह यादव

*पूर्वाहन 11.03 बजे से पूर्वाहन 11.30 बजे तक सदस्यों ने निवेदन किए।

3. श्री दारा सिंह चौहान
4. श्री टी० के० एस० इलेंगोवन
5. प्रो० सौंगत राय
6. डॉ० एम० तम्बुदुर्ई
7. श्री पी० एल० पुनिया
8. श्रीमती सुषमा स्वराज
9. डॉ० संजीव गणेश नाईक
10. श्री बसुदेव आचार्य
11. श्री गुरुदास दासगुप्त
12. श्री अनंत गंगाराम गीते
13. श्री भर्तृहरि महताब
14. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन

सर्वश्री कमल किशोर कमांडो, सुरेन्द्र सिंह नागर, अर्जुन मेघवाल, सोहन पोर्टर्झ, वीरेन्द्र कश्यप, रामसिंह राठवा, बालकृष्ण के. शुक्ला, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल तथा डॉ. वीरेन्द्र कुमार सहयोजित हुए।

श्री कपिल सिब्बल ने उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की और सरकार से अपील की कि वह सभा के सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए मामले में तत्काल कार्रवाई करे।

श्री कमलनाथ ने भी उत्तर दिया।

(सभा में व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.30 बजे स्थगित हुई और मध्याहन 12.00 बजे युनः समवेत हुई।)

3. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 121—140 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1381—1610 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याहन 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) सेंट्रल गवर्नमेन्ट इम्प्लाइज वेलफेर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट्रल गवर्नमेन्ट इम्प्लाइज वेलफेर हाउसिंग आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (दो) इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (तीन) इंडियन रेआर अथर्स लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (चार) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (पांच) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (4) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) केन्द्रीय सूचना आयोग (रजिस्ट्रर) भर्ती नियम, 2013 जो 20 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकार्णि 387(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) केन्द्रीय सूचना आयोग (हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 2013 जो 20 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 388(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) केन्द्रीय सूचना आयोग (सहायक ग्रंथालय और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2013 जो 20 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 389(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) (एक) एकजोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एकजोम सर्व शिक्षा अभियान मिशन, गुवाहाटी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) महिला समाख्या उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महिला समाख्या उत्तर प्रदेश, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) महिला समाख्या कर्नाटक, बंगलोर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) महिला समाख्या कर्नाटक, बंगलोर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) केरल महिला समाख्या सोसायटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) केरल महिला समाख्या सोसायटी, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन सोसायटी-कम-सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, शिमला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हिमाचल प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन सोसायटी-कम-सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी, शिमला के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) बोर्ड ऑफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्डर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोर्ड ऑफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्डर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, इटानगर के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, इटानगर के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 102 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) मेट्रो रेल सामान्य नियम, 2013 जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि० 246(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) यात्रियों के लोक वहन के लिए मेट्रो रेल चलाया जाना नियम, 2013 जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि० 247(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

- (एक) कि अपनी 13 अगस्त, 2013 को हुई बैठक में राज्य सभा, लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 का और संशोधन करने वाले विधेयक, जिसे 11 मार्च, 2013 को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था और 12 मार्च, 2013 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था, को वापस लेने के लिए लोक सभा द्वारा दी गई अनुमति से सहमत हुई।
- (दो) कि अपनी 13 अगस्त, 2013 को हुई बैठक में राज्य सभा ने 3 सितम्बर, 2012 को लोक सभा द्वारा पारित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012

को संशोधनों के साथ पारित कर दिया है और विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया है कि संशोधनों पर लोक सभा की सहमति राज्य सभा को सूचित की जाए।

6. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012

7. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री कड़िया मुंडा ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 36वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन

श्री गोविन्द चन्द्रा नास्कर ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के जून-जुलाई, 2012 के दौरान कोच्चि, मुनार, बैंगलुरु और गोवा के अध्ययन दौरे से संबंधित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती सुभिता महाजन ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन’ के बारे में 42वां प्रतिवेदन।
- (2) ‘भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण’ के बारे में 33वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 43वां प्रतिवेदन।
- (3) ‘काउंसिल फॉर एडवांस्मेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी (कापार्ट)’ के बारे में 32वें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 44वां प्रतिवेदन।
- (4) ‘पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का क्षमता निर्माण’ के बारे में 45वां प्रतिवेदन।

10. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्रीमती सुमित्रा महाजन ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति के 27वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (2) ग्रामीण विकास मंत्रालय (भू-संसाधन विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति के 28वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (3) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति के 29वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई।
- (4) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई।

11. मंत्री द्वारा वक्तव्य

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 240वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

12. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री पबन सिंह घाटोवार ने 19 अगस्त, 2013 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.10 बजे

13. प्रस्ताव

श्री गोपीनाथ मुंडे ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 13 अगस्त, 2013 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 50वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 11.28 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

*अपराह्न 2.00 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री अवतार सिंह भडाना द्वारा हरियाणा के फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम के सुधार और नवीनीकरण के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान में मावली जंक्शन से मारवाड़ जंक्शन के बीच की रेललाइन को ब्रॉडगेज में परिवर्तित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डॉ विनय कुमार पाण्डेय द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल जिलों/क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार लाने संबंधी प्रयासों को बल देने के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से निधियों के आवंटन की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.11 बजे से अपराह्न 12.28 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (4) श्री हेमानंद बिसवाल द्वारा राजीव गांधी प्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ओडिशा के गांवों का विद्युतीकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री रतन सिंह द्वारा राजस्थान में भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए पिछले रेल बजटों में स्वीकृत रेल परियोजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डॉ चाल्स डिएस द्वारा सेवाकाल के दौरान मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर तुरन्त नियुक्त करने के लिए सेवा नियमों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री मारोत्तराव सैनुजी कोवासे द्वारा देश के जनजातीय बहुल्य क्षेत्रों में युवाओं को उच्च और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री एन॰ पीताम्बर कुरुल द्वारा केरल में एक नया रेल जोन बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री राकेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक नई केंसँस्कारो डिसपेंसरी खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री रामसिंह राठवा द्वारा गुजरात के छोटा उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की घोषंबा तहसील में इंटरनेट सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री हरिभाई चौधरी द्वारा गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा झारखण्ड के धनबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धनबाद-गया और धनबाद-कतरास रेल लाइनों पर सड़क उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री पी०के० बिजू द्वारा केरल में मनुथी और वडक्कनचेरी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 47 के हिस्से की मरम्मत और नवीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री यशवंत लागुरी द्वारा ओडिशा के क्योंझर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर एक उपरिपुल अथवा बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री चंद्रकांत खेरे द्वारा देश में गायों की सुरक्षा करने के लिए एक “‘गो परिषद्’” का गठन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (16) श्री एस० सेम्मलई द्वारा तमिलनाडु में सलेम नगर को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) चरण-II के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री बिभू प्रसाद तराई द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत निधियों का समुचित उपयोग और योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

15. सरकारी विधेयक—वापस लिया गया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 राज्य सभा द्वारा यथापारित।

16. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013

अपराह्न 2.08 बजे

§17. सांविधिक संकल्प—विचाराधीन

आवंटित समय :	6 घंटे
लिया गया समय :	24 मिनट
शेष :	5 घंटे 36 मिनट

श्री प्रबोध पांडा द्वारा 13 अगस्त, 2013 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जुलाई, 2013 को प्रख्यापित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।”

§18. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रो० कै॒वी० थौ॑मस द्वारा 13 अगस्त, 2013 को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

^१एक साथ चर्चा की गई।

प्रो० के०वी० थॉमस ने अपना भाषण आरंभ किया परंतु व्यवधान के कारण अपना भाषण पूरा नहीं कर सके ।

चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई ।)

अपराह्न 3.00 बजे

19. संकल्प

अध्यक्ष ने सभा की ओर से निम्नलिखित संकल्प का प्रस्ताव किया:—

“यह सभा 13 अगस्त, 2013 को पाकिस्तान की नेशनल एसेम्बली और पंजाब की प्रांतीय एसेम्बली द्वारा पारित किए गए संकल्पों, जिनमें भारतीय सेना और भारत के नागरिकों पर पूरी तरह निराधार आरोप लगाए गए हैं, को अस्वीकार करती है और उसकी निन्दा करती है ।

पाकिस्तान नेशनल एसेम्बली के सदस्यों तथा अन्य किसी के भी मन में लेशमात्र यह संदेह नहीं होना चाहिए कि 6 अगस्त, 2013 को नियंत्रण रेखा पर हमारी सीमा के भीतर भारतीय सेना के गश्ती दल पर पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के हमला किया था ।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने ऐसे समय यह अकारण हमला किया जबकि स्थावी शांति, मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे ताकि दोनों देश अब अपने संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग अपने लोगों के कल्याण के कार्य को अग्रसर करने के महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सके ।

भारत पाकिस्तान अथवा पाकिस्तानी जनता के लिए कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान ने भारत को निशाना बनाने के लिए जिन आतंकवादी समूहों को पोषित किया वे ही अब इस क्षेत्र में शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं ।

यह सभा पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई की भी कड़ी निन्दा करती है और एक बार पुनः दोहराती है कि पाकिस्तान द्वारा बलपूर्वक और गैर-कानूनी रूप से हथियाए हुए भू-भाग सहित सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है और सदैव रहेगा। भारत नियंत्रण रेखा का सम्मान करता है तथा पाकिस्तान सरकार से मांग करता है कि वह अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा दोनों पर वर्ष 2003 युद्ध विराम संबंधी वचनबद्धता का अक्षरशः पालन करे ।

यह सभा भारतीय सशस्त्र बल कर्मियों जिन्होंने नियंत्रण रेखा की पवित्रता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, के साहस और उनकी वीरता को नमन करती है। हमारे संयम की परीक्षा न ली जाए और न ही हमारे सशस्त्र बलों की अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने की क्षमता को कम करके आंका जाए।

मुझे आशा है कि सभा सहमत होगी।''

सभा सहमत हुई।

अपराह्न 3.03 बजे

(लोक सभा सोमवार, 19 अगस्त, 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 19 अगस्त, 2013/28 श्रावण, 1935 (शक)

संख्या 322

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने लोक सभा के वर्तमान सदस्य तथा नौवीं लोक सभा के सदस्य श्री दिलीप सिंह जूदेव के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने मुंबई में नौसेना गोदी में 13 और 14 अगस्त, 2013 की मध्य रात्रि को भारतीय नौसेना पनडुब्बी आईएनएस सिंधुरक्षक में हुए विस्फोट और आग की घटना के बारे में भी उल्लेख किया, जिसमें नौसेना के 6 कार्मिक शहीद हो गए।

सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे और तत्पश्चात् सभा दिन भर के लिए स्थगित हुई।

2. प्रश्न

(एक) चूंकि निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् सभा स्थगित हो गई, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 161—180 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1841, 1843—2026 और 2028—2070 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

(दो) चूंकि शुक्रवार, 16 अगस्त, 2013 के लिए नियत लोक सभा की बैठक रद्द कर दी गई थी, उस दिन के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 141—160 को भी अतारांकित माना गया और उनके उत्तर भी अतारांकित प्रश्न संख्या 1611—1830 और 1832—1840 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जायेंगे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 20 अगस्त, 2013 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 20 अगस्त, 2013/29 श्रावण, 1935 (शक)

संख्या 323

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने दसवीं लोक सभा के सदस्य श्री एस० एम० लाल जन बाशा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

उन्होंने 19 अगस्त, 2013 को बिहार के खगड़िया जिले में धमारा रेलवे स्टेशन पर कुछ तीर्थयात्रियों के पटना जाने वाली राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आ जाने से अनेक व्यक्तियों के मारे जाने तथा कई अन्य के गंभीर रूप से घायल होने का भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) एनौर पोर्ट लिमिटेड और पोत परिवहन मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) नेशनल टाइगर कन्जरवेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल टाइगर कन्जरवेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) सेन्ट्रल प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेन्ट्रल प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 2287(अ) और का०आ० 2288(अ) जो 26 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1174(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत न्यायमूर्ति उषा मेहरा (सेवानिवृत्त) जांच आयोग जिसका गठन 16 दिसम्बर, 2012 को हुई बलात्कार की घटना के विभिन्न पहलुओं की जाँच करने, पुलिस, किसी प्राधिकारी या

व्यक्ति से हुई चूक का पता लगाने और महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार लाने हेतु सुझाव देने के लिए किया गया था, के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उस पर की-गई-कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट।

- (11) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या साँकाणि० 489(अ) जो 17 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा रबड़ बोर्ड (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1966 का संशोधन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) नेशनल प्रोडक्टीविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल प्रोडक्टीविटी काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
(एक) काँआ० 2077(अ) जो 7 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 (पटना-बक्सर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
(दो) काँआ० 2949(अ) जो 19 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बरासत से बरहमपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
(तीन) काँआ० 2560(अ) जो 11 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (चार) का०आ० 1891(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ (बाइपासों के निर्माण सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 266(अ) जो 13 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छह) का०आ० 216(अ) जो 21 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 और 78 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सात) का०आ० 1009(अ) जो 03 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (खगड़िया-पूर्णिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (आठ) का०आ० 2637(अ) जो 30 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (फरक्का-रायगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नौ) का०आ० 1166(अ) जो 23 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दस) का०आ० 2081(अ) जो 7 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (बिध्वंशारपुर-खगड़िया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (ग्यारह) का०आ० 1653(अ) जो 20 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (बारह) का०आ० 2180(अ) जो 14 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेरह) का०आ० 215(अ) जो 21 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 82 (गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारशरीफ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौदह) का०आ० 1912(अ) जो 21 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 (पटना-बखिलयारपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पन्द्रह) का०आ० 2266(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सोलह) का०आ० 639(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 (पटना-गया-दोभी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्रह) का०आ० 1286(अ) जो 5 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (बरही-हजारीबाग खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठारह) का०आ० 2285(अ) जो 30 सितंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (बरबा अड्डा-बराकर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उन्नीस) का०आ० 2182(अ) जो 14 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (बीस) का०आ० 2566(अ) जो 11 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 (पटना-बक्सर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्कीस) का०आ० 2643(अ) जो 25 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बाईस) का०आ० 1346(अ) जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेर्इस) का०आ० 2646(अ) जो 25 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (हजारीबाग-राँची खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौबीस) का०आ० 2265(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (मुजफ्फरपुर-सोनबरसा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पच्चीस) का०आ० 2183(अ) जो 14 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छब्बीस) का०आ० 2181(अ) जो 14 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्ताईस) का०आ० 143(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 (पटना-बक्सर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (अद्वाईस) का०आ० 135(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (राड़गाँव-जमशेदपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतीस) का०आ० 156(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (ओरंगाबाद-बरवा अड्डा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीस) का०आ० 2964(अ) जो 19 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (बिख्तारपुर-मोकामा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकतीस) का०आ० 3060(अ) जो 28 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ (बाइपासों के निर्माण सहित) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बत्तीस) का०आ० 2578(अ) जो 29 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु भूमि सुधार डिप्टी कलक्टर, ओरंगाबाद को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (15) (एक) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत यात्री-सामान (दूसरा संशोधन) नियम, 2013 जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 84/2013-सीज्यू (एन०टी०) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

- (एक) कि 13 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित कर दिया है।
- (दो) कि 13 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित कर दिया है।
- (तीन) कि 14 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-भंगा खण्ड) विधेयक, 2013 को पारित कर दिया है।

4. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखे गए

- (एक) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013
- (दो) नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2013
- (तीन) राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर-भंगा खण्ड) विधेयक, 2013

5. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री अनंत गंगाराम गीते ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) श्री जोसेफ थोप्पो, संसद सदस्य, लोक सभा तथा संसद के अन्य सदस्यों द्वारा अग्रेषित तथा डॉ जी जॉन से प्राप्त अभ्यावेदन, जिसमें ओएनजीसी लिमिटेड द्वारा उनकी सेवाओं का अवैध तथा अनुचित पर्यवर्तन किए जाने का कथित आरोप लगाया गया है, के बारे में अटडाइसर्वाँ प्रतिवेदन।
- (2) चंबल प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए बिजली, पेयजल और सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने के बारे में श्री भगवान सिंह कुशवाहा, पोस्ट सरानी खेड़ा, जिला धौलपुर, राजस्थान से प्राप्त तथा श्री खिलाड़ी लाल बैरवा, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अभ्यावेदन के बारे में उनतीसवाँ प्रतिवेदन।

6. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा) का प्रतिवेदन

श्री ए०के०ए० विजयन ने “प्राकृतिक आपदाओं के लिए एमपीएलएडीएस निधियों के उपबंध की प्रक्रिया” विषय पर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा को-गई-कार्यवाही के संबंध में बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) रक्षा मंत्री ने भारतीय नौसेना पन्डुब्बी आईएनएस सिंधुरक्षक में हुए भीषण अग्निकांड की घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया।
- (2) रेल मंत्री ने पूर्व-मध्य रेलवे में धमारा घाट रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना, जिसमें कुछ लोग मारे गये और कुछ घायल हुए के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—
 - (एक) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगों (2011-2012) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
 - (दो) योजना मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की माँगों (2012-2013) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 62वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

8. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री शीशा राम ओला ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 2क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित

- (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013
 - (दो) भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण विधेयक, 2013
 - (तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय विधेयक, 2013
- (व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाहन 11.12 बजे स्थगित हुई और
पूर्वाहन 11.30 बजे पुनः समवेत हुई)

*पूर्वाहन 11.30 बजे

10. सदस्य द्वारा निवेदन

श्रीमती सुषमा स्वराज ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन से संबंधित फाइलों के कथित रूप से गायब हो जाने के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री शैलेन्द्र कुमार और राजेन्द्र अग्रवाल सहयोजित हुए।

श्री कमलनाथ ने उत्तर दिया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाहन 11.43 बजे स्थगित हुई और
मध्याहन 12.00 बजे पुनः समवेत हुई)

मध्याहन 12.00 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री राजव्या सिरिसिल्ला द्वारा देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री एन० एस० वी० चित्तन द्वारा तमिलनाडु में पलानी से चेन्नई तक प्रस्तावित दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा और पलानी से तिरुचेन्दूर तक दैनिक पैसेंजर ट्रेन सेवा प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*पूर्वाहन 11.30 बजे से पूर्वाहन 11.43 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (3) श्री हर्ष वर्धन द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में नारायणी नदी से अंधाधुंध बालू खनन पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री इज्यराज सिंह द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, कृषि उत्पादों के लिए वेयरहाउसों की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा महिलाओं को सभी प्रकार की हिंसा से संरक्षण देने के लिए विधियों का प्रवर्तन करने और स्नातक की शिक्षा प्राप्त बेरोजगार माताओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री मानिक टैगोर द्वारा तमिलनाडु के विरुद्धनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हैंडलूम टैक्सटाईल पार्क के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री रतन सिंह द्वारा पुष्पकृषि अनुसंधान निदेशालय को दिल्ली से भरतपुर, राजस्थान स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री अनुगग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश के उना से उना हिमाचल-नांदेड साहिब साक्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री मकनसिंह सोलंकी द्वारा मध्य प्रदेश के जिला बड़वानी स्थित केन्द्रीय विद्यालय का उन्नयन कर उसे उच्चतर माध्यमिक स्तर का विद्यालय बनाने तथा विद्यालय के लिए भवन का निर्माण करने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री नारनभाई काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मोटा-भंडारिया गांव के जवाहर नवोदय विद्यालय में स्थायी अध्यापकों को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री नलिन कुमार कटील द्वारा मध्य प्रदेश के अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के उप-कुलपति की नियुक्ति जनजातीय समुदाय से किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के बीड़ी कामगारों को समुचित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी द्वारा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (14) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार में खगड़िया और कुशेश्वर स्थान, हसनपुर और कुशेश्वर स्थान-सकरी के बीच रेललाइन का निर्माण और सहरसा तथा फारविसगंज एवं मधेपुरा तथा पूर्णिया के बीच रेललाइन का आमान-परिवर्तन कार्य कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री ए०के०ए० विजयन द्वारा श्रीलंकाई नौसेना के आक्रमणों से भारतीय मछुवारों को बचाने और श्रीलंका की जेलों में बंद भारतीय मछुआरों को छुड़ाने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री गजानन ध० बाबर द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन 19 फरवरी को “राष्ट्र भक्ति प्रेरणा दिवस” घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री समीर भुजबल द्वारा महाराष्ट्र के नासिक में एक नए जलाशय के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री सी० राजेन्द्रन द्वारा दलित इसाइयों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री पी० लिंगम द्वारा तमिलनाडु के सूखा प्रभावित जिलों को राहत पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्री राजू शेटटी द्वारा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट आर्थिक पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
 (व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.07 बजे स्थगित हुई और
 अपराह्न 1.00 बजे तक पुनः समवेत हुई)
 (निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 1.02 बजे स्थगित हुई और
 अपराह्न 2.00 बजे तक पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 2.02 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा गुरुवार, 22 अगस्त, 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
 के लिए स्थगित हुई)

टी० के० विश्वानाथन,
 महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 22 अगस्त, 2013/31 श्रावण, 1935 (शक)

संख्या 324

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.02 बजे स्थगित हुई और
मध्याहन 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 182—200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071—2123 और 2125—2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याहन 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) भारत इम्युनोलॉजिकल्स एण्ड बायोलॉजिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

- (एक) का०आ० 2754(अ) जो 22 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 1ख में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (दो) का०आ० 164(अ) जो 15 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 1ख में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तीन) का०आ० 867(अ) जो 1 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 9 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चार) का०आ० 1770(अ) जो 20 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 11 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (3) संविधान के अनुच्छेद 350(ख) के अन्तर्गत जुलाई, 2011 से जून, 2012 तक की अवधि के लिए भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के 49वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा अल्पसंख्यक मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रुड़की के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) (एक) बेतवा रिवर बोर्ड, झांसी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बेतवा रिवर बोर्ड, झांसी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नर्मदा कन्ट्रोल अथॉरिटी, इन्दौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नर्मदा कन्ट्रोल अथॉरिटी, इन्दौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) एनटीपीसी लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (13) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत गोवा और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (लोकपाल की नियुक्ति तथा कार्यकरण) पहला संशोधन विनियम, 2013, जो 5 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जेईआरसी-3/2009 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (15) ब्रोडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत रेल यात्री (टिकट का रद्दकरण और किराए का प्रतिदाय) संशोधन नियम, 2013 जो 7 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 362(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा 25 जून, 2013 की अधिसूचना संख्या सांकाणि० 404(अ) में प्रकाशित उसका शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण)।
- (17) (एक) सेन्टर फॉर रेलवे इन्फॉरमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) सेन्टर फॉर रेलवे इन्फॉरमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती तथा पदोन्नति की श्रेणियों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर की गई भर्ती के संबंध में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
 (एक) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना के वर्ष 2011–12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, पटना का वर्ष 2011–12 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शनी वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री गोविन्द चन्द्र नास्कर ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित “विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीटीजीएस) के विकास के लिए कार्यक्रमों की जाँच” विषय के बारे में 12वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 29वाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग) से संबंधित “सरकारी विद्यालयों में मिड-डे-मील योजना में अस्पृश्यता का निवारण” विषय पर 30वाँ प्रतिवेदन।
- (3) रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) से संबंधित “आयुध निर्माणी बोर्ड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और नियोजन” विषय पर 31वाँ प्रतिवेदन।

5. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन

कुंवर रेवती रमण सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. महिलाओं को शक्तियाँ प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती अन्नू टंडन ने ‘बालिका के विशेष संदर्भ में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन’ विषय के बारे में महिलाओं को शक्तियाँ प्रदान करने संबंधी समिति (2012-2013) का 20वाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) ग्रामीण विकास मंत्री ने ‘काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी (कपार्ट)’ के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य रखा।

(2) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने अनुदानों की माँगों (2013-14) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य रखा।

अपराह्न 12.04 बजे

8. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने कोयला ब्लॉकों के आवंटन से संबंधित फाइलों के गायब हो जाने की रिपोर्ट के बारे में प्रधान मंत्री के वक्तव्य की माँग करते हुए निवेदन किए:—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
2. श्री गुरुदास दासगुप्त
3. डॉ॰ एम॰ तम्बिदुरई
4. श्री बसुदेव आचार्य
5. श्री शरद यादव
6. कुंवर रेवती रमण सिंह

श्री कमलनाथ ने उत्तर दिया।

अपराह्न 12.10 बजे

9. सभा से सदस्यों के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री कमलनाथ ने सभा से दस सदस्यों के निलंबन के बारे में प्रस्ताव पेश किया। व्यवधान के कारण प्रस्ताव का निस्तारण नहीं किया जा सका।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.15 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 12.45 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 12.46 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 23 अगस्त, 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 23 अगस्त, 2013/1 भाद्रपद, 1935 (शक)

संख्या 325

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने बारहवीं लोक सभा के सदस्य श्री द्वारका प्रसाद बैरवा के निधन के बारे में उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाहन 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.03 बजे स्थगित हुई और
मध्याहन 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 202—220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301—2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याहन 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) इंडियन कार्डिसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन कार्डिसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन कार्डिसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (आयुर्वेद महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक अपेक्षाएं) संशोधन विनियम, 2013 जो 23 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 28-15/2013-एवाई (न्यूनतम मानक) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शनी वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) दंत-चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत डेन्टल कार्डिसिल ऑफ इंडिया संशोधित बोर्डीएस पाठ्यक्रम (छठा संशोधन) विनियम, 2013 जो 24 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-130-2013 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) दसवीं, तेरहवीं, चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही दर्शनी वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

दसवीं लोक सभा

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. विवरण संख्या 35 | सातवां सत्र, 1993 |
|--------------------|-------------------|

तेरहवीं लोक सभा

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 2. विवरण संख्या 38 | नौवां सत्र, 2002 |
| 3. विवरण संख्या 34 | ग्यारहवां सत्र, 2002 |
| 4. विवरण संख्या 31 | बारहवां सत्र, 2003 |
| 5. विवरण संख्या 26 | तेरहवां सत्र, 2003 |
| 6. विवरण संख्या 30 | चौदहवां सत्र, 2003 |

चौदहवीं लोक सभा

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 7. विवरण संख्या 28 | तीसरा सत्र, 2004 |
| 8. विवरण संख्या 27 | छठा सत्र, 2005 |
| 9. विवरण संख्या 28 | सातवां सत्र, 2006 |
| 10. विवरण संख्या 23 | आठवां सत्र, 2006 |
| 11. विवरण संख्या 23 | नौवां सत्र, 2006 |
| 12. विवरण संख्या 23 | दसवां सत्र, 2007 |

13. विवरण संख्या 20	ग्यारहवां सत्र, 2007
14. विवरण संख्या 20	बारहवां सत्र, 2007
15. विवरण संख्या 20	तेरहवां सत्र, 2008
16. विवरण संख्या 18	चौदहवां सत्र, 2008
17. विवरण संख्या 15	पन्द्रहवां सत्र, 2009

पन्द्रहवीं लोक सभा

18. विवरण संख्या 16	दूसरा सत्र, 2009
19. विवरण संख्या 14	तीसरा सत्र, 2009
20. विवरण संख्या 14	चौथा सत्र, 2010
21. विवरण संख्या 11	पाँचवां सत्र, 2010
22. विवरण संख्या 10	छठा सत्र, 2010
23. विवरण संख्या 08	सातवां सत्र, 2011
24. विवरण संख्या 08	आठवां सत्र, 2011
25. विवरण संख्या 07	नौवां सत्र, 2011
26. विवरण संख्या 06	दसवां सत्र, 2012
27. विवरण संख्या 04	ग्यारहवां सत्र, 2012
28. विवरण संख्या 03	बारहवां सत्र, 2012
29. विवरण संख्या 02	तेरहवां सत्र, 2013

(11) मझांवं डॉक लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड तथा पर्यटन मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) असम अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

- (चार) डोन्वी पोलो अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (पांच) मध्य प्रदेश अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (छह) पांडिचेरी अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (13) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा गेल गैस लिमिटेड के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) गेल (इंडिया) लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (चार) इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (14) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क का उद्घारण तथा अन्य प्रभार) संशोधन विनियम, 2013, जो 21 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या लीगल/50/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के लिए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली) विनियम, 2013, जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या इन्प्रा/आईएमपी/सीजीडी/1/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों को बिछाने, उनका निर्माण करने, प्रचालन करने या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत किया जाना) संशोधन विनियम,

2013, जो 21 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या पीएनजीआरबी/सीजीडी/विनियम/समीक्षा/2011/2012-तीन में प्रकाशित हुए थे।

- (15) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सांकाणि० 248(अ) जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल स्कीम को 18.4.2013 से प्रभावी किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (दो) सांकाणि० 249(अ) जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा एफटीपी के पैराग्राफ 5.11 के अंतर्गत दिए गए पोस्ट एक्सप्रेस्ट ईपीसीजी ड्यूटी स्क्रीप्स के प्रयोग का उपबंध किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (तीन) सांकाणि० 250(अ) जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (चार) सांकाणि० 203(अ) जो 3 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित तैतीस अधिसूचनाओं में कतिपय और संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (16) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 13 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या आईआरडीए/रजि०/6/64/2013 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (समामेलन की स्कीम तथा जीवन बीमा कारबार का अंतरण) विनियम, 2013 जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या आईआरडीए/रजि०/8/66/2013 में प्रकाशित हुए थे।

- (तीन) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कारबार स्थान) विनियम, 2013 जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या आईआरडीए/रजि०/11/69/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (गैर-संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013 जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या आईआरडीए/रजि०/13/71/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा-पुनर्बीमा) विनियम, 2013 जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या आईआरडीए/रजि०/17/75/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (तीसरा पक्ष प्रशासन-स्वास्थ्य सेवाएं) (पहला संशोधन) विनियम, 2013 जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या आईआरडीए/रजि०/9/67/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव का प्ररूप) विनियम, 2013 जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या आईआरडीए/रजि०/10/68/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गमन) विनियम, 2013 जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या आईआरडीए/रजि०/12/70/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013 जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या आईआरडीए/रजि०/14/72/2013 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013 जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या आईआरडीए/रजि०/15/73/2013 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश पांचवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 18 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० संख्या आईआरडीए/रजि०/16/74/2013 में प्रकाशित हुए थे।

- (17) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) का०आ० 251(अ) जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एफटीपी 2009/2014, 18.4.2013 को यथा संशोधित के पैराग्राफ 5.11 के अंतर्गत दिए गए पोस्ट इंपीसीजी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स के प्रयोग का उपबंध किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (दो) का०आ० 252(अ) जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित तीन अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (18) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 22 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 38(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या देना) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 26 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 125(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (19) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 3(एक) 1ख के अंतर्गत माध्यमिक अवधि व्यव ढांचे, अगस्त, 2013 के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-14 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा का न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 26 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 28-14/2011-एवाई.(यूजी रेग.) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा का न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम, 2013 जो 24 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11-76/2011-यूजी आरईजीएल में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा का न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 22 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 28-14/2012-एवाई.(यूजी रेग.) में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 22 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 28-22/2012-एवाई(पीजीडी) में प्रकाशित हुए थे।
- (24) उपर्युक्त (23) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) निक्षेप बीमा तथा प्रत्यय गारंटी निगम के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (26) स्टॉक मार्केट घोटाला और उससे संबंधित विषयों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति, मई, 2013 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई के बारे में 20वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (27) सिक्युरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2012–13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई के वर्ष 2012–13 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के वर्ष 2012–2013 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (30) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा 8 के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 2012–13 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्ष 2012–13 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2012–13 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चार) देना बैंक के वर्ष 2012–13 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (पाँच) इंडियन ओवरसीज़ बैंक के वर्ष 2012–13 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (छह) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (सात) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (आठ) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (नौ) यूको बैंक के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दस) बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (ग्यारह) केनरा बैंक के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (बारह) कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तेरह) इंडियन बैंक के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (चौदह) ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (पंद्रह) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (सोलह) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (सत्रह) विजया बैंक के वर्ष 2012-13 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (31) 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन:—

- (एक) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरगुजा
- (दो) पूर्वाचल ग्रामीण बैंक, गोरखपुर
- (तीन) विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, नागपुर
- (चार) प्रथमा बैंक, मुरादाबाद
- (पांच) पंजाब ग्रामीण बैंक
- (छह) सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, मेरठ
- (सात) वनान्चल ग्रामीण बैंक, दुम्का
- (आठ) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुज़फ्फरपुर
- (नौ) सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट
- (दस) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर
- (ग्यारह) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, बांदा
- (बारह) नागालैण्ड रूरल बैंक, कोहिमा
- (तेरह) महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, नान्देड
- (चौदह) प्रगति ग्रामीण बैंक, वैल्लारी
- (पंद्रह) दुर्ग राजनंदगाँव ग्रामीण बैंक, राजनंदगाँव
- (सोलह) झारखण्ड ग्रामीण बैंक, राँची
- (सत्रह) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाढ
- (अठारह) असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी
- (उन्नीस) लांगपी देहंगी रूरल बैंक, दिफू
- (बीस) पल्लवन ग्राम बैंक, सेलम
- (इक्कीस) सेन्ट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा
- (बाईस) बलिया-इटावा ग्रामीण बैंक, बलिया
- (तेर्इस) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, नहरलगुन
- (चौबीस) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, भડूच
- (पच्चीस) आन्ध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, कडापा

- (छब्बीस) नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक, इंदौर
 (सत्ताईस) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर
 (अठाईस) काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, वाराणसी
 (उनतीस) हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक
 (तीस) चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर
- (32) वर्ष 2012-13 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा बाजार ऋण के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (क) (एक) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2012-2013 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
 - (ख) (एक) सिक्युरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) सिक्युरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (34) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों को अप्रैल, 2013 में आईआईबीआई के स्वैच्छिक परिसमापन के बारे में समापक के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

- (एक) ऋण वसूली अपील अधिकरण, इलाहाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 409(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) ऋण वसूली अपील अधिकरण, चेन्नई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 410(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) ऋण वसूली अपील अधिकरण, कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 411(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) ऋण वसूली अपील अधिकरण, दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 412(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँच) ऋण वसूली अपील अधिकरण, मुंबई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 413(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) ऋण वसूली अधिकरण, संख्यांक 2 दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 414(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) ऋण वसूली अधिकरण, संख्यांक 1 दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 415(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (आठ) ऋण वसूली अधिकरण, संख्यांक 1 कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 416 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) ऋण वसूली अधिकरण, संख्यांक 2 कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 417 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) ऋण वसूली अधिकरण, बंगलौर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 418 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 419 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) ऋण वसूली अधिकरण, नागपुर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 420 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) ऋण वसूली अधिकरण, कटक, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 421 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) ऋण वसूली अधिकरण, औरंगाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 422 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) ऋण वसूली अधिकरण, इलाहाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 423 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) ऋण वसूली अधिकरण, चण्डीगढ़, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 424 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) ऋण वसूली अधिकरण, एन्कुलम, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 425 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) ऋण वसूली अधिकरण, संख्यांक 3, मुंबई समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 426 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 427 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) ऋण वसूली अपील अधिकरण, जबलपुर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 428 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) ऋण वसूली अधिकरण, संख्यांक 1, मुंबई समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 429 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (बाईस) ऋण वसूली अधिकरण, संख्यांक 2, मुंबई समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 430 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेझ्स) ऋण वसूली अधिकरण, पटना, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 431 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौबीस) ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 432 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पच्चीस) ऋण वसूली अधिकरण, संख्यांक 2 चेन्नई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 433 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छब्बीस) ऋण वसूली अधिकरण, संख्यांक 1 चेन्नई, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 434 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्ताईस) ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 435 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (अद्वाईस) ऋण वसूली अधिकरण, संख्यांक 3 दिल्ली, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 436 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (उनतीस) ऋण वसूली अधिकरण, संख्यांक 3 कोलकाता, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 437 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीस) ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापत्तनम, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 438 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (इकतीस) ऋण वसूली अधिकरण, राँची, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 439 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बत्तीस) ऋण वसूली अधिकरण, पुणे, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 440 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ताँतीस) ऋण वसूली अधिकरण, कोयम्बटूर, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 441 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौंतीस) ऋण वसूली अधिकरण, लखनऊ, समूह 'क' और 'ख' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 442 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पाँतीस) ऋण वसूली अपील अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2013 जो 22 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 119 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छत्तीस) ऋण वसूली अधिकरण (न्यायालय शुल्क का प्रतिदाय) नियम, 2013 जो 15 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 311 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (37) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) प्रतिभूति अपील अधिकरण (पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य निबंधन और शर्ट्स) संशोधन नियम, 2013 जो 12 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकानि 369 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जमाकर्ता और प्रतिभागी) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 17 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/09/5738 में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फण्ड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 19 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/12/6108 में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फण्ड) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 16 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/03/5652 में प्रकाशित हुए थे।
 - (पाँच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी का निर्गमन तथा विगोपन अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 27 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/32/4947 में प्रकाशित हुए थे।
 - (छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) रजिस्ट्रीकरण अभिकरण] (संशोधन) विनियम, 2013 जो 22 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/35/6998 में प्रकाशित हुए थे।
 - (सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अर्जन और अधिग्रहण) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 26 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएडी-एनआरओ/जीएन/2012-13/36/7368 में प्रकाशित हुए थे।
- (38) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत वित्तीय आस्तियों का

प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (केन्द्रीय रजिस्ट्री) (संशोधन) नियम, 2013 जो 15 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 310(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (39) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 49 की उपयारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) भारतीय स्टेट बैंक प्रशासक (वेतन और भत्ते) नियम, 2013 जो 11 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 476(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय स्टेट बैंक समिति (प्रक्रिया) नियम, 2013 जो 11 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 477(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (40) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण का निर्गमन) (छठा संशोधन) विनियम, 2013 जो 28 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 341(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 29 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 342(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (पावती और संदायगी की रीति) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 29 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 343(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 29 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 345(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदाएं) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 23 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 330(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (छह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या देना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 20 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 384(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 20 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 385(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) (नौवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 21 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 393(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गमन) (आठवां संशोधन) विनियम, 2013 जो 1 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 195(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारन्टी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 23 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 329(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (41) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) संशोधन नियम, 2013 जो 10 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 471(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23घ के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 1518(अ) जो 12 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पूर्वाचल ग्रामीण बैंक और बलिया इटावा ग्रामीण बैंक के समामेलन के कारण उनके विघटन के बारे में है।
- (दो) का०आ० 1519(अ) जो 12 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और श्रेयस ग्रामीण बैंक के समामेलन के कारण उनके विघटन के बारे में है।

- (तीन) का०आ० 1177(अ) जो 9 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल ग्रामीण बैंक और पर्वतीय ग्रामीण बैंक के समामेलन के कारण उनके विघटन के बारे में है।
- (चार) का०आ० 1178(अ) जो 9 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एमजीबी ग्रामीण बैंक और जयपुर थार ग्रामीण बैंक के समामेलन के कारण उनके विघटन के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 1179(अ) जो 9 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वानगंगा कृष्ण ग्रामीण बैंक के समामेलन के कारण उनके विघटन के बारे में है।
- (छह) का०आ० 948(अ) जो 12 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा और राजस्थान ग्रामीण बैंक के समामेलन के कारण उनके विघटन के बारे में है।
- (सात) का०आ० 949(अ) जो 12 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नीलांचल ग्राम्य बैंक, कलिंग ग्राम्य बैंक और बैतरणी ग्राम्य बैंक के समामेलन के कारण उनके विघटन के बारे में है।
- (आठ) का०आ० 868(अ) जो 1 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और श्रेयस ग्रामीण बैंक के ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त के रूप में समामेलन के बारे में है।
- (नौ) का०आ० 869(अ) जो 1 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पूर्वांचल ग्रामीण बैंक और बलिया इटावा ग्रामीण बैंक का विलय पूर्वांचल बैंक के रूप में किए जाने के बारे में है।
- (43) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) सांकानि० 513(अ) जो 29 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय औषधीय मूल्य नियंत्रण आदेश, (डीपीसीओ), 2013 के अंतर्गत यथापरिभाषित अनुसूचित प्रतिपादनों और जो उक्त आदेश के प्रावधानों के अनुसरण में ऐसे परिसरों में पुनःमुद्रण, पुनःलेबल, पुनःपैक या स्टीकर लगाए जाने के अध्यधीन है, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

अधिनियम, 1944 या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सांकाणि० 522(अ) जो 31 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकाणि० 372(अ) जो 1 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2012 की अधिसूचना संख्या 30/2012-केऽउशु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकाणि० 315(अ) जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उसमें उल्लिखित पांच अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकाणि० 333(अ) जो 23 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 मई, 1989 की अधिसूचना संख्या 145/1989-केऽउशु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकाणि० 334(अ) जो 23 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय देश में निर्मित माल को विदेश से आने वाले यात्रियों या विमान दल के सदस्यों को विक्रय के लिए भारत में स्थित उनके विनिर्माण कारखानों से अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर आगमन हाल में अवस्थित शुल्क मुक्त दुकानों में लाए जाने पर, उनमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची के अंतर्गत उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांकाणि० 358(अ) जो 5 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-केऽउशु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांकाणि० 527(अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या

12/2012-के^{अंशु} में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (नौ) सांकानि० 524(अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट विगत अवधि के दौरान किसी लघु उद्योग इकाई द्वारा विनिर्मित पैकिंग सामग्री जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का ब्रांड नाम या व्यापार नाम दिया गया है और जो 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003-के द्वारा उत्पाद शुल्क के अंतर्गत छूट का हकदार नहीं है, को छूट प्रदान की गई है।
- (44) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

 - (एक) सांकानि० 254(अ) जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फोकस मार्केट स्कीम स्क्रिप के एवज में प्रदान की गई सेवा को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अंतर्गत लगाए जा सकने वाले संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (दो) सांकानि० 255(अ) जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फोकस मार्केट स्कीम स्क्रिप के एवज में प्रदान की गई सेवा को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अंतर्गत लगाए जा सकने वाले संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (तीन) सांकानि० 256(अ) जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना स्क्रिप के एवज में प्रदान की गई सेवा को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अंतर्गत लगाए जा सकने वाले संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (चार) सेवा कर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन नियम, 2013 जो 13 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकानि० 304(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (पांच) सांकानि० 448(अ) जो 1 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सेज प्राधिकृत प्रचालनों को प्रदत्त सेवाओं पर सेवा कर से छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सांकानि० 373(अ) जो 13 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या 6/2013-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(45) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सांकानि० 194(अ) जो 26 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सांकानि० 214(अ) जो 10 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक, यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सोडियम नाइट्रेट' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्घरण को 10 अप्रैल, 2014 तक और इसे शामिल करते हुए, आगे बढ़ाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सांकानि० 215(अ) जो 10 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशक द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'सल्फर ब्लैक' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्घरण को 1 वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 10 अप्रैल, 2014 तक और इसे शामिल करते हुए, आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सांकानि० 240(अ) जो 12 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, थाईलैण्ड और संयुक्त अरब अमीरात में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित प्लेन जिप्सम प्लास्टर बोर्ड के आयात पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किए जाने की तारीख से अर्थात् 7 जून, 2012 से 5 वर्ष की अवधि के लिए अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सांकानि० 257(अ) जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 फरवरी, 2011 की अधिसूचना संख्या

06/2011-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (छह) सांकानि० 258(अ) जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रूस और तुर्की में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित सोडा एश के निर्यात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए उसमें निर्दिष्ट दरों पर अंतिम प्रतिपाठन शुल्क लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांकानि० 275(अ) जो 26 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाठन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय की मध्यकालीन जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में चीन जनवादी गणतंत्र और थाईलैंड, रूस और आस्ट्रेलिया में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित रबर के काम में प्रयोग किए जाने वाले कार्बन ब्लैक पर प्रतिपाठन शुल्क का उपांतरण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सांकानि० 285(अ) जो 3 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सिंगापुर और यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित फिनोल के आयात पर प्रतिपाठन शुल्क के उद्ग्रहण को वापस लेना है तथा दक्षिण अफ्रीका में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित फिनोल के आयात पर प्रतिपाठन शुल्क के उद्ग्रहण को 30 अक्टूबर, 2013 तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकानि० 318(अ) जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाठन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में पांच वर्ष की और अवधि के लिए, चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित पेरोक्सोसल्फेट के आयात पर प्रतिपाठन शुल्क का उद्ग्रहण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सांकानि० 406(अ) जो 25 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाठन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहाँ से निर्यातित 'एसीटोन' के आयात पर प्रतिपाठन शुल्क के उद्ग्रहण को 1 वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 9 जून, 2014 तक और इसे शामिल करते हुए, आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (ग्यारह) सांकाणि० 407(अ) जो 25 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक चीनी ताइपे में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ‘पेन्नेरिशीट्रोल’ के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 1 वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 27 अप्रैल, 2014 तक और इसे शामिल करते हुए, आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सांकाणि० 465(अ) जो 5 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ‘रबर केमिकल्स’ के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क के अद्ग्रहण को 1 वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 4 मई, 2014 तक और इसे शामिल करते हुए, आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) सांकाणि० 466(अ) जो 5 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा अन्वेषण का परिणाम आने तक कोरिया जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ‘रबर केमिकल्स’ के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 1 वर्ष की और अवधि के लिए अर्थात् 4 मई, 2014 तक और इसे शामिल करते हुए, आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सांकाणि० 459(अ) जो 3 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 20 अप्रैल, 2011 से 29 मई, 2012 तक की अवधि के दौरान मेसर्स चांग चुन प्लास्टिक्स कंपनी लि० चीनी ताइपे से निर्यातित ‘एसीटेन’ के सभी आयातों पर अंतिम आंकलन के उद्देश्य से प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, जो 27 मई, 2011 की अधिसूचना सं० 44/2011-सी॒शु० के अनंतिम आंकलन के अध्यधीन था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पन्द्रह) सांकाणि० 460(अ) जो 3 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सनसेट समीक्षा के निष्कर्षों में अभिहित प्राधिकारी

की अनुशंसा के अनुसरण में यूरोपीय संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ‘पोली विनाईल क्लोराइट पेस्ट रेसिन’ के आयात पर अंतिम प्रतिपाठन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(46) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

- (एक) सांकाणि० 192(अ) जो 26 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) सांकाणि० 193(अ) जो 26 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सांकाणि० 253(अ) जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सांकाणि० 301(अ) जो 10 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सांकाणि० 317(अ) जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सांकाणि० 357(अ) जो 5 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सांकाणि० 383(अ) जो 19 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 13 अगस्त, 2008 की अधिसूचना संख्या

96/2008-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (आठ) सांकानि० 468(अ) जो 8 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सांकानि० 499(अ) जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सांकानि० 500(अ) जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 46/2011-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सीमा शुल्क ब्रोकर अनुज्ञप्ति विनियम, 2013 जो 21 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में सांकानि० 395(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 23 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या सांकानि० 502(अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) का०आ० 963(अ) जो 15 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) का०आ० 988(अ) जो 17 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) का०आ० 993(अ) जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या 35/2013-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पन्द्रह) का०आ० 1054(अ) जो 26 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०षु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) का०आ० 1083(अ) जो 30 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०षु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्रह) का०आ० 1121(अ) जो 2 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 18 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या 40/2013-सी०षु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अठारह) का०आ० 1219(अ) जो 15 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०षु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उन्नीस) का०आ० 1224(अ) जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बीस) का०आ० 1306(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०षु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इक्कीस) का०आ० 1408(अ) जो 31 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०षु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (बाईस) का०आ० 1456(अ) जो 5 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 मई, 2013 की अधिसूचना संख्या 54/2013-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेर्इस) सा०का०नि० 325(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौबीस) सा०का०नि० 491(अ) जो 18 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 46/2011-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पच्चीस) सा०का०नि० 521(अ) जो 31 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छब्बीस) सा०का०नि० 390(अ) जो 20 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 4 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 92/2012-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सत्ताईस) सा०का०नि० 316(अ) जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित पांच अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अष्टाईस) सा०का०नि० 371(अ) जो 13 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 11 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 93/2009-सी०शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उनतीस) सा०का०नि० 472(अ) जो 10 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 4 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 92/2012-सी०शु० में (एन०टी०) कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीस) का०आ० 1465(अ) जो 6 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इकतीस) का०आ० 1176(अ) जो 9 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या 36/2013-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बत्तीस) का०आ० 1515(अ) जो 12 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जून, 2013 की अधिसूचना संख्या 59/2013-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीनतीस) का०आ० 1526(अ) जो 13 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जून, 2013 की अधिसूचना संख्या 59/2013-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौंतीस) का०आ० 1537(अ) जो 14 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पाँतीस) का०आ० 1771(अ) जो 20 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छत्तीस) का०आ० 1833(अ) जो 24 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (सैंतीस) का०आ० 1842(अ) जो 25 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो इस बारे में है कि सुपारी का टैरिफ मूल्य समसामयिक आयात मूल्यों के आधार पर नियत किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (अड़तीस) का०आ० 1869(अ) जो 27 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (उनतालीस) का०आ० 1871(अ) जो 28 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चालीस) का०आ० 2004(अ) जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधन विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (इकतालीस) का०आ० 2165(अ) जो 15 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बयालीस) का०आ० 2191(अ) जो 18 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तैंतालीस) सा०का०नि० 509(अ) जो 26 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित 4 अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौवालीस) सांकाणि 528 (अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी-शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 13 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या सांकाणि० 542(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (47) अधिसूचना संख्या सांकाणि० 525(अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 9 के अधीन निर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के अंतर्गत राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुपालन में निम्नतम सीमा मूल्य वाले निर्दिष्ट भेषजिक उत्पादों पर स्टिकर लगाने अथवा पुनःमुद्रण अथवा पुनःलेबलिंग अथवा पुनःपैकिंग करने के लिए प्रयुक्त गैर-पंजीकृत परिसरों को पंजीकरण से छूट दी गई है, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (48) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार का प्रतिवेदन (2013 का संख्यांक 15) राजस्व विभाग—प्रत्यक्ष कर।
 - (दो) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार का प्रतिवेदन (2013 का संख्यांक 17) (प्रत्यक्ष कर—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर)—अनुपालन लेखापरीक्षा।
 - (तीन) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (सिविल) का प्रतिवेदन (2013 का संख्यांक 18)—स्मारकों और पुरावशेषों के परिरक्षण और संरक्षण की निष्पादन लेखापरीक्षा, संस्कृति मंत्रालय।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) वित्त मंत्री ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 52वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

- (2) जनजातीय कार्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 'मानव विकास सूचकांक' के बारे में डॉ रत्ना डे (नाग), संसद सदस्य द्वारा 08 मार्च, 2013 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1924 के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.03 बजे

6. प्रस्ताव

श्री कमल नाथ ने वक्तव्य दिया कि 22 अगस्त, 2013 को उनके द्वारा पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव के बारे में आग्रह नहीं कर रहे हैं:—

"कि सर्वश्री एं साई प्रताप, एन० कृष्णप्प, अनन्त वेंकटरामी रेड्डी, एल० राजगोपाल, एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी, एम० वेणुगोपाल रेड्डी, अरूण कुमार बुंडावल्ली, को० नारायणराव, जी०वी० हर्षकुमार और डॉ एन० शिवप्रसाद, जिन्होंने सभा की कार्यवाहियों में निरंतर व्यवधान उत्पन्न करके ऐसा व्यवहार किया है जो संसद सदस्य के लिए अशोभनीय है, को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवाओं से निलंबित किया जाए।"

तदनुसार, प्रस्ताव वापस लिया माना गया।

7. वर्ष 2013-2014 की अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

श्री पी० चिदम्बरम ने वर्ष 2013-14 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री एन० पीताम्बर कुरूप द्वारा केरल में भारी बारिश के कारण खराब हुई सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (2) डॉ संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा महाराष्ट्र की राजधानी को मुम्बई के बदले नागपुर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान में मेड़ता रोड जंक्शन और मेड़ता सिटी के बीच पर्याप्त सवारी डिब्बों वाली एक रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री के॰ जयप्रकाश हेगड़े द्वारा कर्नाटक के चिकमंगलूर और हसन जिलों में लोगों को जंगली हाथियों के हमले से बचाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने और हमले के शिकार हुए व्यक्तियों के परिजनों को समय पर मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री आर० ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक में प्रस्तावित बैंगलुरु-केनगेरी-कनकपुरा-चामराजनगर रेललाईन परियाजना के निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि आवंटित और जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री हेमानंद बिसवाल द्वारा ओडिशा में इंदिरा आवास योजना में धनराशि के दुरुपयोग की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री हरि मांझी द्वारा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों से जुड़ी संरक्षण एवं अनुरक्षण योजनाओं को लागू करते समय इनके आस-पास रहने वाले लोगों के हितों तथा उनकी आजीविका को अक्षुण्ण बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री शिवराम गौड़ा द्वारा कर्नाटक में हिरबेनेकाल मेगालिथिक स्थल का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री रमेश विश्वनाथ काटटी द्वारा कर्नाटक में बेलगांव जिले के चिककोडी कस्बे में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सागर में एक हवाई अड्डे का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में सूखे और भारी बारिश के कारण किसानों को हुए फसल के नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (व्यवधानों के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.04 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 12.30 बजे

9. नियम 374क के अधीन सदस्यों का सभा से निलम्बन

अध्यक्ष ने निम्नलिखित सदस्यों के नाम बताए तथा वे नियम 374क के अधीन सभा की पांच लगातार बैठकों अर्थात् 23, 24, 26, 27 और 29 अगस्त, 2013 तक सभा से स्वतः निलम्बित हो गए हैं:—

1. श्री ए० साई प्रताप
2. श्री एन० कृष्ण
3. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी
4. श्री एल० राजगोपाल
5. श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी
6. श्री एम० वेणुगोपाल रेड्डी
7. श्री वी० अरूण कुमार
8. श्री के० नारायण राव
9. श्री जी० वी० हर्ष कुमार
10. श्री के० बापीराजू
11. श्री सब्बम हरि
12. डॉ० एन० शिवप्रसाद

अपराह्न 12.31 बजे

(व्यवधानों के कारण, लोक सभा शनिवार, 24 अगस्त, 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शनिवार, 24 अगस्त, 2013/2 भाद्रपद, 1935 (शक)

संख्या 326

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अंतर्गत विश्व मामलों से संबंधित भारतीय परिषद; महानिदेशक और अन्य अधिकारी और कर्मचारी (वेतन और भत्ता) नियम, 2011 जो 9 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में सांकानि 79(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 3 मई, 2013 की अधिसूचना संख्या सांकानि संख्या 284(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

2. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि 22 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने संसद (निरहूता निवारण) संशोधन विधेयक, 2013 को पारित कर दिया है।

3. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

संसद (निरहूता निवारण) संशोधन विधेयक, 2013

4. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी० करुणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 34वां और 35वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री हरिन पाठक ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अनंत कुमार ने वर्ष 2013-14 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में 20वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का 22वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

पूर्वाहन 11.02 बजे

7. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री पबन सिंह घाटेवार ने 26 अगस्त, 2013 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

पूर्वाहन 11.12 बजे

*8. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) श्रीमती सुषमा स्वराज ने अर्जुन पुरस्कार विजेता माखन सिंह के परिवार की दयनीय दशा के बारे में निवेदन किया।

*पूर्वाहन 11.12 बजे से मध्याहन 12.00 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

सर्वश्री एम० बी० राजेश, पी० के० बिजू, शिवकुमार उदासी, वीरेन्द्र कश्यप, राजेन्द्र अग्रवाल, प्रहलाद वेंकटेश जोशी, अर्जुन मेघवाल, बालकृष्ण के० शुक्ल, शिवराम गौडा, धनंजय सिंह, अनुराग सिंह ठाकुर, निशिकांत दुबे, पन्ना लाल पुनिया, वीरेन्द्र कुमार, देवजी एम० पटेल, सोहन पोटाई और महेन्द्रसिंह पी० चौहाण सहयोजित हुए।

श्री कमलनाथ ने उत्तर दिया।

अपराह्न 11.29 बजे

(दो) निम्नलिखित सदस्यों ने मुम्बई में एक फोटो पत्रकार के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के संबंध में निवेदन किए:—

1. श्री गोपीनाथ मुंडे
2. प्रो० सौगत राय
3. श्रीमती जयप्रदा

श्री शिवकुमार उदासी, श्री वीरेन्द्र कश्यप, डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण, श्री पी० के० बिजू, श्री एम० बी० राजेश, श्री प्रहलाद जोशी, श्री शिवराज गौडा, डॉ० रत्ना डे (नाग), श्रीमती शताब्दी राय और श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, डॉ० अजय कुमार और श्रीमती भावना गवली पाटील सहयोजित हुए।

श्री कमलनाथ ने उत्तर दिया।

मध्याह्न 12.00 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री दत्ता मेथे द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हिंगनघाट, चांदुर, धामनगांव और सिंदी रेलवे स्टेशनों पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का उहराब प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री एम० कृष्णस्वामी द्वारा तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्यरत मजदूरों को पूरी मजदूरी दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (3) डॉ निलेश नारायण राणे द्वारा कोंकण रेलवे द्वारा जिन लोगों की जमीन अधिगृहीत की गई है, उनके प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तपेदिक के रोगियों के लिए एक अलग अस्पताल के साथ-साथ एक अस्पताल स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री एस-एस-रामासुब्बू द्वारा तमिलनाडु के ननगुनेरी में विशेष आर्थिक जोन (सेज) में अवसंरचनात्मक विकास के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री सुरेश कलमाडी द्वारा महाराष्ट्र में पुणे से लोनावाला तक लोकल रेलगाड़ियों और पुणे से दौण्ड शटल सेवा के फेरे बढ़ाने तथा लोनावाला-पुणे-दौण्ड मार्ग पर एक सीधी रेलगाड़ी आरंभ किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार व्यक्तियों के मामलों का त्वरित विचारण सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री संजय धोत्रे द्वारा भारी बारिश के कारण आई बाढ़ को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल किए जाने और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों को पूर्ण सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री हरिन पाठक द्वारा गुजरात में बसे प्रवासी पाकिस्तानी हिन्दुओं को भारतीय नागरिकता दिये जाने के लिए गुजरात सरकार को शक्ति प्रत्यायोजित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) डॉ शफीकुर्हमान बर्क द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री वैद्यनाथ प्रसाद महतो द्वारा बिहार के वाल्मीकी नगर में भारत-नेपाल सीमा पर एक आयात-नियात कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री अब्दुल रहमान द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को प्रवेश में 50 प्रतिशत का प्रावधान किए जाने के लिए प्रस्तावित पांच विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय तमिलनाडु के वेल्लोर निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (13) श्री एम० बी० राजेश द्वारा केरल के पालककाड़ जिले में अट्टपाडी जनजाति क्षेत्र में पर्याप्त स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री रुद्रमाधव राय द्वारा देश में आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में पारे, शीशे और अन्य तत्वों के उपयोग पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा बिहार में छपरा और उत्तर प्रदेश में कप्तानगंज के बीच रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री प्रेम दास राय द्वारा पृथक राज्य के पश्चिम लोगों द्वारा की जा रही सामाजिक-आर्थिक नाकेबंदी की गंभीर समस्या का सामना कर रहे सिक्किम में स्थिति को सामान्य बनाने के लिये तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.01 बजे

10. सरकारी विधेयक—पारित

(एक) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2012

लिया गया समय: 1 घंटा 29 मिनट

श्री सुशीलकुमार शिंदे की ओर से श्री आर०पी०एन० सिंह ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री कीर्ति आजाद
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री शरद यादव
5. प्रो० सौगत राय
6. श्री शेख सैदुल हक
7. श्री तथागत सत्पथी

8. श्री एस० सेम्मलई
9. डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह
10. श्री दारा सिंह चौहान
11. श्री प्रबोध पांडा
12. डॉ अजय कुमार
13. डॉ तरुण मंडल

श्री आर०पी०एन० सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री आर०पी०एन० सिंह ने विधेयक, यथासंशोधित, पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

अपराह्न 1.31 बजे

(दो) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2012

लिया गया समय : 2 घंटे 41 मिनट

कुमारी सैलजा द्वारा 5 अगस्त, 2013 को विधेयक पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री वीरेन्द्र कश्यप (अपना भाषण पुनः आरंभ किया)
2. श्री पन्ना लाल पुनिया
3. श्री शैलेन्द्र कुमार

4. डॉ बलीराम
5. श्री भूदेव चौधरी
6. प्रो॰ सौगत राय
7. श्री शक्ति मोहन मलिक
8. श्री मोहन जेना
9. डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह
10. श्री संजय सिंह चौहान
11. श्री प्रबोध पांडा
12. श्री एस॰टी॰ शारिक
13. श्री असादूद्दीन ओवेसी
14. डॉ अजय कुमार
15. श्री वीरेन्द्र कुमार
16. श्री आर॰ ध्रुवनारायण

कुमारी सैलजा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

कुमारी सैलजा ने विधेयक, यथासंशोधित, पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

अपराह्न 4.01 बजे

(तीन) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2012

लिया गया समय : 2 घंटे 45 मिनट

श्री वी॰ किशोर चन्द्र देव ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने बाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री सोहन पोटाई
2. श्री रघुवीर सिंह मीणा
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री दारा सिंह चौहान
5. प्रो॰ सौगत राय
6. श्री पी॰ करुणाकरन
7. श्री मोहन जेना
8. श्री जे॰ एम॰ आरून रशीद
9. श्री एम॰ आनन्दन
10. डॉ॰ संजीव गणेश नाईक
11. श्री प्रबोध पांडा
12. डॉ॰ रघुवंश प्रसाद सिंह
13. प्रो॰ एस॰डी॰ शारिक
14. डॉ॰ अजय कुमार
15. चौधरी लाल सिंह
16. श्री एस॰के॰ बैसीमुथियारी
17. श्री प्रेम दास राय
18. डॉ॰ चाल्स डिएस

श्री वी० किशोर चन्द्र देव ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ ।

श्री वी० किशोर चन्द्र देव ने विधेयक, यथासंशोधित, पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया ।

*सायं 7.17 बजे

(लोक सभा सोमवार, 26 अगस्त, 2013 के पूर्वाहन 11.00 बजे
तक के लिए स्थगित हुई ।)

टी० के० विश्वानाथन,
महासचिव ।

*सायं 6.47 बजे से सायं 7.17 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए ।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 26 अगस्त, 2013/4 भाद्रपद, 1935 (शक)

संख्या 327

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. शपथ

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपने स्थान ग्रहण किए:—

क्रम सं	सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
1.	श्री डीँके० सुरेश	बंगलौर ग्रामीण	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़
2.	सुश्री रम्या दिव्या स्पन्दना	मांड्या	कर्नाटक	शपथ	कन्नड़

(व्यवधानों के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.10 बजे स्थगित हुई और पूर्वाहन 11.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

(निरंतर व्यवधानों के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.32 बजे स्थगित हुई और मध्याहन 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

2. प्रश्न

सभा में व्यवधानों के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः आज की कार्य-सूची में सम्प्लित तारांकित प्रश्न संख्या 221—240 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2531—2644, 2646—2708, 2710—2753 और 2755—2760 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याहन 12.00 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने—

- (एक) 24 अगस्त, 2013 को चीन के नानजिंग में आयोजित एशियाई युवा खेल, 2013 में तीन स्वर्ण पदक सहित 14 पदक जीतने पर भारतीय एथलीटों;
- (दो) 25 अगस्त, 2013 को सिंगापुर में अन्डर 23 एसीसी इमर्जिंग ट्रॉफी में विजयी होने पर भारतीय क्रिकेट टीम;
- (तीन) पोलैण्ड के रोसलॉ में तीरंदाजी विश्व कप में रिकर्व टीम इवेन्ट में स्वर्ण पदक जीतने पर दीपिका कुमारी, लायश्रम बोम्बाल्या देवी और रिमिल बुरुनी की भारतीय महिला तीरंदाजी टीम; और
- (चार) न्यू हेवन में डब्ल्यूटीए न्यू हेवन ओपन में वीमेन डबल्स टेनिस ट्रॉफी जीतने पर सुश्री सानिया मिर्जा को सभा की ओर से बधाई दी।

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) सांकानि 90(अ) जो 15 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास (पायलटों का अधिप्रमाणन) विनियम, 2013 का अनुमोदन किया गया है।
- (दो) सांकानि 289(अ) जो 6 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2013 का अनुमोदन किया गया है।
- (तीन) सांकानि 396(अ) जो 25 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2013 का अनुमोदन किया गया है।
- (चार) सांकानि 386(अ) जो 20 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 2013 का अनुमोदन किया गया है।

- (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) बन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 जो 15 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 826(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिसिनल प्लान्ट्स एण्ड ट्रैडिशनल नॉलेज, बैंगलुरु के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिसिनल प्लान्ट्स एण्ड ट्रैडिशनल नॉलेज, बैंगलुरु के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2013 जो 8 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि 207(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यातमक ज्ञापन।
- (8) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) आईटीआई लिमिटेड तथा भारत सरकार के बीच वर्ष 2013-14 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

- (दो) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-14 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (तीन) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड तथा तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के बीच वर्ष 2013-14 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (चार) टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेन्ट्स इंडिया लिमिटेड तथा इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड के बीच वर्ष 2013-14 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (पांच) नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेंटर सर्विसेज इन्कारपोरेटेड तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-14 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (9) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2013 जो 12 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 368(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय तार (2013 का दूसरा संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जुलाई, 2013 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकार्णि 506(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (10) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—
- (एक) ग्राहक संगठनों का रजिस्ट्रीकरण विनियम, 2013 जो 21 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. 321-49/2012-सीए एण्ड क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान (11वां संशोधन) विनियम, 2013 जो 24 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. 311-23/2013-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान (12वां संशोधन) विनियम, 2013 जो 24 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. 311-23/2013-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

- (चार) शार्ट मैसेज सर्विसेज (एसएमएस) टर्मिनेशन प्रभार विनियम, 2013 जो 24 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ सं. 409-10/2012-एनएसएल-आई में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) दूरसंचार ग्राहक शिक्षा और संरक्षण निधि (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 10 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 324-2/2013-सीए में प्रकाशित हुए थे।
- (11) इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।—
- (एक) का०आ० 107(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ग (विक्रावंडी-कुम्बकोनम-तंजावूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दो) का०आ० 573(अ) जो 7 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चैनेज परियोजना) (तिरुवनंतपुरम-केरल/तमिलनाडु सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीन) का०आ० 678(अ) जो 13 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (चैनेज परियोजना) (तिरुवनंतपुरम-केरल/तमिलनाडु सीमा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (चार) का०आ० 520(अ) जो 6 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 (तिरुतानी-चेन्नई खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 616(अ) जो 11 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 विस्तार और 220 (डिंडीगुल-तेनी और कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छह) का०आ० 98(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 (होनीगनाहल्ली से तलाघाटापुरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सात) का०आ० 21(अ) जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (आठ) का०आ० 535(अ) जो 6 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 49 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नौ) का०आ० 589(अ) जो 8 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 (सेलम-उलुंदुरपेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (दस) का०आ० 471(अ) जो 27 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 46 (कृष्णागिरि-वालाजाहपेट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (ग्यारह) का०आ० 584(अ) जो 8 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची-करूर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (बारह) का०आ० 675(अ) जो 13 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (तिरुचिरापल्ली-कराकुड़ी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेरह) का०आ० 766(अ) जो 18 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 अक्टूबर, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1749(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चौदह) का०आ० 528(अ) जो 6 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 विस्तार (डिंडीगुल-तेनी एवं कुमुली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पंद्रह) का०आ० 210(अ) जो 19 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67 (त्रिची बाइपास) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सोलह) का०आ० 611(अ) जो 11 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 (तिरुचिरापल्ली-कराकुड़ी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्रह) का०आ० 477(अ) जो 27 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2102(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अठारह) का०आ० 708(अ) जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 जुलाई, 2006 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1102(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उन्नीस) का०आ० 891(अ) जो 1 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (बीस) का०आ० 908(अ) जो 1 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्कीस) का०आ० 931(अ) जो 8 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल-पंधुरना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बाईस) का०आ० 1043(अ) जो 26 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तेर्चीस) का०आ० 1078(अ) जो 30 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल-पंधुरना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौबीस) का०आ० 1092(अ) जो 1 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बेतुल-पंधुरना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पच्चीस) का०आ० 1234(अ) जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (ग्वालियर से शिवपुरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छब्बीस) का०आ० 1300(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (जबलपुर-लखनाडोन खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सत्ताईस) का०आ० 717(अ) जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (पुराना

राष्ट्रीय राजमार्ग-5) (चेन्नई-कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (अठाईस) का०आ० 680(अ) जो 13 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंश्व प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-5) (चेन्नई-कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनतीस) का०आ० 709(अ) जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंश्व प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (हैदराबाद-विजयवाडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तीस) का०आ० 757(अ) जो 18 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंश्व प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा-करनुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकतीस) का०आ० 746(अ) जो 18 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंश्व प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा-करनुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बत्तीस) का०आ० 807(अ) जो 22 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंश्व प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-65) (हैदराबाद-विजयवाडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तैनीस) का०आ० 619(अ) जो 11 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंश्व प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा-करनुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौंतीस) का०आ० 475(अ) जो 27 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंश्व प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 202 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-163) (यादगिरि-वारंगल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (पैंतीस) का०आ० 768(अ) जो 18 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-5) (चेन्नई-कोलकाता खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छत्तीस) का०आ० 755(अ) जो 18 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 (कडपा-करनुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सौंतीस) का०आ० 481(अ) जो 27 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 एवं 7 (कडपा-करनुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अङ्गतीस) का०आ० 1226(अ) जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनतालीस) का०आ० 1227(अ) जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चालीस) का०आ० 1228(अ) जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28, 31 और 731 के विभिन्न खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंप दिया गया है।
- (इकतालीस) का०आ० 1229(अ) जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बयालीस) का०आ० 1230(अ) जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि सीमा सङ्करण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 102क, 102ख और 137 के विकास और अनुरक्षण कार्य करेगा।

- (तैंतालीस) का०आ० 1400(अ) जो 31 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (चवालीस) का०आ० 1401(अ) जो 31 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पैंतालीस) का०आ० 1402(अ) जो 31 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छियालीस) का०आ० 1463(अ) जो 6 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सैंतालीस) का०आ० 1534(अ) जो 14 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अड़तालीस) का०आ० 985(अ) जो 17 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 848क को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया गया है।
- (उनचास) का०आ० 20(अ) जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (कुट्टीपुरम-इडापल्ली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचास) का०आ० 22(अ) जो 2 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्यावन) का०आ० 151(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (बावन) का०आ० 1406(अ) जो 31 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08(व्यावर से बघाना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरपन) का०आ० 1407(अ) जो 31 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 (व्यावर से बघाना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौवन) का०आ० 1780(अ) से का०आ० 1783 जो 20 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75ड (सीधी-सिंग्रोली खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचपन) का०आ० 1964(अ) जो 2 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 67) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु जॉइंट कलेक्टर, अनंतपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (छप्पन) का०आ० 1968(अ) जो 2 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 51 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु अडिशनल कलेक्टर, अनंतपुर को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (सत्तावन) का०आ० 1969(अ) जो 2 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 08 (व्यावर से बघाना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अटठावन) का०आ० 2040(अ) जो 5 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1905 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (उनसठ) का०आ० 2041(अ) जो 5 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (फरीदकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (साठ) का०आ० 2044(अ) जो 5 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (फिरोजपुर) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकसठ) का०आ० 984(अ) जो 17 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 221 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु जॉइंट कलेक्टर, खम्मम को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (बासठ) का०आ० 1137(अ) से का०आ० 1139(अ) जो 3 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 64 (पटियाला-भटिंडा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरसठ) का०आ० 1108(अ) जो 1 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 (पंजाब/हरियाणा सीमा खण्ड तक संग्रहर पतरन खननौरी मार्ग) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (चौसठ) का०आ० 955(अ) से का०आ० 957(अ) जो 12 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (शंभुपुरा और नीमबहेरा बाईपास खण्ड सहित चितौड़गढ़ से नीमच सीमा) के विभिन्न खण्डों के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पैसठ) का०आ० 1130(अ) जो 3 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 अक्टूबर, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2441(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (छियासठ) का०आ० 1136(अ) जो 3 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 (अजमेर नागौर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सङ्क्षेप) का०आ० 1389(अ) जो 29 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (ब्यावर-बदाना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अड्सठ) का०आ० 1256(अ) जो 17 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 अगस्त, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1963(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनहत्तर) का०आ० 1333(अ) जो 23 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 मार्च, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 850(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्तर) का०आ० 726(अ) जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (बीरमित्रपुर-बारकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इकहत्तर) का०आ० 976(अ) जो 17 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (बीरमित्रपुर-बारकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (बहत्तर) का०आ० 1279(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (बीरमित्रपुर-बारकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिहत्तर) का०आ० 979(अ) जो 17 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (चौहत्तर) का०आ० 1291(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (अंगुल-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचहत्तर) का०आ० 1292(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छिहत्तर) का०आ० 762(अ) जो 18 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सतहत्तर) का०आ० 1290(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (अंगुल-सम्बलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठहत्तर) का०आ० 905(अ) जो 1 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया एनएच सं० 53) (अंगुल-सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (उनासी) का०आ० 1091(अ) जो 1 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया एनएच सं० 53) (अंगुल-सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अस्सी) का०आ० 1119(अ) जो 2 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया एनएच सं० 53) (अंगुल-सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (इक्यासी) का०आ० 1236(अ) जो 16 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6

(नया एनएच सं 53) (अंगुल-सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (बयासी) का०आ० 1270(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया एनएच सं 53) (अंगुल-सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरासी) का०आ० 1416(अ) जो 4 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया एनएच सं 53) (अंगुल-सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौरासी) का०आ० 565(अ) जो 7 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचासी) का०आ० 566(अ) जो 7 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छियासी) का०आ० 571(अ) जो 7 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (अंगुल-सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सतासी) का०आ० 601(अ) जो 11 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठासी) का०आ० 515(अ) जो 5 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (नवासी) का०आ० 897(अ) जो 1 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (अंगुल-सरायपली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (नब्बे) का०आ० 765(अ) जो 18 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 सितंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2258(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इक्ष्यानवे) का०आ० 604(अ) जो 11 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में हैं।
- (बानवे) का०आ० 607(अ) जो 11 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (तिरानवे) का०आ० 679(अ) जो 13 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (चौरानवे) का०आ० 713(अ) जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (बिरमितपुर-बरकोट खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (पचानवे) का०आ० 759(अ) जो 18 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 एक्सटे. (भोपाल-सांची खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (छियानवे) का०आ० 826(अ) जो 25 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रेवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (सतानवे) का०आ० 720(अ) जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (अठानवे) का०आ० 681(अ) जो 13 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रेवा-कटनी-जबलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (निन्यानवे) का०आ० 585(अ) जो 8 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 86 एक्सटे. (भोपाल-सांची खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (सौ) का०आ० 519(अ) जो 6 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (बैतुल-पनधुरना खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ एक) का०आ० 512(अ) जो 5 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69क के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ दो) का०आ० 474(अ) जो 27 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ तीन) का०आ० 1304(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (ग्वालियर-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चार) का०आ० 1305(अ) जो 21 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 और 3 (ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ पांच) का०आ० 1360(अ) जो 24 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (ओबेदुल्लागंज-बेतुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ छह) का०आ० 1441(अ) जो 4 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (शिवपुरी-देवास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ सात) का०आ० 1447(अ) जो 5 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2010 की अधिसूचना संख्या का०आ० 280(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ आठ) का०आ० 1718(अ) जो 17 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (ओबेदुल्लागंज-बेतुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ नौ) का०आ० 1719(अ) जो 17 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (ओबेदुल्लागंज-बेतुल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ दस) का०आ० 1740(अ) जो 18 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (ग्वालियर-शिवपुरी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ ग्यारह) का०आ० 3045(अ) जो 28 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (किशनगढ़-उदयपुर-अहमदाबाद खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ बारह) का०आ० 92(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय

राजमार्ग संख्या 758 (भीलवाड़ा से लादपुरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ तेरह) का०आ० 150(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 (गुलाबपुरा-उनिआरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चौदह) का०आ० 3062(अ) जो 28 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ख (करौली-धोलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ पंद्रह) का०आ० 3064(अ) जो 28 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (भीलवाड़ा से लादपुरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ सोलह) का०आ० 145(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148घ (गुलाबपुरा-उनिआरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ सत्रह) का०आ० 2191(अ) जो 18 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जयपुर-टोंक-देवली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ अठारह) का०आ० 2095(अ) जो 7 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (किशनगढ़-बियावर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ उन्नीस) का०आ० 2587(अ) जो 29 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुडगांव-कोटपुतली-जयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ बीस) का०आ० 2103(अ) जो 8 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 (पदि-दाहोड़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ इकीस) का०आ० 1117(अ) जो 16 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (देवली-झालावाड़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ बाईस) का०आ० 3041(अ) जो 28 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (राजगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ तेरहस) का०आ० 139(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (जयपुर-रींगस खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चौबीस) का०आ० 2079(अ) जो 7 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (झालावाड़-बियोरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ पच्चीस) का०आ० 529(अ) जो 6 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (तारानगर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ छब्बीस) का०आ० 213(अ) जो 19 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 (गुलाबपुरा-उनिआरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ सत्ताईस) का०आ० 506(अ) जो 5 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11

(रींगस-सीकर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ अद्वाईस) का०आ० 3036(अ) जो 28 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (राजगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ उनतीस) का०आ० 3059(अ) जो 28 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 (राजसमन्द-भीलवाड़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ तीस) का०आ० 3034(अ) जो 28 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ख (करौली-धौलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ इकतीस) का०आ० 3029(अ) जो 28 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ख (करौली-धौलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ बत्तीस) का०आ० 3042(अ) जो 28 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (राजगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ तौंतीस) का०आ० 2942(अ) जो 19 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ख (करौली-धौलपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चौंतीस) का०आ० 149(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जयपुर-टोंक-देवली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ पेंतीस) का०आ० 2097(अ) जो 7 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 (पड़ी-दाहोड़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ छत्तीस) का०आ० 2109(अ) जो 8 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुडगांव-कोटपुतली-जयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ सैंतीस) का०आ० 2112(अ) जो 8 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 (प्रतापाड़-पड़ी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ अड़तीस) का०आ० 137(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 (गुलाबपुरा-उनिआरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ उनतालीस) का०आ० 1893(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 (पड़ी-दाहोड़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चालीस) का०आ० 2640(अ) जो 30 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (किशनगढ़-चित्तौड़गढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ इकतालीस) का०आ० 144(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (गुडगांव-कोटपुतली-जयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ बयालीस) का०आ० 2950(अ) जो 19 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8

(गोमति चौराहा से उदयपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ तौतालीस) का०आ० 1309(अ) जो 8 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2(बराकर से पानागढ़ सहित पानागढ़ बाइपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चवालीस) का०आ० 1037(अ) जो 9 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 (हाजीपुर-छपरा-गोपालगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ पैंतालीस) का०आ० 2004(अ) जो 27 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (रांची-रागांव खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ छियालीस) का०आ० 1462(अ) जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (खगड़िया-पूर्णिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ सैंतालीस) का०आ० 2484(अ) जो 13 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (बराकर से पानागढ़ सहित पानागढ़ बाइपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ अड़तालीस) का०आ० 1887(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ उनचास) का०आ० 556(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83

(पटना-गया-डोभी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ पचास) का०आ० 1161(अ) जो 23 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ इक्यावन) का०आ० 2644(अ) जो 30 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 (पटना-गया-डोभी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ बावन) का०आ० 107(अ) जो 20 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (बराकर से पानागढ़ सहित पानागढ़ बाइपास खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ तिरपन) का०आ० 2202(अ) जो 18 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चौबन) का०आ० 1139(अ) जो 21 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 (मोकामा-मुंगेर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ पचपन) का०आ० 2557(अ) जो 11 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 (पटना-बरियारपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ छप्पन) का०आ० 670(अ) जो 29 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ सतावन) का०आ० 889(अ) जो 21 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (खगड़िया-पुरिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ अठावन) का०आ० 1971(अ) जो 25 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 (मोकामा-मुंगेर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ उनसठ) का०आ० 2563(अ) जो 11 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31घ के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ साठ) का०आ० 2581(अ) जो 29 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (फरक्का-रायगंज खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ इक्सठ) का०आ० 855(अ) जो 22 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (हजारीबाग-इंद्रा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ बासठ) का०आ० 1885(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बरासत-बेहरामपुर खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ तिरसठ) का०आ० 2472(अ) जो 13 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (बरही-हजारीबाग खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चौसठ) का०आ० 1762(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 79 (किशनगढ़-चितौड़गढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ पैंसठ) का०आ० 2122(अ) जो 8 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 (प्रतापगढ़-पड़ी खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ छियासठ) का०आ० 745(अ) जो 4 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (देवली-कोटा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ सङ्क्षिप्त) का०आ० 2625(अ) जो 30 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148घ (मंडल खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ अड़सठ) का०आ० 1820(अ) जो 14 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (जयपुर-टॉक-देवली खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ उनहतर) का०आ० 152(अ) जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79क और 79 (किशनगढ़-चितौड़गढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ सत्तर) का०आ० 2229(अ) जो 20 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (किशनगढ़-चितौड़गढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ इकहतर) का०आ० 1751(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (जयपुर-किशनगढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ बहत्तर) का०आ० 2631(अ) जो 30 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148घ (भीम खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ तिहत्तर) का०आ० 1872(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (फतेहपुर-अम्बाला खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ चौहत्तर) का०आ० 1756(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (किशनगढ़-चितौड़गढ़ खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ पचहत्तर) का०आ० 2747(अ) जो 8 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 (बेरहामपुर-फरक्का खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ छिहत्तर) का०आ० 1884(अ) जो 17 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31ग के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ सतहत्तर) का०आ० 1790(अ) जो 9 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 (राँची-रागांव खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ अठहत्तर) का०आ० 1752(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ उनासी) का०आ० 2488(अ) जो 13 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (मुजफ्फरपुर-पूर्णिया खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

- (एक सौ अस्सी) का० आ० 1760(अ) जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 (किशनगढ़-चितौड़गढ़) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ इक्यासी) का० आ० 2167(अ) जो 13 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 घ (किशनगढ़-चितौड़गढ़) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।
- (एक सौ बयासी) का० आ० 1729(अ) जो 25 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 जून, 2008 की अधिसूचना संख्या का० आ० 1428(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ तिरासी) का० आ० 3050(अ) जो 28 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का० आ० 2798(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ चौरासी) का० आ० 110(अ) जो 8 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 अगस्त, 2012 की अधिसूचना संख्या का० आ० 1813(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ पचासी) का० आ० 2985(अ) जो 22 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 15 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का० आ० 2367(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ छियासी) का० आ० 2646(अ) जो 30 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या का० आ० 2798(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ सतासी) का० आ० 2626(अ) जो 30 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या का० आ० 2167(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (एक सौ अठासी) का० आ० 2669(अ) जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या का० आ० 1367(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (एक सौ नवासी) का० आ० 2936(अ) जो 19 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79क के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ नब्बे) का० आ० 2937(अ) जो 19 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ इक्यानवे) का०आ० 612 (अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ख के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ बानवे) का०आ० 470(अ) जो 27 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु जिला भूमि अर्जन अधिकारी, रँची को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ तिरानवे) का०आ० 524(अ) जो 6 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु जिला भूमि अर्जन अधिकारी, रँची को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ चौरानवे) का०आ० 2656(अ) जो 25 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु जिला भूमि अर्जन अधिकारी, हजारीबाग, झारखण्ड को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ पचानवे) का०आ० 2237(अ) जो 20 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2

के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु जिला भूमि अर्जन अधिकारी, गया को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।

- (एक सौ छियानवे) का०आ० 1518(अ) जो 6 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 102 (छपरा-रीवा-घाट-मुजफ्फरपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ सतानवे) का०आ० 1919(अ) जो 21 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ अठानवे) का०आ० 2106(अ) जो 8 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (एक सौ निन्यानवे) का०आ० 2334(अ) जो 28 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किए जाने के बारे में है।
- (दो सौ) का०आ० 613(अ) जो 27 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 14 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2789(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है (केवल हिन्दी संस्करण)।
- (16) पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 160 के अंतर्गत पेटेंट (संशोधन) नियम, 2013 जो 23 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1029(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि 19 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के शेष कार्यकाल के लिए इस समिति के साथ सहयोगित होने के लिए राज्य सभा से सेवानिवृत्त श्री डॉ राजा के स्थान पर राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने हेतु लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उहोंने उक्त समिति के लिए विधिवत पुनः निर्वाचित किए गए राज्य सभा के सदस्य श्री डॉ राजा के नाम की सूचना भी दी।

6. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ बलीराम ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

प्रो॰ शेख सैदुल हक ने 'राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान विधेयक, 2013' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का 111वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

8. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने "निर्वाचन सुधार-राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तथा दल-बदल निरोध विधि" के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 61वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वस्त्र मंत्री ने वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) गृह मंत्री ने मुम्बई गैंगरेप की घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया।

*अपराह्न 12.07 बजे

10. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने देश में बढ़ती हुई गैंगरेप की घटनाओं के बारे में निवेदन किए:—

1. श्रीमती सुषमा स्वराज
 2. श्री शरद यादव
 3. श्री गुरुदास दासगुप्त
- श्री सुशील कुमार शिंदे ने उत्तर दिया।

(व्यवधानों के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.36 बजे स्थगित हुई और

अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री प्रेमचन्द गुड्डु द्वारा गैर-सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें को पूरी तरह मेरिट के आधार पर भरे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री हेमानंद बिसवाल द्वारा उड़ीसा में सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री सुरेश कलमाडी द्वारा पुणे में हडपसर रेलवे स्टेशन पर एक अतिरिक्त टर्मिनल बनाए जाने हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री नारायण सिंह अमलाबे द्वारा आम आदमी बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत परिवार के सभी व्यस्क सदस्यों को बीमा सुरक्षा प्रदान किए जाने और इन योजनाओं के अंतर्गत बीमा दावों का त्वरित निपटान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) डॉ चाल्स डिएस द्वारा ओडिशा के कंधमाल जिले में 2008 में हुई धार्मिक हिंसा से प्रभावित लोगों को न्याय सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 12.36 बजे तक, सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (6) श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा राज्य सरकारों के विभागों में निःशक्त लोगों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भेरे जाने हेतु राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री पी० विश्वनाथन द्वारा चेन्नै से चिंगलपुट के बीच चलने वाली रेल सेवा को कांचीपुरम तक बढ़ाए जाने और कांचीपुरम रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के सीतामढ़ी जिले में सुप्पी में पुलिस थाना स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव द्वारा रेल कर्मचारियों के लिए एक पृथक बैंक स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) डॉ० संजय जायसवाल द्वारा पिपरा-कोठी और रक्सौल से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 के दोहरीकरण कार्य और छपवा से बेतिया के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28ख के मरम्मत कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्रीमती दर्शना जरदोश द्वारा राज्य सरकारों की उपलब्धियों का भी दूरदर्शन पर प्रचार किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री भीष्मशंकर उर्फ कुशल तिवारी द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषकर संत कबीर नगर जिले में बाढ़ के पश्चात बीमारियां फैलने के गंभीर खतरे को देखते हुए तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) प्रो० सौगत राय द्वारा एक पृथक राज्य के लिए हो रहे आंदोलन के कारण पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्रीमती जे० हेलन डेविडसन द्वारा ‘समुद्र से होने वाली आपदा’ को भी प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री पुलीन बिहारी बासके द्वारा पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री जयंत चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के बाढ़ से तबाह हुए क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्य शुरू किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री राजू शेट्टी द्वारा ओलंपिक कुश्ती खिलाड़ी खसाबा जाधव को पदम पुरस्कार से सम्मानित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

\$12. सांविधिक संकल्प — वापस लिया गया

लिया गया समय : 8 घंटे 45 मिनट

श्री प्रबोध पांडा द्वारा 13 अगस्त, 2013 को पेश किए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:—

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जुलाई, 2013 को प्रख्यापित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 7) का निरन्मोदन करती है”।

जैसा कि नीचे पैरा 13 में सूचित किया गया है, चर्चा के पश्चात् संकल्प को सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

\$13. सरकारी विधेयक — पारित किया गया

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013

प्रौं के^{१०} थॉमस द्वारा 13 अगस्त, 2013 को पेश विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प पर संयुक्त वाद-विवाद (उपयुक्त पैरा 12 देखें) और विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव में भाग लिया:—

1. श्री प्रबोध पांडा
2. डॉ मुरली मनोहर जोशी
3. श्रीमती सोनिया गांधी
4. श्री मुलायम सिंह यादव
5. श्री दारा सिंह चौहान
6. श्री शरद याव
- *7. श्री पी० विश्वनाथन
- *8. श्री रूद्रमाधव राय
- *9. श्री ए० गणेशमूर्ति
- *10. श्री जोस के० मणि
- *11. श्री जे० एम० आरून रशीद

^{१०}एक साथ चर्चा की गई।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *12. श्री शिवराम गौडा
- *13. श्री सुखदेव सिंह लिब्रा
- *14. श्री आर० ध्रुवनारायण
- *15. श्रीमती रमा देवी
- *16. श्री पी० आर० नटराजन
- *17. श्री हरिभाऊ जावले
- 18. श्री कल्याण बनर्जी
- *19. श्री राजू शेट्टी
- *20. श्री एस० सेम्मलई
- *21. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर
- 22. श्री टी० आर० बालू
- *23. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट
- *24. श्री सतपाल महाराज
- *25. श्री शेख सैदुल हक
- 26. एड्वोकेट ए० सम्पत
- *27. श्री हर्ष वर्धन
- *28. डॉ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
- *29. श्री जितेन्द्र सिंह मलिक
- 30. श्री भर्तृहरि महताब
- *31. श्री अर्जुन मेघवाल
- *32. श्री निखिल कुमार चौधरी
- *33. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
- *34. श्री नारनभाई काछड़िया
- *35. श्रीमती दर्शन विक्रम जरदोश
- *36. श्री ए०टी० नाना पाटील

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *37. डॉ बलीराम
- *38. श्री गणेश सिंह
- *39. श्री शैलेन्द्र कुमार
- 40. श्री अनंत गंगाराम गीते
- *41. श्री पोन्नम प्रभाकर
- *42. श्री सी० सिवासामी
- *43. श्री दिलीप गांधी
- *44. श्री हंसराज गं० अहीर
- 45. श्री प्रफुल पटेल
- *46. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
- *47. श्री एंटो एंटनी
- *48. श्री दिनेश चन्द्र यादव
- *49. श्री बालकृष्ण के० शुक्ला
- *50. श्री अशोक अर्गल
- 51. डॉ० एम० तम्बिदुरई
- *52. प्रो० राम शंकर कथीरिया
- *53. श्री महेन्द्रसिंह पी० चौहाण
- *54. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
- 55. श्री नामा नागेश्वर राव
- *56. श्री पी० डी० राय
- *57. श्री संजय धोत्रे
- *58. श्री सोहन पोटाई
- 59. श्री पी० टी० थॉमस
- 60. श्री जयंत चौधरी
- *61. श्री पी० करुणाकरन

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *62. श्री पी० एल० पुनिया
- *63. श्री विजय बहादुर सिंह
- *64. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
- *65. श्री गजानन डी० बाबर
- *66. श्री तूफानी सरोज
- *67. श्री रामशंकर राजभर
- *68. श्री रामसिंह राठवा
- *69. श्री लालू प्रसाद
- *70. श्री एस० एस० रामासुब्बू
- *71. श्री एस० डी० शारिक
- *72. श्री ओम प्रकाश यादव
- *73. श्री प्रह्लाद वेंकटेश जोशी
- *74. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे
- 75. कुमारी सरोज पाण्डेय
- *76. श्री घनश्याम अनुरागी
- *77. श्री प्रेमदास
- *78. श्री नवीन जिन्दल
- *79. श्री विन्सेंट एच० पाला
- *80. श्री योगी आदित्यनाथ
- 81. श्री जगदम्बिका पाल
- *82. श्री नीलेश एन० राणे
- *83. श्री रतन सिंह
- *84. श्री बलीराम जाधव
- *85. डॉ. चाल्स डिएस
- *86. श्री ई० टी० मोहम्मद बशीर

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *87. श्रीमती ज्योति धुर्वे
 - 88. श्री प्रशांत कुमार मजूमदार
 - *89. डॉ थोकचोम मैन्या
 - 90. श्री असादूद्दीन ओवेसी
 - 91. डॉ तरुण मंडल
 - 92. श्री तिरुमावलावन
 - 93. श्री एस° के० बैसीमुथियारी
 - *94. श्री वीरेन्द्र कुमार
 - *95. डॉ (श्रीमती) बोचा झांसी लक्ष्मी
 - 96. श्रीमती जयप्रदा
 - *97. श्री सी० राजेन्द्रन
 - *98. श्री ओ० एस० मणियन
 - *99. श्री कमलेश्वर बैठा
 - *100. डॉ अजय कुमार
 - *101. श्री सुरेश अंगड़ी
 - *102. श्री राकेश सचान
 - *103. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
 - *104. डॉ (प्रो०) प्रसन्न कुमार पाटसाणी
 - *105. श्री अब्दुल रहमान
 - *106. डॉ अरविन्द कुमार शर्मा
- प्रो० के० वी० थॉमस ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया ।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ ।

एडवोकेट ए० सम्पत द्वारा खंड 2 में संशोधन सं० 9 से 13 पेश किया गया, सभा में मत-विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार था : #पक्ष में, 172, #विपक्ष में 239, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुए ।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए ।

#शुद्धि के अध्यधीन ।

श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा खंड 2 में संशोधन सं° 99 और 100 पेश किए गए, सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था : #पक्ष में 141, #विपक्ष में 277, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुए।

खंड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

प्रौं के वीं थॉमस ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 291 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए”।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 में संशोधन स्वीकृत हुआ।

एडवोकेट एं सम्पत द्वारा खंड 3 में संशोधन सं° 14 से 16 पेश किए गए, सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 149, #विपक्ष में 259, तदनुसार, संशोधन अस्वीकृत हुए।

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खंड 3 में संशोधन सं° 88 और 89 पेश किए गए, सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था : #पक्ष में 144, #विपक्ष में 241, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुए।

श्री एस° सेमलई द्वारा खंड 3 में संशोधन सं° 194 पेश किया गया, सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 138; #विपक्ष में 266, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 3 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा खंड 4 में संशोधन सं° 170 पेश किया गया, सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 147; #विपक्ष में 255, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

#शुद्धि के अध्यक्षीन।

खंड 4 स्वीकृत हुआ ।

श्री भर्तृहरि महाताब द्वारा खंड 5 में संशोधन सं° 91 पेश किया गया, सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 145; #विपक्ष में 254, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ ।

खंड 6 स्वीकृत हुआ ।

खंड 7 स्वीकृत हुआ ।

श्री भर्तृहरि महाताब द्वारा खंड 8 में संशोधन सं° 92 पेश किया गया, सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 155; #विपक्ष में 244, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

श्रीमती सुषमा स्वराज खंड 8 पर बोलीं और खंड 8 के स्वीकृत होने पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 252; #विपक्ष में 141, तदनुसार, खंड 8 स्वीकृत हुआ ।

खंड 9 स्वीकृत हुआ ।

खंड 10, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

खंड 11 स्वीकृत हुआ ।

डॉ मुरली मनोहर जोशी द्वारा पेश किए गए खंड 12 में संशोधन सं° 189 पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम था: #पक्ष में 117, #विपक्ष में 284, तदनुसार, संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

खंड 12, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ ।

खंड 13 स्वीकृत हुआ ।

खंड 14 स्वीकृत हुआ ।

खंड 15 स्वीकृत हुआ ।

खंड 16 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

खंड 17 स्वीकृत हुआ ।

खंड 18 स्वीकृत हुआ ।

खंड 19 से 21 स्वीकृत हुए ।

डॉ एम° तमिदुर्रई द्वारा पेश किए गए खंड 22 में संशोधन संख्या 5 पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम था: #पक्ष में 114, #विपक्ष में 250, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

श्री भर्तृहरि महाताब द्वारा पेश किए गए खंड 22 में संशोधन संख्या 283 पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम था: #पक्ष में 109, #विपक्ष में 235, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 22 स्वीकृत हुआ।

श्री एस० सेम्पलर्ड द्वारा पेश किए गए खंड 23 में संशोधन संख्या 7 पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम था: #पक्ष में 110, #विपक्ष में 249, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 23 स्वीकृत हुआ।

खंड 24 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 25 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 26 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 27 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 28 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 29 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 30 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 31 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 32 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 33 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 34 से 36 स्वीकृत हुए।

खण्ड 37, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुषमा स्वराज खण्ड 38 पर बोलीं और खण्ड 38 के स्वीकृत होने पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम था: #पक्ष में 241, #विपक्ष में 109, तदनुसार, खण्ड 38 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 39, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खण्ड 40 से 43 स्वीकृत हुए।

श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा पेश किए गए खण्ड 44 में संशोधन संख्या 377 पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम था: #पक्ष में 113, #विपक्ष में 235, तदनुसार, संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 44 स्वीकृत हुआ ।
 खण्ड 45 स्वीकृत हुआ ।

एडबोकेट ए० संपत द्वारा पेश की गई अनुसूची 1 में संशोधन संख्या 51 से 54 पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम था: #पक्ष में 100, #विपक्ष में 234, तदनुसार, संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा अनुसूची 1 में संशोधन सं० 97 पेश किया गया, सभा में मत-विभाजन हुआ और और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 117, #विपक्ष में 232, तदनुसार, संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

श्री निशिकांत दुबे द्वारा खंड 5 में संशोधन सं० 272 पेश किया गया, सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 102, #विपक्ष में 227, तदनुसार, संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अनुसूची 1 स्वीकृत हुई ।

अनुसूची 2 यथासंशोधित, स्वीकृत हुई ।

अनुसूची 3 स्वीकृत हुई ।

खण्ड 11 स्वीकृत हुआ ।

डॉ मुरली मनोहर जोशी द्वारा खंड 12 में संशोधन सं० 189 पेश किया गया, सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 117, #विपक्ष में 284, तदनुसार, संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

खंड 12, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 13 स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 14 स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 15 स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 16, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 17 स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 18 स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 19 से 21 स्वीकृत हुए ।

डॉ एम० तम्बिदुर्ई द्वारा खण्ड 22 में संशोधन सं० 5 पेश किया गया, सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 114, #विपक्ष में 250, तदनुसार, संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खण्ड 22 में संशोधन सं 283 पेश किया गया, सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 109, #विपक्ष में 235, तदनुसार, संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 22 स्वीकृत हुआ।

श्री एस० सेम्पलर्ड द्वारा खण्ड 23 में संशोधन सं 7 पेश किया गया, सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 110; #विपक्ष में 249, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 23 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 24 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 25 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 26 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 27 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 28 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 29 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 30 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 31 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 32 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 33 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 34 से 36 स्वीकृत हुए।

खण्ड 37, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुषमा स्वराज खण्ड 38 पर बोलीं और खण्ड 38 के स्वीकृत होने पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 241, #विपक्ष में 109, तदनुसार, खण्ड 38 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 39, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 40 से 43 स्वीकृत हुए।

श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा खण्ड 44 में संशोधन सं 317 पेश किया गया, सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 113, #विपक्ष में 235, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 44 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 45 स्वीकृत हुआ।

एडवोकेट ए० सम्पत द्वारा अनुसूची 1 में संशोधन सं० 51 से 54 पेश किए गए सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 100; #विपक्ष में 234, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुए।

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा अनुसूची 1 में संशोधन सं० 97 पेश किया गया सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 117; #विपक्ष में 232, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री निशिकांत दुबे द्वारा खंड 5 में संशोधन सं० 272 पेश किया गया सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 102; #विपक्ष में 227, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अनुसूची 1 स्वीकृत हुई।

अनुसूची 2 यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

अनुसूची 3 स्वीकृत हुई।

प्र० के० वी० थॉमस ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 की सरकारी संशोधन संख्या 299 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए”।

नई अनुसूची IV अंतः स्थापित किए जाने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नई अनुसूची IV भी स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

प्र० के० वी० थॉमस ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

रात्रि 10.46 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 27 अगस्त, 2013 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी०के० विश्वानाथन,
महासचिव।

#शुद्धि के अध्यधीन।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद, 1935 (शक)

संख्या 328

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241–244 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 245–256 और 258–260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761–2775, 2777–2805, 2807–2944, 2946–2960 और 2962–2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दि आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दि आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दि आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) सेंटर फॉर कल्चरल रिसॉर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर कल्चरल रिसॉर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेसन एण्ड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेसन एण्ड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —
- (एक) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010, 2010-2011 और 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश अधिनियम, 1985 के खण्ड 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का० आ० 1194(अ) जो 10 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इसके अंतर्गत जारी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 सितम्बर, 2013 तक इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट

विनिर्माता उनके द्वारा उत्पादित उर्वरकों का तथा उसमें विनिर्दिष्ट मात्रा में खरीफ मौसम 2013 के दौरान अनुसूची में तदनुरूप प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में विक्रय करने के निदेश दिए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०13/23/2009/ एचपी-1/स्था०/6711-6716 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०13/16/2003/ एचपी-1/स्था०/6717-6722 में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०13/30/2009/ एचपी-1/स्था०/6693-6698 में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०13/29/2009/ एचपी-1/स्था०/6699-6704 में प्रकाशित हुए थे।
 - (पांच) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०13/12/2003/ एचपी-1/स्था०/6705-6710 में प्रकाशित हुए थे।
 - (छह) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०13/19/2003/ एचपी-1/स्था०/6675-6680 में प्रकाशित हुए थे।
 - (सात) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०13/32/2009/ एचपी-1/स्था०/6681-6686 में प्रकाशित हुए थे।
 - (आठ) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०13/10/2005/ एचपी-1/स्था०/6687-6692 में प्रकाशित हुए थे।

- (नौ) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०13/28/2009/एचपी-1/स्था०/6657-6662 में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०13/15/2003/एचपी-1/स्था०/6663-6668 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ०13/22/2003/एचपी-1/स्था०/6669-6674 में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 9 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 5/80/88/एचपी-1/स्था०/6741-6746 में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 9 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 13/14/2003/एचपी-1/स्था०/6747-6752 में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 9 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 13/34/2009/एचपी-1/स्था०/6723-6728 में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 9 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 13/33/2006/एचपी-1/स्था०/6729-6734 में प्रकाशित हुए थे।
- (सोलह) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 9 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 13/23/2003एचपी-1/स्था०/6735-6740 में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्रह) दिल्ली पुलिस (पदोन्ति और पुष्टि) (संशोधन) नियम, 2013, जो 9 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 16/3/2012एचपी-1/स्था०/6769-6774 में प्रकाशित हुए थे।
- (अठारह) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 9 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 13/21/2003एचपी-1/स्था०/6753-6758 में प्रकाशित हुए थे।

- (उनीस) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 9 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 13/12/94/एचपी-1/स्था०/6759-6764 में प्रकाशित हुए थे।
- (बीस) दिल्ली पुलिस (पदोन्ति और पुष्टि) (संशोधन) नियम, 2012, जो 21 सितम्बर, 2012 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 16/5/2010एचपी-1/ स्था०/3323-3326 में प्रकाशित हुए थे।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) विदेशी विषयक आदेश, 1948 के खण्ड 2 के उप-खण्ड (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) का०आ० 996(अ), जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आव्रजन अधिकारी, नागपुर को महाराष्ट्र राज्य में नागपुर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की अधिकारिता के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ 30.4.2013 से “सिविल प्राधिकारी” के रूप में नियुक्त किया गया है।
 - (दो) का०आ० 997(अ), जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आव्रजन अधिकारी, मंगलोर को कर्नाटक राज्य में मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की अधिकारिता के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ 30.4.2013 से “सिविल प्राधिकारी” के रूप में नियुक्त किया गया है।
 - (तीन) का०आ० 998(अ), जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आव्रजन अधिकारी, पुणे को महाराष्ट्र राज्य में पुणे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की अधिकारिता के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ 30.4.2013 से “सिविल प्राधिकारी” के रूप में नियुक्त किया गया है।
 - (चार) का०आ० 999(अ), जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आव्रजन अधिकारी, जयपुर को राजस्थान राज्य में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की अधिकारिता के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ 30.4.2013 से “सिविल प्राधिकारी” के रूप में नियुक्त किया गया है।

- (21) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 36 के अंतर्गत भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2013 जो 18 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 2186(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) संविधान के अनुच्छेद 338 की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005–2006 का दूसरा वार्षिक प्रतिवेदन।
 - (ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली 2005–2006 की अवधि के लिए दूसरे वार्षिक प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइंड पैरा मेडिकल स्टाफ, समूह ‘ख’ (अराजपत्रित) पद, भर्ती नियम, 2012, जो 25 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 49(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) सशस्त्र सीमा बल समूह ‘क’ कम्बैटाइंड (राजपत्रित) मिनिस्टरियल एण्ड प्राइवेट सेक्रेटरी कैडर पद भर्ती नियम, 2012, जो 20 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 910(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) सशस्त्र सीमा बल समूह ‘क’ कम्बैटाइंड (सामान्य ड्यूटी) सेकेण्ड-इन-कमांड, डिप्टी कमांडेंट एण्ड असिस्टेंट कमांडेंट पद भर्ती नियम, 2012, जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 530(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइंड असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (सामान्य ड्यूटी) समूह ‘ग’ पद भर्ती नियम, 2011, जो 9 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 607(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (पांच) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड इंस्पेक्टर, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, मिनिस्टरियल (अराजपत्रित) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011, जो 28 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 607(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड कम्यूनिकेशन कैडर समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2012, जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 356(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) सशस्त्र सीमा बल जज अटार्नी जनरल (डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल), एडिशनल जज अटार्नी जनरल (कमांडेंट), डिप्टी जज अटार्नी जनरल (डिप्टी कमांडेंट) जज अटार्नी (असिस्टेंट कमांडेंट) भर्ती नियम, 2012, जो 23 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 104(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड (सामान्य डयूटी) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2012, जो 17 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 571(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड मेडिक्स कैडर (नॉन-प्रोफेशनल) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012, जो 9 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 348(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड पैरा-मेडिकल स्टाफ समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011, जो 29 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 730(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड ड्राट्समैन कैडर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013, जो 1 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 350(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) सशस्त्र सीमा बल समूह 'क' कम्बैटाइज्ड वेट्रीनरी ऑफिसर्स, भर्ती नियम, 2013, जो 10 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 17(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ख' कम्बैटाइज्ड आर्मरर कैडर पद भर्ती नियम, 2012, जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 357(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (चौदह) सशस्त्र सीमा बल समूह ‘ग’ कम्बैटाइंड (अराजपत्रित) पैरा-वेट्रीनरी पद (संशोधन) भर्ती नियम, 2012, जो 29 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 235(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइंड इंस्पेक्टर (वेट्रीनरी) अराजपत्रित समूह ‘ख’ पैरा-वेट्रीनरी कैडर भर्ती नियम, 2012, जो 28 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 179(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सोलह) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइंड कांस्टेबल (ड्राईवर) समूह ‘ग’ पद भर्ती नियम, 2012, जो 20 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 254(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्रह) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइंड सब-इंस्पेक्टर (सामान्य ड्रूटी) समूह ‘ख’ अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2013, जो 5 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 68(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (अठारह) सशस्त्र सीमा बल, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (आशुलिपिक) एण्ड हेड कांस्टेबल (मिनिस्टरियल), भर्ती नियम, 2013, जो 19 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 178(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (उन्नीस) सशस्त्र सीमा बल समूह ‘क’ कम्बैटाइंड (सामान्य ड्रूटी) डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एण्ड कमांडेंट पद भर्ती नियम, 2013, जो 18 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 380(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बीस) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइंड (कम्युनिकेशन ग्रुप ‘क’ पद) भर्ती नियम, 2013, जो 19 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 179(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (25) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) सीमा सुरक्षा बल कम्बैटाइंड कांस्टेबल (दफ्तरी) समूह ‘ग’ पद भर्ती नियम, 2012, जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 529(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) सीमा सुरक्षा बल, प्रूफ रीडर कम्बैटाइज्ड पद भर्ती नियम, 2012, जो 16 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 143(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सीमा सुरक्षा बल कम्बैटाइज्ड असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (आशुलिपिक) एण्ड हेड कंस्टेबल (मिनिस्ट्रेरियल), भर्ती नियम, 2013, जो 8 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 206(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) सीमा सुरक्षा बल, समूह 'क' (सामान्य ड्यूटी ऑफिसर्स) भर्ती संशोधन नियम, 2010, जो 28 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 25 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) सीमा सुरक्षा बल (प्रिंटिंग प्रेस समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012, जो 21 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 21 में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) सीमा सुरक्षा बल योद्धक पैरा-चिकित्सीय कर्मचारिवृद्ध भर्ती नियम, 2013 जो 22 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाण्ठि 37(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) सीमा सुरक्षा बल (इंजीनियरी अधिकारी) भर्ती नियम, 2012 जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाण्ठि 358(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) सीमा सुरक्षा बल जल स्कंध समूह 'ख' (योधक तकनीकी कर्मचारिवृद्ध) पद, भर्ती नियम, 2012 जो 27 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाण्ठि 326(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) सीमा सुरक्षा बल वायु स्कंध स्टोरमेन संवर्ग अराजपत्रित (योधक) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2012 जो 24 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाण्ठि 316(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) सीमा सुरक्षा बल समूह 'क' (जनरल ड्यूटी अधिकारी) भर्ती नियम, 2012 जो 8 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाण्ठि 436(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (ग्यारह) सीमा सुरक्षा बल जल स्कंध समूह 'क' (तकनीकी कर्मचारिवृद्धि) पद, भर्ती नियम, 2012 जो 11 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाण्डि 7(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) सीमा सुरक्षा बल योधक (हिन्दी अनुवादक) संवर्ग भर्ती नियम, 2012 जो 21 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाण्डि 16(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) सीमा सुरक्षा बल वायु स्कंध अराजपत्रित (योधक) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2012 जो 10 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाण्डि 4(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय, सहायक सब-इंस्पेक्टर (ड्राफ्ट्समैन ग्रेड III), प्रचालन निदेशालय (योधक) भर्ती नियम, 2012 जो 6 दिसंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाण्डि 879(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) सीमा सुरक्षा बल चिकित्सा संवर्ग, समूह 'ग' पद (योधक) भर्ती नियम, 2011 जो 24 दिसंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाण्डि 341(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सोलह) सीमा सुरक्षा बल जल स्कंध समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2013 जो 12 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाण्डि 165(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सत्रह) सीमा सुरक्षा बल (योधक आशुलिपिक संवर्ग) समूह 'क' और 'ख' पद, भर्ती नियम, 2011 जो 19 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाण्डि 317(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (अठारह) सीमा सुरक्षा बल इंस्पेक्टर (लाइब्रेरियन) (योधक अराजपत्रित समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2012 जो 8 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाण्डि 751(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (उन्नीस) गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल, संचार (अराजपत्रित) संवर्ग भर्ती नियम, 2012 जो 2 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाण्डि 331(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (बीस) सीमा सुरक्षा बल (इंजिनियरी/विद्युत) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2012 जो 14 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाणि० 10(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (इक्कीस) सीमा सुरक्षा बल जनरल ड्यूटी संवर्ग (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2012 जो 15 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाणि० 149(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका शुद्धिपत्र 4 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाणि० 14(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (बाईस) सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह 'क' और समूह 'ख' पद (गैर-योधक) भर्ती नियम, 2013 जो 21 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाणि० 182(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तैर्झस) सीमा सुरक्षा बल (इंजिनियरी/विद्युत) समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2012 जो 15 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाणि० 150(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौबीस) सीमा सुरक्षा बल वायु स्कंध अधिकारी (समूह 'क' योधक पद) भर्ती नियम, 2011 जो 12 नवंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाणि० 806(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पच्चीस) सीमा सुरक्षा बल योधक पैरा-चिकित्सीय समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाणि० 455(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (26) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत धारा 18 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी संवर्ग) (अराजपत्रित पुरुष और महिलाएं) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 जो 23 दिसंबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाणि० 893(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक निदेशक (राजभाषा) समूह 'क' (गैर-योधक पद) भर्ती नियम, 2013 जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं सांकाणि० 462(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (27) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, असिस्टेन्ट फाइनेंशियल एडवाइजर, भर्ती नियम, 2012 जो 5 नवंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 809(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2013 जो 12 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 485(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, अग्नि स्कंध, कान्स्टेबल (ड्राइवर कम पम्प ऑपरेटर) भर्ती नियम, 2013 जो 6 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 287(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध, कान्स्टेबल (ड्राइवर) भर्ती नियम, 2013 जो 6 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 288(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (28) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) कांआ० 1164(अ) जो 7 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता के लिए ‘न्यायाधीश’ की नियुक्त किए जाने के बारे में है।
 - (दो) कांआ० 2078(अ) जो 8 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता के लिए ‘न्यायाधीश’ की नियुक्त किए जाने के बारे में है।
 - (तीन) कांआ० 2079(अ) जो 8 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता के लिए ‘न्यायाधीश’ की नियुक्त किए जाने के बारे में है।

- (चार) का०आ० 2080(अ) जो 8 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता के लिए 'न्यायाधीश' की नियुक्त किए जाने के बारे में है।
- (पांच) का०आ० 2108(अ) जो 9 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता के लिए 'न्यायाधीश' की नियुक्त किए जाने के बारे में है।
- (छह) का०आ० 2349(अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से मामलों के संचालन के लिए लोक अभियोजनों की नियुक्त किए जाने के बारे में है।
- (29) सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मर्गनट भूमि पर स्थिर प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों का दमन अधिनियम, 2002 की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 1530(अ) जो 14 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मर्गनट भूमि पर स्थिर प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों का दमन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के पुलिस उपाधीक्षक श्री पी० विक्रमन और श्री वी०के० अब्दुल कादर को शक्तियां प्रदान किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (क) (एक) महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) पंजाब कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) पंजाब कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैन्डीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैन्डीकैप्ड, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसएबिलिटिज, चेनई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसएबिलिटिज, चेनई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द वीजुअली हैन्डीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द वीजुअली हैन्डीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (38) (एक) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रीहैब्लिटेशन ट्रैनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रीहैब्लिटेशन ट्रैनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर द फिजिकली हैन्डीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर द फिजिकली हैन्डीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द मैन्टली हैन्डीकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द मैन्टली हैन्डीकैप्ड, सिकन्दराबाद के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थित होने की अनुमति प्रदान की गई:—

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| (1) श्री वाई एस० जगनमोहन रेड्डी | 22.4.2013 से 08.05.2013 |
| (2) श्री सदाशिव डी० मांडलिक | 05.08.2013 से 30.08.2013 |

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा ने 26 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित कर दिया।

6. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2013

7. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री राव इंद्रजीत सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-2012) के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर 29वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत डाकघरों द्वारा श्रमिकों को मजदूरी का संदाय’ विषय पर समिति के 25वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर 35वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर 38वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की ‘अनुदानों की मांगों (2012-2013)’ के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर 39वें की-गई-कार्रवाई

प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

- (5) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2012-2013)' के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर 40वीं की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (6) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2012-2013)' के बारे में समिति के 31वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर 41वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

8. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री राज बब्बर ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'वर्ष 2010-11 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 9वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (2) 'सशस्त्र बलों के लिए मानव संसाधन योजना, जनशक्ति की कमी, हाई-टेक प्रशिक्षण और संरचना को शामिल करना विषयक समिति के 34वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 10वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (3) 'देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण विषय के बारे में समिति के 8वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई; के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 11वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

- (4) 'वर्ष 2011-12 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के 12वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

9. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी० सी० चाको ने विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) का कार्यकरण' विषय पर 30वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का 38वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री पी० सी० चाको ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) 'पारेषण और वितरण प्रणालियां और नेटवर्क' संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2012-13)" संबंधी समिति के 28वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (3) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2012-13)" संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (4) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित "अभिज्ञात गैर-परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की उपलब्धता—उपयोग की तुलना में उनकी क्षमता" संबंधी समिति के

29वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

11. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री एम॰ कृष्णस्वामी ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़क परिवहन का प्रबंधन—मुद्रे और चुनौतियां” के बारे में 198वां प्रतिवेदन।
- (2) “राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास—संभावनाएं और चुनौतियां” के संबंध में 189वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 199वां प्रतिवेदन।
- (3) “केरल में पर्यटन, राष्ट्रीय राजमार्ग और जल परिवहन तथा कोचीन शिपिंग यार्ड लिमिटेड का विकास” के बारे में 200वां प्रतिवेदन।

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012–2013) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013–2014) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (3) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (एक) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012–2013) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति ।
- (दो) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित “राष्ट्रीय भेषज मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)” के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति ।
- (4) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने निम्नलिखित वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—
- (क) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012–2013) के बारे में समिति के 161वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 165वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में ।
- (ख) (i) “चण्डीगढ़ कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें” के बारे में श्री पवन कुमार बंसल, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 32 के संबंध में 6.08.2013 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करना, और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य ।
- (5) कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री की ओर से कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पशुपालन, डेयरी और मात्स्यकी विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013–2014) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 48वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा ।
- (6) कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013–2014) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा ।

अपराह्न 12.06 बजे

13. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यगण, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आवश्यक सरकारी कार्य को पूरा करने के लिए सभा की बैठकें शुक्रवार, 6 सितंबर, 2013 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया है।

यदि सभा सहमत हो, तो हम वर्तमान मानसून सत्र की बैठकों को शुक्रवार 6 सितंबर, 2013 तक बढ़ाएं।”

सभा सहमत हुई।

*अपराह्न 12.25 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन द्वारा देश में आयातित सिल्क धागों पर मूल्यवर्धित कर (वैट) में बढ़ोत्तरी समाप्त किये जाने तथा हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री इज्यराज सिंह द्वारा देश में विशेषकर राजस्थान के कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों के लिए बैंक में बिना किसी कठिनाई के जीरो बैलेंस बचत खाते खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य द्वारा असम में लुम्डिंग से बदरपुर रेलवे लाईन के आमान परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री एंटो एंटोनी द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायकों को स्थायी कर्मचारी बनाये जाने तथा उनके मानदेय में भी वृद्धि किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री आर० ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर जिले में एक सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 12.34 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (7) श्री नारनभाई काळड़िया द्वारा नमक उद्योग में कार्यरत कामगारों के कल्याण हेतु बनायी गई योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने संबंधी गुजरात सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री अनुगग सिंह ठाकुर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में फसलों और वनों को आग से बचाने के लिए गार्ड और फायर वॉचर नियुक्त किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री राधा मोहन सिंह द्वारा बिहार में काफी समय से लंबित विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिराथू भरवाड़ी तथा मनौरी रेलवे स्टेशनों पर महानन्दा एक्सप्रेस (ट्रेन सं 15483/84), कालका मेल (ट्रेन सं 12311/12), सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस (ट्रेन सं 12987/88) तथा मुरी-अमृतसर एक्सप्रेस (ट्रेन सं 18601) का ठहराव प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) डॉ बलीराम द्वारा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में रेल सुविधाओं में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री अब्दुल रहमान द्वारा तमिलनाडु में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का विकास किए जाने और इसे बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री रुद्रमाधव राय द्वारा बाजार में उचित दामों पर जेनरिक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने तथा औषध निर्माताओं से उनकी सीधी सरकारी खरीद किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री चंद्रकांत खेरे द्वारा औरंगाबाद, महाराष्ट्र क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्याप्त पर्यटक सुविधाओं का विकास किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री जगदानन्द सिंह द्वारा बिहार में बक्सर को आकर्षक पर्यटक स्थल बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री पी. लिंगम द्वारा तमिलनाडु में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री बलीराम जाधव द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जिन किसानों को 'वेट-ड्रॉट' के कारण फसलों की हानि हुई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.34 बजे

15. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यगण, श्री गुरुदास दासगुप्त को देश में आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा आरंभ करने हेतु बुलाने से पूर्व मुझे एक संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको ज्ञात है, मैंने सभा को आश्वासन दिया था कि सभा में पहली चर्चा उत्तराखण्ड त्रासदी पर होगी। तथापि, कल हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में नेता विपक्ष एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुरोध के दृष्टिगत मैंने आज आर्थिक स्थिति पर चर्चा किए जाने की अनुमति दे दी है। जैसी कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सहमति हुई थी, उत्तराखण्ड त्रासदी के बारे में मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा 30 अगस्त, 2013 को की जाएगी।”

अपराह्न 12.35 बजे

16. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय : 4 घंटे 28 मिनट

श्री गुरुदास दासगुप्त ने देश में आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा उठाई।

(लोक सभा अपराह्न 1.12 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.15 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.15 बजे

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री भक्त चरण दास
2. श्री यशवंत सिन्हा
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. डॉ बलीराम
5. श्री शरद यादव
6. प्रो० सौगत राय
7. श्री टी०के०ए०इलेंगोवन
8. श्री खगेन दास
9. श्री वैजयंत पांडा
10. डॉ एम० तम्बिदुरई

11. श्री आनंदराव अडसुल
12. श्री नामा नागेश्वर राव
13. श्री संजय सिंह चौहान
14. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
15. श्रीमती पुतुल कुमारी
16. डॉ० तरुण मंडल
17. डॉ० अजय कुमार
18. डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह

श्री पी० चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

*17. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री सुदीप बंदोपाध्याय ने कार्य मंत्रणा समिति का 51वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सायं 6.06 बजे

@18. सांविधिक संकल्प—वापस दिया गया

लिया गया समय : 54 मिनट

प्रो० शेख सैदुल हक ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:—

“कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 29 मई, 2013 को प्रख्यापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है”।

चर्चा के पश्चात्, जैसाकि नीचे पैरा 19 में दर्शाया गया है, सभा की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।

@19. सरकारी विधेयक—पारित

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री पी० चिदम्बरम ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संकल्प (देखिए उपर्युक्त पैरा 18) और विधेयक पर विचार किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर संयुक्त वाद विवाद में भाग लिया:—

*अपराह्न 4.57 बजे।

@एक साथ चर्चा की गई।

1. श्री निशिकांत दुबे
2. श्री सतापल महाराज
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री धनंजय सिंह
5. श्री विश्व मोहन कुमार
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह

श्री पी० चिदम्बरम ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

प्र० शेख सैदुल हक बोले। (अपने सांविधिक संकल्प के उत्तर द्वारा)

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी० चिदम्बरम ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

*रात्रि 8.00 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 29 अगस्त, 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी०के० विश्वानाथन,
महासचिव।

*सायं 7.01 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 29 अगस्त, 2013/7 भाद्रपद, 1935 (शक)

संख्या 329

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने रूपए के मूल्य में निरंतर गिरावट के कारण देश की आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट के बारे में निवेदन किए:—

- श्रीमती सुषमा स्वराज
- श्री मुलायम सिंह यादव
- प्रौं सौगत राय
- श्री शरद यादव
- श्री बसुदेव आचार्य
- डॉ० एम० तमिन्दुरई
- श्री दारा सिंह चौहान
- श्री नामा नागेश्वर राव
- श्री असादूदीन ओवेसी

श्री शेख सैदुल हक सहयोजित हुए।

श्री कमलनाथ ने उत्तर दिया।

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 262 का मौखिक उत्तर दिया गया। तारांकित प्रश्न संख्या 263—280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991—3016 और 3018—3219 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाहन 11.26 बजे स्थगित हुई और
मध्याहन 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

मध्याहन 12.00 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में उल्लेख किया।

अपराह्न 12.01 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2010–2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हॉसपेट के वर्ष 2011–2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(ख) रिचर्ड्सन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011–2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) एसजेवीएन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) दि ब्यूरो ऑफ इनर्जी इफिसिएंसी (हाउसहोल्ड फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रीजरेटर के विवरण और लेबल पर उनके संप्रदर्शन की रीति) संशोधन विनियम, 2013 जो 9 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/11(5)/03-बीई-4 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) दि ब्यूरो ऑफ इनर्जी इफिसिएंसी (रूम एयर कंडीशनर के विवरण और लेबल पर उनके संप्रदर्शन की रीति) संशोधन विनियम, 2013 जो 9 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/11(5)/03-बीई-2 में प्रकाशित हुए थे।
- (8) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्यीय पारेषण और संबंधित मामले में सम्बद्धता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक खुली पहुंच प्रदान करना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 26 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल-1/(3)/2009-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्तें) (पहला संशोधन) विनियम, 2013 जो 3 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/2(2)/2011-स्था०/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) कंपनी निदेशक पहचान संख्या (संशोधन) नियम, 2013 जो 15 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 173(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) कंपनी (जमा राशियों की स्वीकृति संशोधन) नियम, 2013 जो 21 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 183(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) रेल अधिनियम, 1999 की धारा 199 के अंतर्गत रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जांच) संशोधन नियम, 2013 जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 526(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (दो) कॉंकण रेल कारपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (तीन) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (चार) बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (पांच) भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

- (छह) भारतीय रेल वित्त विकास लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (सात) रेल विकास निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (आठ) मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (नौ) ब्रेटवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दस) रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (ग्यारह) राइट्स लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (बारह) कटेंनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

- (एक) कि राज्य सभा ने 19 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 7 मई, 2010 को पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010, संशोधनों सहित पारित किया तथा इस विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया कि संशोधनों के लिए लोक सभा की सहमति की सूचना राज्य सभा को दी जाए।
- (दो) लोक सभा को यह संसूचित करते हुए कि अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के कल्याण संबंधी समिति में शेष तीन रिक्त पदों को भरने की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के फलस्वरूप राज्य सभा के निम्नलिखित तीन सदस्यों को उक्त समिति के लिए निर्वाचित किया गया है:—
1. डॉ भारतकुमार राऊत
 2. डॉ अनिल कुमार साहनी
 3. श्री शंकर भाई एन० वेगाड
- (तीन) कि राज्य सभा ने 27 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013 को पारित कर दिया।

7. विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित—सभा पटल पर रखा गया

वक्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2010

8. विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित—सभा पटल पर रखा गया

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013

9. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डॉ मुरली मनोहर जोशी ने लोक लेखा समिति (2013–14) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से संबंधित वर्ष 2011–12 के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन संबंधा 27 पर आधारित ‘कर प्रशासन’ के बारे में 87वां प्रतिवेदन।
- (2) रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) से संबंधित ‘भारतीय रेल में अलाभकर ब्रांच लाइनें’ के बारे में समिति के 42वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 88वां प्रतिवेदन।

10. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

राजकुमारी रत्ना सिंह ने निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 29वां प्रतिवेदन।
- (2) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 30वां प्रतिवेदन।
- (3) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 31वां प्रतिवेदन।
- (4) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 32वां प्रतिवेदन।
- (5) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 33वां प्रतिवेदन।
- (6) खान मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 34वां प्रतिवेदन।
- (7) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 35वां प्रतिवेदन।

11. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी० करुणाकरन ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का 36वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

12. शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रमेश कुमार ने “सरकारी भूमि के अप्राधिकृत अधिभोग को रोकने में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडल्यूडी) की भूमिका और सरकारी भवनों के रखरखाव में उनके कार्यनिष्ठादान का मूल्यांकन” के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2012-13) का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

13. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री तूफानी सरोज ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) के ‘उर्वरकों का मूल्य निर्धारण’ विषय पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति का 39वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

14. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री गोविंद प्रसाद मिश्र ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) इस्पात मंत्रालय से संबंधित “लौह अयस्क निर्यात नीति की समीक्षा” के बारे में 38वां प्रतिवेदन।
- (2) इस्पात मंत्रालय से संबंधित “इस्पात के प्रयोग का संवर्धन” के बारे में 39वां प्रतिवेदन।
- (3) इस्पात मंत्रालय से संबंधित “एमएसटीसी लिमिटेड का कार्यकरण” के बारे में 40वां प्रतिवेदन।

15. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री गोविंद प्रसाद मिश्र ने कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) खान मंत्रालय की “अनुदानों की मांगों (2012-13)” के बारे में 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (2) इस्पात मंत्रालय की “अनुदानों की मांगों (2012-13)” के बारे में 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

16. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री हेमानन्द बिस्वाल ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:—

- (1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 26वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर 29वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट अंतिम उत्तरों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 25वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर 30वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट अंतिम उत्तरों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।
- (3) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में 24वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर 31वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट अंतिम उत्तरों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

17. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री संदीप दीक्षित ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए बनाई गई नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के कार्यकरण के सुदृढ़ीकरण के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 173वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

18. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथक् विज्ञान मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और बन संबंधी स्थायी समिति के 240वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 64वें प्रतिवेदन

में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री ने नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 116वें, 125वें, 138वें, 140वें और 147वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (i) ‘नई लाईन परियोजनाएं’ के बारे में श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री रावसाहेब दानवे पाटील और श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 138 के संबंध में 22 नवम्बर, 2012 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने, और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

19. प्रस्ताव

श्री कमलनाथ ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 27 अगस्त, 2013 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 51वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.08 बजे

20. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी द्वारा आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में पटसन उद्योग के पुनरुद्धार के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) डॉ निर्मल खड़ी द्वारा अंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा), मनरेगा कामगारों तथा मदरसा अध्यापकों और अनुदेशकों के बेतन, मानदेय और सेवा-शर्तों से जुड़ी शिकायतों का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री हमदुल्लाह सईद द्वारा लक्ष्मीप द्वीपसमूहों के मछुआरों को रियायती दरों पर मिट्टी के तेल की आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (4) श्री केंपी० धनपालन द्वारा एक रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय केरल मे हो, का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री मानिक टैगोर द्वारा तमिलनाडु में मदुरै अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन से दुबई, सिंगापुर और कुआलालम्पुर तक एअर इंडिया/एअर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानें शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री एम० कृष्णस्वामी द्वारा टिंडीवनाम से नागरी और तिरुवन्नामलाई तक नई रेल लाइनों के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री जगदम्भिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश में वॉल्टरगंज और बस्ती में चीनी मिलों को बंद होने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की सेवाओं को स्थायी करने तथा उनके मानदेय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री नलिन कुमार कटील द्वारा कर्नाटक के निहोदी में कोयला आधारित प्रस्तावित अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की स्थापना की समीक्षा किए जाने आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्रीमती ज्योति धुर्वे द्वारा मध्य प्रदेश के हरदा जिले में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के बीमा दावों का निपटान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री गणेश सिंह द्वारा बरगी लेफ्ट बैंक नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किए जाने तथा परियोजना के लिये अपेक्षित धनराशि मंजूर किए जाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृत प्रदान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) डॉ रत्ना डे नाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कल्याणकारी उपाय और योजनाएं बनाए जाने तथा कार्यान्वयन किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) एडवोकेट ए० सम्पत द्वारा देशभर में उचित दर पर सभी कैंसर मरीजों को कैंसर उपचार औषधियों तथा दर्द निवारक औषधियों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा विद्युत उत्पादन निगम तथा ओडिशा ताप विद्युत निगम लिमिटेड को चंद्रबिला और टेंटुलई कोयला ब्लॉक आर्बाटित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (15) श्री ओ०एस० मणियन द्वारा श्रीलंका की जेलों में बंद भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री कामेश्वर बैठा द्वारा झारखंड राज्य विशेषकर पलामू और गढ़वा जिलों में विद्युत की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय पूल से राज्य को पर्याप्त विद्युत प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.09 बजे

21. सरकारी विधेयक — पारित

लिया गया समय: 8 घंटे 03 मिनट

भूमि अर्जन, पृनवासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011

श्री जयराम रमेश द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.11 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

(निरंतर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.31 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री राजनाथ सिंह
2. कुमारी मीनाक्षी नटराजन
3. श्री मुलायम सिंह यादव
4. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर
5. श्री राजीव रंजन (ललन) सिंह
6. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
7. श्री टी०के०एस० इलेंगोवन
8. श्री बसुदेव आचार्य
9. श्री तथागत सत्यथी
10. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव
11. श्रीमती सुप्रिया सुले

12. ડૉ. એમ૦ તમ્બડુરાઈ
13. શ્રી નામા નાગેશ્વર રાવ
- *14. ડૉ. વીરેન્દ્ર કુમાર
- *15. શ્રી અર્જુન મેઘવાલ
- *16. શ્રી શૈલેન્દ્ર કુમાર
- *17. શ્રી પી. વિશવનાથન
- *18. શ્રીમતી દર્શના વિક્રમ જરદોશ
- *19. શ્રીમતી રમા દેવી
20. શ્રી જયંત ચૌધરી
- *21. શ્રી અબ્દુલ રહ્માન
- *22. શ્રીમતી જયશ્રીબેન પટેલ
- *23. શ્રી એ. ગણેશમૂર્તિ
- *24. શ્રી એમ૦ કૃષ્ણાસ્વામી
- *25. શ્રી ગુથા સુહેન્દ્ર રેડ્દી
- *26. શ્રી શિવરામ ગૌડા
- *27. શ્રી સી. શિવાસામી
- *28. શ્રી એસ૦ સેમ્મલાઈ
- *29. શ્રી સતપાલ મહારાજ
- *30. ઎ડવોકેટ ગણેશરાવ નાગેરાવ દૂધગાંવકર
31. શ્રી લાલુ પ્રસાદ
- *32. ડૉ. મહેન્દ્રસિંહ પી. ચૌહાન
- *33. શ્રી દિનેશ કશ્યપ
- *34. શ્રી એન૦ પીતામ્બર કુરૂપ
- *35. શ્રી ઓણેસ૦ મળિયન
36. શ્રી શેર સિંહ ઘુબાયા
- *37. શ્રી પોન્નમ પ્રભાકર
- *38. શ્રી સોહન પોટાઈ

- *39. श्री प्रबोध पांडा
- 40. श्री एसऱ्डी० शारिक
- 41. श्री हुक्मदेव नारायण यादव
- *42. श्री प्रेम दास राय
- *43. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय
- 44. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम
- *45. श्री हरीश चौधरी
- *46. श्री राम सिंह कस्वां
- 47. श्री ईंटी० मोहम्मद बशीर
- *48. प्रो० शेख सैदुल हक
- 49. श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार
- 50. श्री नृपेन्द्र नाथ राय
- *51. श्री सी० राजेन्द्रन
- 52. डॉ० अजय कुमार
- *53. डॉ० किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
- 54. श्री असादूद्दीन ओवेसी
- *55. श्री राजाराम पाल
- 56. डॉ० तरुण मंडल
- *57. श्री नीरज शेखर
- *58. श्री नवीन जिंदल
- *59. श्री वैजयंत पांडा
- 60. श्रीमती पुतुल कुमारी
- *61. डॉ० चाल्स डिएस
- 62. श्री राजू शेट्टी
- *63. श्री पन्ना लाल पुनिया
- *64. श्री हंसराज गं० अहीर
- *65. श्री नारनभाई काळाड़िया

*66. श्री घनश्याम अनुरागी

*67. श्री रत्न सिंह

*68. प्रो० रामशंकर

*69. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

*70. श्री दिलीप गांधी

श्री जयराम रमेश ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय सदस्यगण, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हो गई है। अब विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव, खंड-वार विचार और इसे पारित किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मतदान होगा।

माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि यह विधेयक एक महत्वपूर्ण विधान है और सरकार के साथ-साथ गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा भी इस विधेयक के खंडों पर बहुत से संशोधन पेश किए जाने हैं। मेरा अनुमान है कि कठिपय खंडों अथवा खंडों में संशोधनों पर मत-विभाजन द्वारा मतदान की मांग हो सकती है। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि मतविभाजन होने से पूर्व, महासचिव सदस्यों को स्वचालित मतदान रिकार्डिंग मशीन के प्रचालन से संबंधित प्रक्रिया की जानकारी देते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे ध्यानपूर्वक सुनें।

मैं सभा को यह भी सूचित करना चाहती हूँ कि माननीय सदस्यों ने विधेयक के विभिन्न खंडों पर अनेक समरूप संशोधनों को सभा पटल पर रखा है। प्रथा के अनुसार समरूप संशोधनों को पेश किया जाना व्यवस्था में नहीं है। इसलिए, ऐसे मामलों में जहां सदस्यों द्वारा समरूप संशोधन सभा पटल पर रखे गए हैं, प्रथा यह है कि उस सदस्य को संशोधन पेश करने के लिए बुलाया जाए, जिन्होंने सबसे पहले अपने संशोधन की सूचना सभा पटल पर रखी है। यदि वह सदस्य सभा में उपस्थित नहीं हैं अथवा अपना संशोधन पेश नहीं करते हैं तो दूसरे सदस्य अथवा तीसरे सदस्य और इस प्रकार से अन्य जो उस समय उपस्थित हों और अपना संशोधन पेश करने के इच्छुक हों, उनका नाम पुकारा जाता है। इसलिए, जब संगत खंडों को लिया जाएगा, मैं तदनुसार माननीय सदस्यों के नाम पुकारूँगी।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

प्रो० शेख सैदुल हक द्वारा खंड 2 में संशोधन सं० 175 पेश किया गया, सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 28, #विपक्ष में 226, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

डॉ० एम० तम्बिदुर्रई ने खंड 3 में संशोधन संख्या 366 पेश किया, सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 28, #विपक्ष में 224, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 3, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 4, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 7, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 8, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 9, स्वीकृत हुआ।

खंड 10, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 11, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 12, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 13 स्वीकृत हुआ।

खंड 14, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 15 अस्वीकृत हुआ।

खंड 16 स्वीकृत हुआ।

खंड 17, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 18 स्वीकृत हुआ।

श्री जयराम रमेश ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 74 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 18क को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 18क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 19, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 20 स्वीकृत हुआ।

खंड 21, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 22 और 23 स्वीकृत हुए।

खंड 24, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 25, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 26, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 27 स्वीकृत हुआ।

श्री जयराम रमेश ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 89 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 27क को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 27क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 28 स्वीकृत हुआ।

खंड 29, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 30, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 31, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 32 से 36 स्वीकृत हुए।

खंड 37, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्री जयराम रमेश ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 97 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 37क को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 37क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 38, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्री जयराम रमेश ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 101 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 38क को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 38क भी स्वीकृत हुआ।

श्री जयराम रमेश ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 102 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 38ख को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 38ख भी स्वीकृत हुआ।

खंड 39, स्वीकृत हुआ।

खंड 40, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 41, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुषमा स्वराज खंड 42 पर बोलीं।

खंड 42, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्री जयराम रमेश ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 110 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 42क को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 42क भी स्वीकृत हुआ।

श्री भर्तृहरि महताब ने खंड 43 में संशोधन संख्या 274 पेश किया, सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: #पक्ष में 28, #विपक्ष में 196, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 43, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 44 स्वीकृत हुआ।

श्री जयराम रमेश ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन

#शुद्धि के अध्यधीन।

और पुनर्व्यवस्थापन विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 112 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए”।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 44क को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 44क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 45, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 46 स्वीकृत हुआ।

खंड 47, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 48 से 51 स्वीकृत हुए।

खंड 52, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 53 से 56 स्वीकृत हुए।

खंड 57 स्वीकृत हुआ।

खंड 58, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 59 से 62 स्वीकृत हुए।

खंड 63, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 64 से 67 स्वीकृत हुए।

खंड 68, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 69 स्वीकृत हुआ।

खंड 70 से 74 स्वीकृत हुए।

खंड 75, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 76, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 77, स्वीकृत हुआ।

खंड 78, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 79 से 84 स्वीकृत हुए।

खंड 85, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 86 से 89 स्वीकृत हुए।

खंड 90, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 91 से 92 स्वीकृत हुए।

खंड 93, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 94 स्वीकृत हुआ

खंड 95, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 96, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 97 स्वीकृत हुआ।

श्री जयराम रमेश ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वस्थापन विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 135 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 97क को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुषमा स्वराज नए खंड 97क पर बोलीं।

नया खंड 97क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 98, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खंड 99 में संशोधन सं^o 277 पेश किया गया, सभा में मत-विभाजन हुआ और मतविभाजन का परिणाम इस प्रकार था: # पक्ष में 27; # विपक्ष में 186, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

डॉ एम० तमिदुरई द्वारा खंड 99 में संशोधन सं^o 369 पेश किया गया, सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: # पक्ष में 27; # विपक्ष में 186, तदनुसार संशोधन अस्वीकृत हुआ।

* शुद्धि के अध्यधीन।

खंड 99, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 100 और 101 स्वीकृत हुए।

खंड 102, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 103 से 107 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

दूसरी अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

तीसरी अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

चौथी अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम यथासंशोधित, भी स्वीकृत हुआ।

श्री जयराम रमेश ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार था: # पक्ष में 216; # विपक्ष में 19.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित पारित किया गया।

रात्रि 10.01 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 30 अगस्त, 2013 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

ट्रॉ के० विश्वानाथन,
महासचिव।

#शुद्धि के अध्यधीन।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 30 अगस्त, 2013/8 भाद्रपद, 1935 (शक)

संख्या 330

पूर्वाहन 11.00 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.03 बजे स्थगित हुई और
मध्याहन 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

1. प्रश्न

सभा में व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका।
अतः आज की कार्य-सूची में सम्मिलित तारांकित प्रश्न संख्या 281—300 को अतारांकित माना
गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 3221—3450 के उत्तरों के साथ आज की कार्यवाही
वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

मध्याहन 12.00 बजे

2. प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधानमंत्री ने देश में वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.17 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) (एक) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक
प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) संशोधन विनियम, 2013 जो 10 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4/15015/30/2011 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2013 जो 10 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4/15015/30/2011 में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 8 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4/15015/30/2011 में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर निषेध और प्रतिबंध) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 8 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4/15015/30/2011 में प्रकाशित हुए थे।
 - (पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) संशोधन विनियम, 2013 जो 27 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० पी० 15014/1/2011-पीएफए/एफएसएआई में प्रकाशित हुए थे।
 - (छह) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2013 जो 27 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० पी० 15014/1/2011-पीएफए/एफएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

- (4) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) का०आ० 2350(अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को नामनिर्दिष्ट किया गया है।
- (दो) का०आ० 2351(अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को नामनिर्दिष्ट किया गया है।
- (तीन) का०आ० 2352(अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को नामनिर्दिष्ट किया गया है।
- (चार) का०आ० 2353(अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को नामनिर्दिष्ट किया गया है।
- (पांच) का०आ० 2354(अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को नामनिर्दिष्ट किया गया है।
- (छह) का०आ० 2355(अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को नामनिर्दिष्ट किया गया है।

- (5) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) सांकाणि 549(अ) जो 14 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो एम्स (संशोधन) अधिनियम, 2012 के उपबंधों के अंतर्गत रायबरेली, उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना किए जाने के बारे में है।
 - (दो) का०आ० 2011(अ) जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों सहित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल का गठन किया गया है।
 - (तीन) का०आ० 2012(अ) जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों सहित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर का गठन किया गया है।
 - (चार) का०आ० 2013(अ) जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों सहित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर का गठन किया गया है।
 - (पांच) का०आ० 2014(अ) जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों सहित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना का गठन किया गया है।
 - (छह) का०आ० 2015(अ) जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों सहित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर का गठन किया गया है।
 - (सात) का०आ० 2016(अ) जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों सहित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश का गठन किया गया है।
- (6) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 27वीं की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकाणि 550(अ) जो 14 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जो छह नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशकों को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2013 जो 14 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2470(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 38 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें और कारबार का संचालन) नियम, 2011 जो 24 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 635(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष (विरासत उप-विधि और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्यों की विरचना) नियम, 2011 जो 24 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 636(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (26) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2013 जो 18 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डा 492(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (दो) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (28) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिड्ह, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिड्ह, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिड्ह, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम

मानक) संशोधन विनियम, 2013 जो 2 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 18-12/2013 सिद्ध (पाठ्य विवरण-यूजी) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा जिसका शुद्धिपत्र 7 अगस्त, 2013 के अधिसूचना संख्या 18-12/2013 सिद्ध (पाठ्य विवरण-यूजी) में प्रकाशित हुआ था।

- (33) (एक) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) झारखण्ड महिला समाज्या सोसायटी, रैंची के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) झारखण्ड महिला समाज्या सोसायटी, रैंची के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) डॉ हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (41) (एक) अरुणाचल प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इटानगर के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अरुणाचल प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इटानगर के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मुंबई के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मुंबई के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) सर्व शिक्षा अभियान पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2011–2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सर्व शिक्षा अभियान पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2011–2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंस्पेक्टर (पायनियर), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 जो 31 अक्टूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकानि 788 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जनरल ड्यूटी कैडर (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012, जो 8 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 817(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, काम्बैटेन्ट अकाउंट्स कैडर समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012, जो 7 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 814(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरिंग कैडर, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2012, जो 21 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 484(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, (प्रकाशन और मुद्रण संवर्ग) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012, जो 29 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 397(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (6) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, वेटेरीनरी कैडर, समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2012, जो 17 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 297(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (7) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, (एनिमल ट्रांसपोर्ट कैडर) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2012, जो 26 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 252(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (8) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सब इंस्पेक्टर (मेडिक) पैरामेडिकल कैडर समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011, जो 3 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 61(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (9) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार संवर्ग (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 जो 21 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 237(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (10) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, डिप्टी कमांडेंट (राजभाषा) एंड असिस्टेंट कमांडेंट (राजभाषा) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011, जो 3 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 62(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (11) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, डिप्टी कमांडेंट (ऑफिस) एंड डिप्टी कमांडेंट (प्रधान निजी सचिव) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011, जो 3 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 63(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (12) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, डिप्टी कमांडेंट (एजुकेशन एण्ड स्ट्रेस काउंसलर) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011, जो 3 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 60(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (13) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, एजुकेशन एण्ड स्ट्रेस काउंसलर कैडर, समूह 'क', 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 618(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (14) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जनरल इयूटी कैडर (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2012, जो 9 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 540(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (15) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, वाटर विंग (समूह 'क' समूह 'ख' और समूह 'ग' तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2012, जो 25 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 790(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (16) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार संवर्ग (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2013, जो 23 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 265(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (17) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, एनिमल ट्रांसपोर्ट कैडर (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2013, जो 23 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 266(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (18) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायनियर कैडर समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013, जो 23 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 267(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (19) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, टेलर, कोबलर एण्ड गार्डनर कैडर समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013, जो 23 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 268(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (20) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जनरल इयूटी कैडर (समूह 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 217(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (21) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जज अटार्नी जनरल, एडिशनल जज अटार्नी जनरल, डिप्टी जज अटार्नी जनरल एण्ड जज अटार्नी समूह 'क' पद भर्ती और

सेवा की शर्त (संशोधन) नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 218(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (22) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, (समूह 'ख' पद) हिन्दी अनुवादक भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 219(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (23) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, कांस्टेबल (वाटर कैरियर) और कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी) समूह 'ग' पद भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 220(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (24) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंस्पेक्टर (लाइब्रेरियन) समूह 'ख' पद, भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 221(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (25) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरा मेडिकल कैडर इंस्पेक्टर (फार्मासिस्ट) भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 222(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (26) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, असिस्टेंट कमांडेंट (ऑफिस) एण्ड असिस्टेंट कमांडेंट, स्टाफ ऑफिसर (समूह 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 223(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (27) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, काम्बैटेंट मिनिस्टरियल कैडर एण्ड काम्बैटेंट स्टेनोग्राफर कैडर समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 224(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (28) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, मेडिकल कैडर (समूह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 225(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (29) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरा मेडिकल कैडर (समूह 'क', 'ख' और 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 226(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (30) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, एनिमल ट्रांसपोर्ट कैडर (अराजपत्रित) भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 227(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (31) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, वेट्रीनरी कैडर (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 228(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (32) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आर्मर कैडर (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 229(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (33) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायोनियर संवर्ग, समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 230(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (34) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दर्जी, मोची और माली संवर्ग, समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 231(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (35) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, कान्स्टेबल (कुक), कान्स्टेबल (धोबी), कान्स्टेबल (नाई), समूह 'ग' पद भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 232(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (36) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरिंग संवर्ग (समूह 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 233(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (37) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (आशुलिपिक) और हेड कान्स्टेबल (मिनिस्ट्रीयल) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013, जो 14 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 81(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (38) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरामेडिकल संवर्ग (समूह 'क', 'ख' और 'ग' पद), भर्ती संशोधन नियम, 2011, जो 1 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 657(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (39) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सब-इंस्पेक्टर (मेडिक) पैरामेडिकल संवर्ग, समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013, जो 21 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 391(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (40) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरामेडिकल संवर्ग, (समूह 'ग' योधक पद) भर्ती नियम, 2013, जो 15 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 23(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (41) सांकाण्ठि 354(अ) जो 11 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 28 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 1019(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।
- (42) सांकाण्ठि 663(अ) जो 3 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 21 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 484(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।
- (43) सांकाण्ठि 569(अ) जो 17 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 11 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 354(अ) (केवल हिन्दी में) का शुद्धिपत्र दिया गया है।
- (44) सांकाण्ठि 445(अ) जो 28 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 8 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 217(अ) (केवल हिन्दी में) का शुद्धिपत्र दिया गया है।
- (48) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पट्टल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राजस्थान, जोधपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, पटना के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, पटना के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रांची के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रांची के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (61) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, अगरतला, त्रिपुरा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, अगरतला, त्रिपुरा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (63) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (65) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (67) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, काशीपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, काशीपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (69) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रायपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रायपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (71) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कालिकट के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कालिकट के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (72) उपर्युक्त (71) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (73) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निपटान) विनियम, 2012, जो 23 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या 14-4/2012 (सीपीपी II) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (74) उपर्युक्त (73) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (75) भारतीय तार अधिनियम 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी (कामर्शियल रेडियो ऑपरेटर्स सर्टिफिकेट आफ प्रोफेसंसी एंड लाइसेंस टू ऑपरेट ग्लोबल मेरिटाइल डिस्ट्रेस एंड सेफटी सिस्टम) संशोधन नियम, 2013, जो 2 मई, 2013 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सांकानि० 277(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(76) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

- (1) 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012—2017 खंड I (फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ)
- (2) 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012—2017 खंड II (इकनॉमिक सेक्टर)
- (3) 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012—2017 खंड III (सोशल सेक्टर)

(77) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

- (1) का०आ० 2226(अ) जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वालायर-बड़कान्चेरी खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित, यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (2) का०आ० 1354(अ) जो 24 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5क (चंडीकोले-पाराद्वीप खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित, यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (3) का०आ० 1988(अ) जो 3 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित, यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (4) का०आ० 625(अ) जो 12 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात और राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (अबु रोड-पालनपुर/खेमना खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित, यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (5) का०आ० 1848(अ) जो 25 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 पदनक्कड़ में रेल उपरि पुल के संबंध में, उसमें उल्लिखित, यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

- (6) का०आ० 1462(अ) जो 6 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वडाककन्वेरी-थिरुसुर बोर्ड खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित, यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (7) का०आ० 1847(अ) जो 25 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (रोहतक-पानीपत खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित, यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (8) का०आ० 1017(अ) जो 22 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (गोधरा-गुजरात/मध्य प्रदेश बोर्ड खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित, यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (9) का०आ० 1355(अ) जो 24 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (त्रिची बाईपास-तोवरनकुरिची-मदुरई खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित, यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (10) का०आ० 1845(अ) जो 25 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (महाराष्ट्र/कर्नाटक बोर्ड-संगरेडु खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (11) का०आ० 1846(अ) जो 25 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट-अमृतसर खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (12) का०आ० 1849(अ) जो 25 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट-अमृतसर खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

- (13) का०आ० 1081(अ) जो 30 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (14) का०आ० 1356(अ) जो 24 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 09 (विजयवाड़ा-मछलीपत्तनम खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (15) का०आ० 1131(अ) जो 2 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (16) का०आ० 2225(अ) जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 06 के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (17) का०आ० 838(अ) जो 26 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 02 (इलाहाबाद-मंगावन खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (18) का०आ० 1200(अ) जो 10 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1138(अ) को निरस्त किया गया है।
- (19) का०आ० 1844(अ) जो 25 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (अयोध्या-गोरखपुर खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (20) का०आ० 1987(अ) जो 03 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25, 56क और 56ख (कानपुर-अयोध्या खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

- (21) का०आ० 1989(अ) जो 03 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (मुजफ्फरपुर-बरौनी खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (22) का०आ० 2168(अ) जो 16 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इन्दौर-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (23) का०आ० 2222(अ) जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (रायपुर-बिलासपुर खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (24) का०आ० 2223(अ) जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 और 06 के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (25) का०आ० 2224(अ) जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 (मोकमा-मुंगेर खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (26) का०आ० 2228(अ) जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 235 (मेरठ-बुलंदशहर खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।
- (27) का०आ० 3035(अ) जो 28 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (झालावाड़-बिओरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।
- (78) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत प्रधान आयुक्त की भर्ती विनियम (अनुश्रवण और समन्वय) दिल्ली विकास प्राधिकरण, 2013 (नया सृजित पद)

जो 14 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकानि० 305(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (79) मेट्रो रेल (संकर्म का निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 4 की उपधारा (1) और (6) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2305(अ) जो 30 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की—गई अथवा किए जाने के लिए लोप की गई बातों के अलावा 30 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1250(अ) को निरस्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (80) निःशक्त व्यक्ति मुख्य आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (81) निःशक्त व्यक्ति मुख्य आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2006–2007 के वार्षिक प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (82) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012–2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012–2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (83) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) के अंतर्गत तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के वर्ष 2012–2013 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (84) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक –एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
(एक) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2012–2013 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

- (दो) आंध्रा बैंक के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (85) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (86) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) का०आ० 2327(अ) जो 31 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) का०आ० 2329(अ) जो 1 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का०आ० 2467(अ) जो 14 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) का०आ० 2468(अ) जो 14 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी०शु० (एन०टी०) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (87) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2013 जो भारत के राजपत्र में 2 मई, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1111(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2013 जो भारत के राजपत्र में 30 मई, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1393(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) आयकर (पांचवा संशोधन) नियम, 2013 जो भारत के राजपत्र में 31 मई, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1404(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2013 जो भारत के राजपत्र में 11 जून, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 1513(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) आयकर (10वां संशोधन) नियम, 2013 जो भारत के राजपत्र में 15 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या का०आ० 2166(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) का०आ० 1464(अ) जो 6 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का०आ० 709(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) पण्य संव्यवहार कर नियम, 2013 जो 19 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1769(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1856(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2013 जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2017(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) का०आ० 2311(अ) जो 29 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ठब (2)(एक) में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी के रूपए मूल्यवर्ग बाण्डों के संबंध में व्याज दर की सीमा के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (ग्यारह) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2013 जो 1 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2331(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2013 जो 5 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2364(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2013 जो 10 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1491(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) का०आ० 2493(अ) जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी को विदेशी कंपनी के रूप में तथा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ ईरान के बीच 20 जनवरी, 2013 को हुए समझौते ज्ञापन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खण्ड (48) के प्रयोजनों के लिए करार के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (88) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शौध्य ऋण की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 163(अ) जो 8 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कार्यभार को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए ऋण वसूली अपील अधिकरणों के क्षेत्राधिकार का पुनर्गठन किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धिपत्र जो 12 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 239(अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (89) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 2074(अ) जो 8 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक और दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक के केरल ग्रामीण बैंक के रूप में विलयन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (90) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) धन-शोधन निवारण (अंतिम कुर्की आदेश का निर्गम) नियम, 2013 जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 557(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (दो) धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई कुर्क अथवा फ्रोजन संपत्तियों का कब्जा लेना) नियम, 2013 जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 558(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (तीन) धन-शोधन निवारण (प्ररूप, तलाशी और जब्ती अथवा फ्रीजिंग तथा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को कारण और सामग्री अग्रेषित करने की रीति, अभिलेखों का परिबंधन और अभिरक्षा तथा प्रतिधारण अवधि) नियम, 2013 जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाणि० 559(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (91) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सांकाणि० 538(अ) जो 8 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित राल अथवा अन्य कार्बनिक पदार्थों से बॉन्डेड 2 मिमी० से अधिक और 6 मिमी० से कम की मोटाई वाले काष्ठ अथवा लिग्नस फाईबर बोर्ड, सिवाए सीमा-शुल्क टैरिफ के अध्याय 44 के अंतर्गत वर्गीकृत इंसुलेशन बोर्ड, लेमिनेटेड फाईबर बोर्ड, मोल्डेड डोर स्किनों और उन बोर्डों जो राल अथवा अन्य कार्बनिक पदार्थों द्वारा बॉन्डेड नहीं हैं, को छोड़कर, पर उसमें निर्दिष्ट दरों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (92) वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 115 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकाणि० 1768(अ) जो 6 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 जुलाई, 2013 को उस तारीख के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिस दिन वित्त अधिनियम, 2013 का अध्याय 7 प्रवृत्त होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि 29 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा श्री तिरुची शिवा की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति और डॉ ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयप्पन की संयुक्त संसदीय समिति से त्यागपत्र के कारण उत्पन्न रिक्त पदों पर दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को नियुक्त करने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और श्री पि० भट्टाचार्य और डॉ० अशोक एस० गांगुली, राज्य सभा सदस्यों, जिन्हें उक्त समिति के लिए विधिवत नियुक्त किया गया है, के नाम की सूचना भी दी।

5. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

श्री कड़िया मुंडा ने 13वें और 14वें सत्रों के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की 30वीं से 36वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

6. कृषि संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य ने “देश में एबायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंट फसल किस्मों का विकास और उत्पादन संवर्धन प्रौद्योगिकियों का प्रसार, अनुसंधान और विकास तथा विस्तार प्रयासों की समीक्षा” के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति (2010-11) के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 50वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री एकनाथ एम० गायकवाड ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

(1) ‘भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) विधेयक, 2012’ संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

(2) अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति (2012-13) के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

8. ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती उषा वर्मा ने 'राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सर्तकता और मॉनीटरिंग समितियों का कार्यकरण' विषय पर ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का 46वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री विजय हान्डिक ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित "अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपायों की समीक्षा और एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिए जाने" विषय पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2013-14) का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री केंपी० धनपालन ने वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति के 107वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही के संबंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का 112वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ० संजय जायसवाल ने भारत में पीएटीएच द्वारा "हूमन पैपीलोमा वायरस (एचपीवी) वैक्सीन के प्रयोग द्वारा अध्ययन में कथित अनियमितताएं" के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 72वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

12. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री शैलेन्द्र कुमार ने "सरकारी नौकरी और सरकारी उपक्रमों में सेवा शर्तों, शोषण से संरक्षण, प्रोत्साहन और अन्य संबंधित मुद्दों के संबंध में महिलाओं की स्थिति" के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 62वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

13. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 184वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

- (2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री ने (i) 'प्राकृतिक तेल एवं गैस संसाधनों का स्वामित्व' के बारे में डॉ महेश जोशी, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2423 के संबंध में 10.03.2011 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने, और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

14. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने 2 सितम्बर, 2013 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 12.28 बजे

15. प्रस्ताव

श्री कड़िया मुंडा ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

"कि यह सभा सदन में 20 मार्च, 2 मई, 7 और 14 अगस्त, 2013 को क्रमशः प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 33वें, 34वें, 35वें और 36वें प्रतिवेदनों से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.32 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.45 बजे पुनः समवेत हुई।)

(निरन्तर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.46 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।)

*(निरन्तर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.07 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 3.00 बजे

16. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमेय समय :	2 घंटे
लिया गया समय :	2 मिनट
शेष :	1 घंटा 58 मिनट

*अपराह्न 2.01 बजे से अपराह्न 2.07 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज ने उत्तराखण्ड में आई प्राकृतिक आपदा के पश्चात् भारत सरकार के प्रत्युत्तर तथा राहत और पुनर्निर्माण हेतु किए गए उपायों के बारे में रक्षा मंत्री द्वारा 6.8.2013 को दिए गए वक्तव्य पर चर्चा उठाई परन्तु व्यवधान के कारण बोल नहीं सकीं।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.02 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 2 सितम्बर, 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

टी॰ के॰ विश्वानाथन,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 2 सितम्बर, 2013/11 भाद्रपद, 1935 (शक)

संख्या 331

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. महासचिव (श्री टी०के० विश्वानाथन) द्वारा पद त्याग करना और सभा के अवैतनिक अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि लोक सभा के महासचिव श्री टी०के० विश्वानाथन ने 31 अगस्त, 2013 को लोक सभा के महासचिव के रूप में अपना पद त्याग दिया है।

अध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि श्री विश्वानाथन द्वारा दी गई सेवाओं को देखते हुए उन्होंने उन्हें सभा के अवैतनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

अध्यक्ष ने आगे यह घोषणा की कि श्री एस० बाल शेखर, सचिव, तत्समय, महासचिव के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

2. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के कार्यवाही-सारांश

डॉ० बलीराम ने 23 अगस्त, 2013 को आयोजित सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की दसवीं बैठक के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

3. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपोष के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसाकि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखेः—

- (1) श्री सज्जन सिंह वर्मा द्वारा मध्य प्रदेश के देवास संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री पोनम प्रभाकर द्वारा आंध्र प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन को बढ़ाकर अन्य राज्यों में संदर्भ वेतन के समान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री सतपाल महाराज द्वारा उत्तराखण्ड में लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़कों का निर्माण और मरम्मत किए जाने के लिए समुचित संसाधन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री पी०टी० थॉमस द्वारा केरल में अंगमाली-सबरी रेल लाइन बिछाए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री एन० पीताम्बर कुरुप द्वारा अजमेर-एर्नाकुलम मरुसागर एक्सप्रेस ट्रेन में विषाक्त भोजन परोसने के लिए जिम्मेदार अभिकरण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही किए जाने और स्वास्थ्यकर भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) डॉ० संजय सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल संरक्षण योजनाओं को क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्रीमती जयश्रीबेन कौ० पटेल द्वारा गुजरात में महेसाणा और तारंगा के बीच रेल लाइनों का आमान-परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा पूर्व-मध्य रेलवे के अंतर्गत बिहार में हसनपुर रोड़ रेलवे स्टेशन पर न्यू जलपाइगुड़ी एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12523/24) का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री पी०आर० नटराजन द्वारा तमिलनाडु में सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा के लिए और अधिक केन्द्र प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (10) श्री रुद्रमाधव राय द्वारा ओडिशा में कंधमाल जिले के विकास हेतु व्यापक योजना बनाए जाने तथा राज्य में बरहामपुर और फुलबनी के बीच रेललाइन का निर्माण किए जाने हेतु कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री जयंत चौधरी द्वारा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भगवान कृष्ण से संबंधित धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले बृज पर्यटन सर्किट को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

पूर्वाहन 11.03 बजे

4. राज्य सभा द्वारा सरकारी विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति

§ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री ऑस्कर फर्नांडीस द्वारा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, “तिरसठसें” शब्द के स्थान पर, “चौंसठवें” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 3, “2012” अंक के स्थान पर, “2013” अंक प्रतिस्थापित किया जाए।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस द्वारा विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमत होने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति हुई।

पूर्वाहन 11.05 बजे

5. नियम 374क के अधीन सभा की सेवा से सदस्यों का निलम्बन

अध्यक्ष ने नियम 374क के अधीन निम्नलिखित सदस्यों का नाम लिया और वे सभा की पांच

§ विधेयक 3 सितंबर, 2012 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था तथा इस पर सहमति के लिए इसे राज्य सभा को प्रेषित किया गया था। राज्य सभा ने 13 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और उसी दिन इसे लोक सभा को लौटा दिया।

लगातार बैठकों अर्थात् 2,3,4,5, और 6 सितम्बर, 2013 के लिए सभा की सेवा से स्वतः निलम्बित हो गए:—

1. श्री ए० साई प्रताप
2. श्री एन० कृष्णप्प
3. श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी
4. श्री एल० राजगोपाल
5. श्री एम० श्रीनिवासुलु रेड्डी
6. श्री एम० वेणुगोपाल रेड्डी
7. श्री कौ० नारायण राव
8. श्री कौ० बापीराजू
9. डॉ० एन० शिवप्रसाद

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाहन 11.06 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

6. माननीय उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

उपाध्यक्ष ने निम्नलिखित टिप्पणी की:—

“माननीय अध्यक्ष ने नियम 374क का अवलंब लेते हुए इस सुबह पहले आपका नाम लिया और इस नियम के उपबंधों द्वारा आप सभा की सेवा से आज से लेकर पांच दिनों तक स्वतः निलम्बित हो गए। इस प्रकार आप सभा के चैम्बर में प्रवेश नहीं कर सकते और नारे नहीं लगा सकते। मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि आप तत्काल सभा से बाहर चले जाएं और सभा का निर्बाध संचालन होने दें।”

अपराह्न 2.03 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा मंगलवार, 3 सितम्बर, 2013 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 3 सितम्बर, 2013/12 भाद्रपद, 1935 (शक)

संख्या 332

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रुझान की तिमाही समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड आर्गेनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अध्यक्ष की नियुक्ति की रीति और अर्हता) नियम, 2012 जो 30 जून, 2012 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 159 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (अध्यक्ष की नियुक्ति की रीति और अर्हता) नियम, 2013 जो 3 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 351(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (उपाध्यक्ष की नियुक्ति की रीति और अर्हता) नियम, 2012 जो 22 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 779(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उदयपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उदयपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
- (एक) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नियंत्रक—महालेखापरीक्षक—संघ सरकार (सिविल) (2013 का संख्यांक 16) (स्वायत्तशासी निकाय)—निष्पादन लेखापरीक्षा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना दी कि 19 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा डॉ ईंगम सुदर्शन नाच्चीयप्पन, जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और डॉ वी॰ वी॰ मैत्रेयन की सेवा निवृत्ति के परिणामस्वरूप रिक्त हुए स्थान पर लोक सभा की लोक लेखा समिति की शेष अवधि के लिए समिति के साथ सहयोजित होने हेतु राज्य सभा के दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने संबंधी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और श्री अश्विनी कुमार और डॉ वी॰ वी॰ मैत्रेयन, राज्य सभा सदस्य जिन्हें उक्त समिति के लिए विधिवत नियुक्त किया गया है, के नाम की सूचना भी दी।

**(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाहन 11.17 बजे स्थगित हुई और मध्याहन 12.00 बजे पुनःसमवेत हुई।)*

मध्याहन 12.00 बजे

3. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री विलास मुत्तेमवार द्वारा बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास तथा नागपुर शहर में सड़कों के निर्माण और परम्पर के लिए विशेष वित्तीय सहायता मंजूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री के॰ जयप्रकाश हेगड़े द्वारा कर्नाटक के कुद्रेमुख में एक ईको-टूरिज्म परियोजना शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) राजकुमारी रत्ना सिंह द्वारा प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) और भोपाल के बीच चलने वाली रेलगाड़ी को इंदौर तक बढ़ाने और इसे प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*पूर्वाहन 11.01 बजे से 11.17 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (4) श्री एम० कृष्णास्वामी द्वारा तमिलनाडु के चेयर में खाली भूमि पर औद्योगिक विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री इज्यराज सिंह द्वारा राजस्थान में कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बाहु प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री रतन सिंह द्वारा राजस्थान के भरतपुर को बृज पर्यटन सर्किट में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा पूर्व रेलवे के आसनसोल डिविजन में छोटा अमोना और कालू बथान रेलवे स्टेशनों पर महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री निशिकांत दुबे द्वारा झारखण्ड में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री मिथिलेश कुमार द्वारा यातायात के निर्बाध आवागमन को सुकर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक रिंग रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी द्वारा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में बखीरा झील के आस-पास जिन किसानों की जमीन अधिगृहीत की गई थी, उन्हें मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार में वाम चरमपंथ से प्रभावित जिलों में सड़क निर्माण के प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) प्रो० सौगत राय द्वारा पश्चिम बंगाल में दार्जलिंग पहाड़ियों के समुचित विकास और प्रगति के लिए गोरखा प्रादेशिक प्रशासन के नए मुख्य कार्यकारी का चुनाव किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री आर० थामराईसेलवन द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण पर दी जाने वाली ब्याज राजसहायता का पूर्ण लाभ विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (15) श्री ए०कें०ए० विजयन द्वारा तमिलनाडु के नागापट्टिनम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शीतागार सुविधाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) डॉ० पी० वेणुगोपाल द्वारा तमिलनाडु में नरिकोरावस समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री बिभू प्रसाद तराई द्वारा ओडिशा के कोरापुट ज़िले के दामनजोड़ी में नाल्को की स्थापना के लिए जिन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों की भूमि अधिगृहीत की गई थी उन्हें रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा बिहार में विभिन्न जातियों के लोगों द्वारा उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की मांग पर विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.01 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

(निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.31 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 2.01 बजे

4. प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

प्रधान मंत्री ने कोयला आवंटन से संबंधित गायब फाइलों की रिपोर्ट के बारे में एक वक्तव्य दिया।

अपराह्न 2.05 बजे

5. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

आवंटित समय :	3 घंटे
लिया गया समय :	4 मिनट
शेष समय :	2 घंटे 56 मिनट

पेशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011

श्री पी० चिदम्बरम द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.08 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 3.00 बजे

श्री पी० चिदम्बरम ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया। किन्तु व्यवधान के कारण वे अपना भाषण पूरा नहीं कर सके।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.01 बजे

(निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा बुधवार, 4 सितम्बर, 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

दिनांक 29.8.2013 का

समाचार—भाग 1

संख्या 329 का शुद्धिपत्र

क्र० सं०	पृष्ठ	के स्थान पर	पढ़ा जाए
*59	13	श्री वैजयंत पांडा	श्रीमती जया प्रदा

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 4 सितम्बर, 2013/13 भाद्रपद, 1935 (शक)

संख्या 333

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
 - (एक) का०आ० 2474(अ) जो 16 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भारत में विनिर्मित होने वाले अनंतिम उर्वरक जिंक पॉली फास्फेट के संबंध में उसमें उल्लिखित विनिर्देशनों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।
 - (दो) उर्वरक (नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 2013 जो 16 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2475(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (2) नेशनल हैंडीकैप्ड एण्ड फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तथा निशक्तता मामले विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2013–2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 2 सितम्बर, 2013 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 26 अगस्त, 2013 को पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

3. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (लोक सभा) का विवरण

श्री रुद्रमाधव राय ने “‘संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के कार्यों में विलम्ब को दूर करने के लिए एमपीलैड योजना की प्रभावी निगरानी’’ पर समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के 8वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सांछियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा की-गई-अन्तिम कार्रवाई संबंधी उत्तरों पर एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

4. दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री पी०सी० चाको ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित विषयों की जांच करने संबंधी संयुक्त संसदीय समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय आगामी सत्र के अंतिम दिन तक बढ़ाती है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे:—

- (1) श्री गोपाल सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के जैतारण में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री अमरनाथ प्रधान द्वारा ओडिसा के सम्भलपुर में टर्मिनल मार्केट स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) डॉ थोकचोम मैन्या द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 की बराक से कम्बीरौन तक के हिस्से की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री एस०एस० रामासुब्रू द्वारा तमिलनाडु के तिरुनेलवेल्ली जिले में मुकुदल स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (5) श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा दिल्ली के यमुना खादर क्षेत्र में जैव-विविधता (बायोडायर्सिटी) पार्क स्थापित किए जाने संबंधी योजना की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री एकनाथ महादेव गायकवाड द्वारा देश में बौद्ध स्मारक स्थलों और गुफाओं को पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री एम॰के॰ राघवन द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत पेंशन में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री एस॰ अलागिरी द्वारा तमिलनाडु के कुडालोर जिले के युवाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लाभ पहुंचाने हेतु उन्हें प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ द्वारा बंगलादेश में रह रहे हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु बंगलादेश सरकार से अनुरोध किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट द्वारा भुज और मुम्बई के बीच चलने वाली सुपरफास्ट वातानुकूलित रेलगाड़ी का गुजरात के कच्छ जिले के समर्थनी रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री संजय धोत्रे द्वारा रतलाम-फतेहाबाद-इंदौर-मऊ-खंडवा-अमलाखुर्द-अकोट-अकोला सेक्षण में आमान परिवर्तन के कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री हरि मांझी द्वारा पश्चिम बंगाल में इंडियन मैरी टाईम यूनिवर्सिटी, कोलकाता के छात्रों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शिक्षा ऋण का पूरा लाभ दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री राकेश सचान द्वारा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर में जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण हेतु आवश्यक उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री रमाशंकर राजभर द्वारा उत्तर प्रदेश में विद्यालयों में मध्याहन भोजन योजना के अंतर्गत रसोइया के रूप में कार्यरत महिलाओं की समस्याओं का समाधान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

- (15) श्री महेश्वर हजारी द्वारा बिहार के सीतामढ़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्रीमती शताब्दी राय द्वारा पश्चिम बंगाल के बीरभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 को चार लेन में बदले जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्रीमती जे० हेलन डेविडसन द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन और रबड़ के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास केंद्र तथा कॉलेज स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री पी० करुणाकरन द्वारा भारी वर्षा से प्रभावित केरल को तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री अर्जुन चरण सेठी द्वारा ओडिशा के भटक में केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्री नृपेन्द्र नाथ राय द्वारा पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

* पूर्वाह्न 11.52 बजे

6. सदस्यों द्वारा निवेदन

श्री शरद यादव ने देश में हाल ही में सृजित “एम्स” जैसे संस्थानों और अन्य संस्थानों में आवेदन के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति के मुद्दे को हल किए जाने की आवश्यकता के बारे में निवेदन किया।

निम्नलिखित सदस्य सहयोजित हुए:—

1. श्री शैलेन्द्र कुमार
2. श्रीमती ज्योति धुर्व
3. डॉ० अनूप कुमार साहा
4. श्री पुलिन बिहारी बास्के
5. श्रीमती सुषमा बाउरी
6. श्री महेन्द्र कुमार राय
7. श्री शक्ति मोहन मलिक

* पूर्वाह्न 11.07 बजे से अपराह्न 12.15 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

8. श्री रामशंकर राजभर
 9. श्री राकेश सचान
 10. श्री आर०के सिंह पटेल
 11. श्री विश्वमोहन कुमार
 12. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो
 13. श्री गणेश सिंह
 14. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट
 15. श्री अर्जुन मेघवाल
 16. डॉ किरीट पी० सोलंकी
 17. श्री वीरेन्द्र कश्यप
 18. प्रो० (डॉ०) राम शंकर
 19. श्री टी०के०एस० इलेंगोवन
 20. श्री पन्ना लाल पुनिया
 21. श्री अशोक कुमार रावत
 22. डॉ० रामचन्द्र डोम
 23. श्री वीरेन्द्र कुमार
 24. श्री रामसिंह राठवा
 25. श्री रतन सिंह
 26. श्री पी०के० बीजू
 27. श्री सोहन पोटई
 28. श्री सी०आर० पाटील
 29. श्री हंसराज गं० अहीर
 30. डॉ० संजीव गणेश नाईक
- श्री कपिल सिब्बल ने उत्तर दिया।
 श्री गुलाम नबी आजाद ने भी उत्तर दिया।

अपराह्न 12.15 बजे

7. सरकारी विधेयक —पारित

लिया गया समयः 3 घंटे 11 मिनट

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011

श्री पी० चिदम्बरम द्वारा 3 सितंबर, 2013 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री पी० चिदम्बरम ने अपना भाषण पुनः आरंभ किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री संजय निरूपम
2. श्री सौगत राय
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री टी०के०एस० इलेंगोवन

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 12.50 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

(निरंतर व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.01 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.30 बजे पुनः समवेत हुई।)

*अपराह्न 3.23 बजे

5. श्री बसुदेव आचार्य
6. श्री निशिकांत दुबे
7. श्री दारा सिंह चौहान
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री अनंत गंगाराम गीते
10. श्री एस० सेम्पलर्ड
11. श्री गुरुदास दासगुप्त

*अपराह्न 2.31 बजे से अपराह्न 3.21 बजे तक सदस्यों ने निवेदन किए।

12. डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह
13. श्री नामा नागेश्वर राव
14. श्री नरहरि महतो
15. डॉ थोकचोम मैन्या

श्री पी० चिम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 4 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 19 स्वीकृत हुए।

श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खंड 20 के संबंध में पेश किए गए संशोधन संख्या 14 पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम था: #पक्ष में 32; #विपक्ष में 202, तदनुसार, संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य द्वारा खंड 20 के संबंध में पेश किए गए संशोधन संख्या 11 पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत विभाजन का परिणाम था: #पक्ष में 31; #विपक्ष में 204, तदनुसार, संशोधन अस्वीकृत हुआ।

खंड 20 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 21 और 22 स्वीकृत हुए।

खंड 23 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

श्री पी० चिदम्बरम ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (I) को, जहाँ तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2011 की सरकारी संशोधन संख्या 7 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० चिदम्बरम द्वारा नए खंड 23क को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया गया ।

श्री पी० चिदम्बरम द्वारा पेश किए गए खंड 23क के संशोधन के संबंध में—श्री भर्तुहरि महताब द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 15 पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम था : #पक्ष में 40, #विपक्ष में 198, तदनुसार, संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

नए खंड 23क को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ ।

नया खंड 23क भी स्वीकृत हुआ ।

खंड 24 से 43 स्वीकृत हुए ।

खंड 44, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

खंड 45 से 50 स्वीकृत हुए ।

खंड 51, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

खंड 52 से 55 स्वीकृत हुए ।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ ।

श्री पी० चिदम्बरम ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित पारित किया जाए ।

प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ, और मत विभाजन का परिणाम था: #पक्ष में 174, #विपक्ष में 33, तदनुसार, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ ।

*8. कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री भर्तुहरि महताब ने कार्य-मंत्रणा समिति का 52वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया ।

#शुद्धि के अध्यधीन

*अपराह्न 4.49 बजे

अपराह्न 5.55 बजे

9. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय : 3 घंटे 41 मिनट

उत्तराखण्ड में प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत और पुनर्निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई और उपायों के बारे में रक्षा मंत्री द्वारा 6.8.2013 को दिए गए वक्तव्य पर 30 अगस्त, 2013 को श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा उठाए गए मुद्दे पर आगे चर्चा जारी रही:-

श्री सतपाल महाराज ने वाद-विवाद में भाग लिया:

सायं 6.56 बजे

10. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

सूचना का अधिकार (संशोधन) 2013

आवंटित समय : 2 घंटे

लिया गया समय : 6 मिनट

शेष समय : 1 घंटा 54 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव श्री वी॰ नारायणसामी द्वारा पेश किया गया।

उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 7.02 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा जारी रही:-

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री शैलेन्द्र कुमार
2. श्री जगदीश राणा
- *3. डॉ महेन्द्रसिंह पी॰ चौहान
- *4. श्री अर्जुन मेघवाल
5. श्री शरद यादव
6. प्रो॰ सौगत राय
7. श्रीमती जे॰ हेलन डेविडसन

*निम्नलिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

8. श्री शेख सैदुल हक
9. श्री भर्तृहरि महताब
- *10. श्रीमती प्रतिभा सिंह
11. डॉ संजीव गणेश नाईक
12. श्री सी० शिवासामी
13. श्री नामा नागेश्वर राव
14. श्री संजय सिंह चौहान
15. श्री प्रबोध पांडा
16. श्री जगदानन्द सिंह
17. श्री पी०डी० राय
18. श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह
19. श्री प्रदीप टप्पा
- *20. श्री एन० पीताम्बर कुरुप
- *21. श्री राजेन्द्र अग्रवाल
श्री सुशील कुमार शिंदे भी बोले
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन ने बाद विवाद का उत्तर दिया ।
चर्चा पूरी हुई ।

@रात्रि 10.24 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 5 सितम्बर, 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

एस० बाल शेखर,
महासचिव ।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए ।

@रात्रि 9.42 बजे से रात्रि 10.24 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए ।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 5 सितम्बर, 2013/14 भाद्रपद, 1935 (शक)

संख्या 334

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने शिक्षक दिवस के अवसर पर उल्लेख किया।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

- (1) राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय कैडेट कोर (संशोधन) नियम, 2013 जो 9 मार्च, 2013 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना संख्या कानूनी 13 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शनी वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 2013 जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या कानूनी 556(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 और व्यापार चिह्न (संशोधन) अधिनियम, 2010 की धारा 157 की उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 2071(अ) जो 8 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 जुलाई, 2013 को व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम, 2013 के सभी उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) व्यापार चिह्न (संशोधन) अधिनियम, 2010 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 2072(अ) जो 8 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 जुलाई, 2013 को व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम, 2010 के सभी उपबंधों के प्रवृत्त होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (4) और (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि 4 सितम्बर, 2013 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने 29 अगस्त, 2013 को लोक सभा द्वारा पारित भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक, 2013 को संशोधनों के साथ पारित किया और विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटा दिया कि संशोधनों पर लोक की सहमति की सूचना राज्य सभा को दी जाए।

4. राज्य सभा द्वारा यथासंशोधित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

भूमि अर्जन पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक, 2013

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित ‘उर्वरकों का उत्पादन, मांग तथा उपलब्धता और उसका वितरण’ के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन (2011-12) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

- (2) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा मंत्री ने मंत्रालय में राज्य मंत्री ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित ‘अनुदानों की मांगों (2012-13)’ के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*पूर्वाह्न 11.04 बजे

6. प्रस्ताव

श्री कमलनाथ ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा 4 सितम्बर, 2013 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 52वें प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मध्याह्न 12 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री एनएसवी० चित्तन द्वारा तमिलनाडु के डिंडीगुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनहानि और फसलों के नुकसान को रोकने हेतु मानव बस्तियों में हाथियों सहित जंगली जानवरों को घुसने से रोके जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री राजव्या सिरिसिल्ला द्वारा दिल्ली छावनी बोर्ड के कार्यकरण की जांच किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री पी० विश्वनाथन द्वारा कावेरी नदी को पालर नदी से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री एंटो एंटोनी द्वारा तटीय कटाव और बिजली गिरने से होने वाले नुकसान को प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री पन्ना लाल पुनिया द्वारा उत्तर प्रदेश में बाराबंकी-देवां रोड पर रेलवे समपारों पर रेल उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*पूर्वाह्न 11.04 बजे से पूर्वाह्न 11.59 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (6) श्री सुरेश कलमाडी द्वारा महाराष्ट्र के पुणे शहर के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत जल परियोजनाओं के लिए निधियों की दूसरी किश्त जारी किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री प्रेमचन्द्र गुड्ह द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा में लोगों के जीवन के लिये गंभीर खतरा पैदा करने वाले रासायनिक उद्योगों को बंद किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में ग्राहकों को डाकघर आवृत्ति जमाओं की परिपक्वता पर राशि के शीघ्र और बिना किसी कठिनाई के भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री रमेश विश्वनाथ काटटी द्वारा कर्नाटक के चिक्कोडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिये निधियों को स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) योगी आदित्यनाथ द्वारा एक पृथक पूर्वांचल राज्य बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी द्वारा रुपये और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री आरक्षे सिंह पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश के बांदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांवों और मजरों के विद्युतीकरण के लिये आवश्यक उपाए किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री गोरख प्रसाद जायसवाल द्वारा उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत मजरों के विद्युतीकरण के लिये अनुमोदन दिये जाने और इस स्कीम के अंतर्गत शामिल विशेषकर देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) डॉ पुलीन बिहारी बासके द्वारा पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संथाली विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा भारतीय खाद्य निगम को ओडिशा से अतिरिक्त चावल उठाने और राज्य में खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता बढ़ाने हेतु निर्देश दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री गजानन धूम बाबर द्वारा देश में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) डॉ तरुण मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल में परम्परागत वन निवासी और जनजातीय अधिनियम, 2005 का शीघ्र कार्यान्वयन किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.01 बजे

8. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) — 2013-14

लिया गया समय: 4 घंटे 13 मिनट

वर्ष 2013-14 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग सं° 1, 19, 33, 34, 51, 60, 67, 71, 82, 85, 91, 93, 102 और 105 पर चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनंत कुमार
2. श्री मधु गौड़ यासखी
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
4. श्री शरद यादव
5. डॉ बलीराम
6. प्रो॰ सौगत राय
7. श्री पी॰ करुणाकरन
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री आनंदराव अडसुल
10. डॉ एम॰ तम्बुदुरई
11. श्री प्रभुनाथ सिंह
12. श्री प्रबोध पांडा
13. श्री आर॰ थामराईसेलवन
14. श्रीमती पुतुल कुमारी
15. श्रीमती सुमित्रा महाजन
16. श्री एस॰एस॰ रामासुब्बू
17. श्री संजय सिंह चौहान

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे :—

1. श्री हंसराज गं० अहीर
2. श्री समीर भुजबल
3. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट
4. डॉ विजय कुमार पाण्डेय
5. श्री पन्ना लाल पुनिया
6. श्री ए० टी० नाना पाटील
7. डॉ महेन्द्रसिंह पी० चौहाण
8. श्री राम सिंह कस्वां
9. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल
10. श्रीमती दर्शना जरदोश
11. श्रीमती रमा देवी

श्री पी० चिदम्बरम ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2013-14 के लिए अनुदानों की सभी अनुपूरक मांगें सं० 1, 19, 33, 34, 51, 60, 67, 71, 82, 85, 91, 93, 102 और 105 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

**9. सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित
विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2013**

**10. सरकारी विधेयक—पारित
विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2013**

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए श्री पी० चिदम्बरम द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री पी० चिदम्बरम ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक पारित किया जाए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री यशवंत सिन्हा

2. प्र० सौगत राय

3. श्री गुरुदास दासगुप्त

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 4.15 बजे

11. सरकारी विधेयक—आस्थगित

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री के इस वक्तव्य पर कि विधेयक को स्थायी समिति को सौंपे जाने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, विधेयक पर विचार आस्थगित किया गया।

अपराह्न 4.16 बजे

12. सरकारी विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—सहमति दी गई

*वक्फ़ (संशोधन) विधेयक, 2010

लिया गया समय: 2 घंटे 48 मिनट

श्री के रहमान खान ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन

2. श्री मोहम्मद असरारुल हक

3. श्री शैलेन्द्र कुमार

4. डॉ० शफीकुर्रहमान बर्क

*विधेयक 7 मई, 2010 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया था तथा इस पर सहमति के लिए इसे राज्य सभा को प्रेषित किया गया था। राज्य सभा ने 19 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और 27 अगस्त, 2013 को इसे लोक सभा को लौटा दिया।

5. डॉ मोनाजिर हसन
6. श्री रुद्रमाधव राय
7. श्री चन्द्रकांत खैरे
8. डॉ संजीव गणेश नाईक
9. श्री पी. कुमार
10. श्री नामा नागेश्वर राव
11. श्री प्रभुनाथ सिंह
12. श्री ईटी. मोहम्मद बशीर
13. श्री जे.एम. आरुन रशीद
14. श्री असादूद्दीन ओवेसी
15. श्री सतपाल महाराज

श्री के॰ रहमान खान ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात्, अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की—

“माननीय सदस्यगण इससे पूर्व कि मैं संशोधनों को विचार के लिए लूँ, मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूँ कि राज्य सभा ने लोक सभा द्वारा यथापारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010 में संशोधन सं° 30, 35, 49, 56, 57, 60 और 62 द्वारा नए खंड 14क, 17क, 30क, 30ख, 42क, 43क, 47क और 48क जोड़े हैं।

इस संबंध में, मैं आपका ध्यान निदेश 31 की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जिसमें उपबंध है ‘कि जब किसी विधेयक में नए खंड के अंतःस्थापन के लिए सभा द्वारा कोई संशोधन स्वीकृत किया जाता है, अध्यक्ष यह प्रश्न रखेंगे कि विधेयक में नए खंड जोड़े जाएं।’

अतः मैं, संशोधन सं° 30, 35, 49, 56, 57, 60 और 62 को सभा में मतदान के लिए अलग-अलग रखने का प्रस्ताव करता हूँ। यदि सभा इन संशोधनों को स्वीकृत करती है, मैं इन संशोधनों द्वारा अंतःस्थापित किए जाने वाले नए खंड सभा में मतदान के लिए रखने का भी प्रस्ताव करूंगा।”

संशोधन सं° 1 से 7 स्वीकृत हुए।

संशोधन सं° 8 स्वीकृत हुआ।

संशोधन सं° 9 से 21 स्वीकृत हुए।

संशोधन सं° 22 स्वीकृत हुआ।

संशोधन सं° 23 और 24 स्वीकृत हुए।

संशोधन सं° 25 स्वीकृत हुआ।

संशोधन सं° 26 से 29 स्वीकृत हुए।

विधेयक में नया खंड 14क अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन सं° 30 स्वीकृत हुआ।

नया खंड 14क स्वीकृत हुआ और विधेयक में जोड़ा गया।

संशोधन सं° 31 से 34 स्वीकृत हुए।

विधेयक में नया खंड 17क अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन सं° 35 स्वीकृत हुआ।

नया खंड 17क स्वीकृत हुआ और विधेयक में जोड़ा गया।

संशोधन सं° 45 स्वीकृत हुआ।

संशोधन सं° 46 से 48 स्वीकृत हुए।

विधेयक में नए खंड 30क और 30ख अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन सं° 49 स्वीकृत हुआ।

नए खंड 30क और 30ख स्वीकृत हुए और विधेयक में जोड़े गए।

संशोधन सं° 50 स्वीकृत हुआ।

संशोधन सं° 51 से 55 स्वीकृत हुए।

विधेयक में नया खंड 42क अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन सं° 56 स्वीकृत हुआ।

नया खंड 42क स्वीकृत हुआ और विधेयक में जोड़ा गया।

विधेयक में नया खंड 43क अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन सं° 57 स्वीकृत हुआ।

नया खंड 43क स्वीकृत हुआ और विधेयक में जोड़ा गया।

संशोधन सं° 58 और 59 स्वीकृत हुए।

विधेयक में नया खंड 47क अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन सं° 60 स्वीकृत हुआ।

नया खंड 47क स्वीकृत हुआ और विधेयक में जोड़ा गया।

संशोधन सं° 61 स्वीकृत हुआ।

विधेयक में नया खंड 48क अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन सं° 62 स्वीकृत हुआ।

नया खंड 48क स्वीकृत हुआ और विधेयक में जोड़ा गया।

संशोधन सं° 63 और 64 स्वीकृत हुए।

श्री के०आर० रहमान खान ने प्रस्ताव पेश किया कि लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन सं० 1 से 64 पर सहमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति दी गई।

सायं 7.11 बजे

13. सरकारी विधेयक पर राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—सहमति दी गई

*भूमि अर्जन, युनस्थापन और युनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक, 2013

श्री जयराम रमेश ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संशोधन सं० 1 से 4 स्वीकृत हुए।

श्री जयराम रमेश ने प्रस्ताव पेश किया कि लोक सभा द्वारा यथापारित विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन सं० 1 से 4 पर सहमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और संशोधनों पर सहमति दी गई।

सायं 7.16 बजे

14. सरकारी विधेयक—विचाराधीन

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012

आबंटित समय : 4 घंटे

लिया गया समय : 44 मिनट

शेष समय : 3 घंटे 16 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव डा० गिरिजा व्यास द्वारा पेश किया गया। निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री शैलेन्द्र कुमार
2. श्री के० जयप्रकाश हेगडे
3. श्री अनंत गंगाराम गीते (भाषण अपूर्ण)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*विधेयक लोक सभा द्वारा 29 अगस्त, 2013 को पारित किया गया था तथा इस पर सहमति के लिए इसे राज्य सभा को प्रेषित किया गया था। राज्य सभा ने 4 सितम्बर, 2013 को हुई अपनी बैठक में विधेयक को संशोधनों के साथ पारित किया और 5 सितम्बर, 2013 को इसे लोक सभा को लौटा दिया।

@15. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री यशवंत सिंहा ने चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र के कथित कब्जे के बारे में निवेदन किया।

श्री कमलनाथ ने उत्तर दिया।

#रात्रि 9.41 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2013 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

@सायं 7.06 बजे

#रात्रि 8.00 बजे से रात्रि 9.41 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार—भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2013/15 भाद्रपद, 1935 (शक)

संख्या 335

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने पहली लोक सभा के सदस्य श्री भगवान दत्ता शास्त्री तथा पांचर्वी, नौवी और दसर्वी लोक सभा के सदस्य श्री हरि किशोर सिंह के निधन के बारे में उल्लेख किया।
तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गए:—

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 92 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) संशोधन विनियम, 2013 जो 12 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 5/15015/30/2012 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2013 जो 30 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० ए-21021/01/2010-एडमिन० एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

- *(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—**
- (एक) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2013, जो 6 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 80 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2013, जो 28 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 81 में प्रकाशित हुए थे।
 - (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (4) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 के खण्ड 31(2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय पहला विनियम, 2013, जो 7 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० बी I-321/60/11 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय पहला नियम, 2013, जो 7 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० सं० बी I-321/60/11 में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2012, जो 20 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 136(अ) में प्रकाशित हुए थे। - (5) उपर्युक्त मद संख्या (4) के (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (6) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—
 - (एक) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ख' (योधक परा-चिकित्सकीय पद) भर्ती नियम, 2011, जो 12 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 308 में प्रकाशित हुए थे।

*अपराह्न 12.52 बजे

- (दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ग' (योधक परा-चिकित्सकीय पद) भर्ती नियम, 2011, जो 30 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 220 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, निरीक्षक (वरिष्ठ ग्रंथालय और सूचना सहायक), उप-निरीक्षक (ग्रंथालय और सूचना सहायक), हेड कांस्टेबल (ग्रंथालय लिपिक) और कांस्टेबल (ग्रंथालय परिचारक) भर्ती नियम, 2011, जो 9 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 608(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ग' (योधक परा-चिकित्सीय पद) भर्ती नियम, 2011, जो 30 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 219 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय) समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2011, जो 30 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 652(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (निजी सचिव) समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2011, जो 30 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 653(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'क' (सामान्य ड्यूटी) अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 2012, जो 18 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 209 में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'क' (सामान्य ड्यूटी) अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 2012, जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 22(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (7) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 511(अ) जो 29 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 30 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या सांकाण्ठि 408(अ) को, सिवाय ऐसे निरस्तीकरण से पूर्व की गई बातों अथवा किए जाने के लिए लोप की गई बातों को छोड़कर, निरस्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) (2013 का संख्यांक 19) —अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां।
 - (दो) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2013 का संख्यांक 21) अनुपालन लेखापरीक्षा—भारत में प्रतिकारात्मक बनरोपण, पर्यावरण और बन मंत्रालय।
 - (तीन) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (2013 का संख्यांक 22) अनुपालन लेखापरीक्षा—वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मंत्रालय/विभाग।
- (9) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी अथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) सांकाण्डि 578(अ) जो 29 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 440(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (दो) सांकाण्डि 579(अ) जो 29 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 441(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (तीन) धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2013, जो 27 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सांकाण्डि 576(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (10) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—
- (एक) सांकाण्डि 335(अ) जो 23 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उत्पादन कारखानों से उत्पाद शुल्क वाले ऐसे सभी माल को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के प्रस्थान कक्ष या आगमन कक्ष के गोदाम या शुल्क मुक्त दुकानों के खुदरा बिक्री केन्द्रों जिन्हें सीमा-शुल्क अधिनियम,

1962 की धारा 57 या 58 के अंतर्गत ‘वेयरहाउस’ के रूप में नियत या लाइसेंस दिया गया है, में रखा जाना है तथा उनको भारत से बाहर जाने वाले यात्रियों या बाहर से आने वाले चालक दल के सदस्यों को विदेशी मुद्रा के एवज में बेचा जाना है, हटाए जाने की सुविधा प्रदान करता है तथा एक व्याख्यातमक ज्ञापन।

- (दो) सांकाणि 336(अ) जो 23 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 38/2001-के०उ०श० (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा जिसमें 14 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या सांकाणि 545(अ) और 14 अगस्त, 2013 की सांकाणि 553(अ) का शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) दिया गया है तथा एक व्याख्यातमक ज्ञापन।
- (तीन) सांकाणि 337(अ) जो 23 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-के०उ०श० (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा जिसमें 14 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या सांकाणि 546(अ) और 14 अगस्त, 2013 की सांकाणि 554(अ) का शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) दिया गया है तथा एक व्याख्यातमक ज्ञापन।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:—

- *(एक) कि 5 सितंबर, 2013 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार संविधान (120वां संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया।
- *(दो) कि 5 सितंबर, 2013 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा 27 अगस्त, 2013 को यथापारित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बार्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।
- #(तीन) कि 6 सितंबर, 2013 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा 4 सितम्बर, 2013 को यथापारित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

*अपराह्न 3.01 बजे

#सायं 6.45 बजे

@(चार) कि 6 सितंबर, 2013 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा 24 अगस्त, 2013 को यथापारित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2013 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

*4. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक—सभा पटल पर रखा गया

संविधान (120वां संशोधन) विधेयक, 2013

5. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री फ्रांसिस्को सारदीना ने प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:—

- (1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से संबंधित “भारत में उच्चतर शिक्षा” विषय के बारे में 25वां प्रतिवेदन।
- (2) महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित “शिशुओं और माताओं में कृपोषण” विषय के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

6. विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.सी. चाको ने विशेषाधिकार समिति (15वीं लोक सभा) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. रेल अभिसमय समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन चरण सेठी ने “पिछड़े क्षेत्रों के विकास में रेलवे की भागीदारी” के बारे में रेल अभिसमय समिति (2009) के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 8वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) प्रस्तुत किया।

8. रेल अभिसमय समिति का विवरण

श्री अर्जुन चरण सेठी “रेल मंत्रालय की चल रही लम्बित परियोजनाएं—चेरथला, केरल स्थित ऑटोकास्ट फैक्टरी को प्रारंभ किया जाना—एक मामला अध्ययन” के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाही के संबंध में रेल अभिसमय समिति (2009) के 7वें प्रतिवेदन के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम रूप से की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

@रात्रि 8.38 बजे

*अपराह्न 3.01 बजे

9. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

राजकुमारी रत्ना सिंह ने ‘पुलिस बल में महिलाओं की कार्य दशा’ विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2012–2013) का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. चाल्स डिएस ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 257वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण लोक सभा पूर्वाहन 11.08 बजे स्थगित हुई और पूर्वाहन 11.20 बजे पुनः समवेत हुई।)

*पूर्वाहन 11.20 बजे

11. सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) सर्वश्री यशवंत सिंहा और मुलायम सिंह ने चीन द्वारा भारतीय भूभाग पर कथित रूप से कब्जा किए जाने के बारे में निवेदन किया।

श्री कमल नाथ ने उत्तर दिया।

(दो) श्री प्रभुनाथ सिंह ने भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किए जाने के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री रत्न सिंह, सी० शिवासामी, बद्रीराम जाखड़, गोपाल सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, देवजी एम० पटेल, सैयद शाहनवाज हुसैन, पन्ना लाल पुनिया, गणेश सिंह, कमल किशोर कमांडो और डॉ० संजय जायसवाल भी सहयोजित हुए।

श्री जयराम रमेश ने उत्तर दिया।

(तीन) श्री शरद यादव ने भारतीय भाषाओं को हतोत्साहित करने के कथित दृष्ट्यांत जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के प्रारूपों में संशोधन करके किया है जिससे सिविल सेवा प्रत्याशियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, के बारे में निवेदन किया।

सर्वश्री पन्ना लाल पुनिया, शैलेन्द्र कुमार, अशोक अर्गल, हंसराज गं० अहीर, सोहन पोटाई, अर्जुन मेघवाल, राम सिंह राठवा, देवजी एम० पटेल श्रीमती रमा देवी और श्रीमती कमला देवी पटेल सहयोजित हुए।

श्री जयराम रमेश ने उत्तर दिया।

*पूर्वाहन 11.20 बजे से अपराहन 12.08 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 12.09 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे—

- (1) श्री केंपी० धनपालन द्वारा केरल के एर्नाकुलम जिले में पुथेनकूज में सेंट्रल वेयरहाउसिंग के प्रस्तावित उच्च प्रौद्योगिकी युक्त गोदाम की स्थापना के कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्रीमती श्रुति चौधरी द्वारा हरियाणा के भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना के अंतर्गत सम्पर्क सङ्करणों के निर्माण के लिये धनराशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री एम०आई० शानवास द्वारा राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य से ऊंची दर पर औषधियां बेचने वाली फार्मा कंपनियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) डॉ० विनय कुमार पाण्डेय द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन को सुचारू बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री आर० ध्रुवनारायण द्वारा कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कावेरी और कबिनी नदियों के तटबंधों को मजबूत करने के लिये धनराशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान किये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री मनसुखभाई डी० वसावा द्वारा गुजरात के भरुच और नर्मदा जिलों के बनों में सूखे बांस को काटने की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला द्वारा मध्य प्रदेश के छतरपुर में महाराज छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 को शीघ्र राष्ट्रपति की अनुमति दिये जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 12.10 बजे

13. सरकारी विधेयक — पारित

(एक) पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन), विधेयक, 2012

लिया गया समयः 4 घण्टे, 11 मिनट

डॉ गिरिजा व्यास द्वारा 5 सितंबर, 2013 को पेश किए गए विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री आनंद गंगाराम गीते (अपना भाषण पुनः आरंभ किया)।
2. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन
- @3. श्रीमती मीना सिंह

अपराह्न 12.53 बजे

14. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन श्री श्याम शरण की रिपोर्ट के बारे में एक वक्तव्य दिया।

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 1.01 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुनः समवेत हुई।)

(निरन्तर व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 2.05 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

सरकारी विधेयक पर चर्चा जारी रही

- *4. श्री एन० पीताम्बर कुरुप
- *5. श्री रमाशंकर राजभर
- *6. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट
- *7. डॉ (श्रीमती) बोचा झाँसी लक्ष्मी
- *8. श्री जेएम० आरुन रशीद
- *9. डॉ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

@सभा के पुनःसमवेत होने के पश्चात् उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *10. श्रीमती जयश्रीबेन के० पटेल
- 11. श्री सी० राजेन्द्रन
- 12. श्री दारा सिंह चौहान
- *13. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
- *14. श्री अशोक अर्गाल
- *15. श्री अर्जुन मेघवाल
- *16. डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण
- 17. डॉ० रत्ना डे नाग
- *18. श्री वीरेन्द्र कश्यप
- 19. श्री आधि शंकर
- 20. श्री महेन्द्र कुमार राय
- 21. डॉ० संजीव गणेश नाईक
- *22. श्री जयंत चौधरी
- 23. श्री भर्तुहरि महताब
- *24. श्री निखिल कुमार चौधरी
- 25. श्री प्रबोध पाण्डा
- *26. श्रीमती रमा देवी
- 27. श्री नामा नागेश्वर राव
- *28. श्री एम० कृष्णास्वामी
- *29. श्री सतपाल महाराज
- 30. श्री जगदानन्द सिंह
- 31. श्री गणेश सिंह
- *32. श्री जगदम्बिका पाल
- 33. श्री संजय निरूपम

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- *34. श्री पन्ना लाल पुनिया
- 35. श्री नृपेन्द्र नाथ राय
- *36. श्री एस० गांधीसेलवन
- 37. श्री असादुद्दीन ओवेसी
- 38. डॉ० तरुण मंडल
- 39. श्रीमती पुतुल कुमारी
- *40. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
- *41. श्री आर० थामराई सेलवन

डॉ० गिरिजा व्यास ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

डॉ० गिरिजा व्यास ने नियम 388 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:—

“कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खण्ड (स) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक 2012 की सरकारी संशोधन संख्या 41 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 5क को अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 5क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 6 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

*लिखित भाषण सभा पट्टल पर रखे गए।

खंड 7 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 8 और 9, स्वीकृत हुए ।
 खंड 10 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 11 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 12 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 13 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 14 से 17 यथासंशोधित, स्वीकृत हुए ।
 खंड 18 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 19 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 20 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 21 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 22 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 23 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 24 और 25 स्वीकृत हुए ।
 खंड 26 छोड़ दिया गया ।
 खंड 27 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 28 छोड़ दिया गया ।
 खंड 29 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 30 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 31 से 33 यथासंशोधित, स्वीकृत हुए ।
 खंड 34 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 35 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 36 छोड़ दिया गया ।
 खंड 37 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 38 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 39 स्वीकृत हुआ ।
 खंड 40 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

खंड 41 स्वीकृत हुआ ।

पहली अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई ।

दूसरी अनुसूची छोड़ दी गई ।

तीसरी अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई ।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ ।

डॉ गिरिजा व्यास ने प्रस्ताव किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया ।

अपराह्न 5.41 बजे

(दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013

लिया गया समय : 1 घण्टा 04 मिनट

श्री अजित सिंह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया ।

निम्नलिखित सदस्यों ने बाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अनंत कुमार
- *2. श्री सतपाल महाराज
3. श्री शैलेन्द्र कुमार
- *4. श्री आर० थामराई सेलवन
5. श्री गोरखनाथ पाण्डेय
6. श्री प्रौ० सौगत राय
- *7. डॉ किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
8. श्री सुशील कुमार सिंह
9. श्री टी०आर० बालू
- *10. श्री अर्जुन मेघवाल

*लिखित भाषण सभा पट्टल पर रखे गए ।

11. श्री शेख सैदुल हक
- *12. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
- *13. डॉ महेन्द्रसिंह पी० चौहाण
- *14. श्रीमती जयश्रीबेन के० पटेल
15. श्री एस० सेम्मलई
16. श्री नामा नागेश्वर राव
- *17. श्री अशोक अर्गल
18. श्री एस० के० बैसीमुथियारी
- *19. श्री जगदम्बिका पाल
- *20. डॉ विनय कमार 'विन्दु' पाण्डेय

श्री अजित सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 48 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अजित सिंह ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

सायं 6.45 बजे

(तीन) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012

लिया गया समय : 1 घण्टा 30 मिनट

कुमारी सैलजा द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:—

1. श्री अर्जुन मेघवाल
- *2. श्री सतपाल महाराज
- *3. श्री भर्तृहरि महताब

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

4. श्री राजनाथ सिंह
- *5. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
- *6. श्रीपती जयश्रीबेन के० पटेल
7. श्री शैलेन्द्र कुमार
- *8. श्री भक्त चरण दास
- *9. श्री वीरेन्द्र कश्यप
10. डॉ० बलीराम
- *11. डॉ० महेन्द्रसिंह पी० चौहाण
- *12. डॉ० रमाशंकर
13. श्री महेश्वर हजारी
14. डॉ० रत्ना डे नाग
15. श्री अधि शंकर
16. श्रीमती सुस्मिता बाऊरी
- *17. श्री जगदम्बिका पाल
18. श्री मोहन जेना
19. डॉ० संजीव गणेश नाईक
20. श्री एम० आनंदन
- *21. डॉ० किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी
22. श्री नामा नागेश्वर राव
- *23. श्री पन्नालाल पुनिया
24. श्री प्रबोध पाण्डा
25. श्री जगदानंद सिंह

कुमारी सैलजा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

खंड 3 स्वीकृत हुआ ।
 खंड 4 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 5 स्वीकृत हुआ ।
 खंड 6 स्वीकृत हुआ ।
 खंड 7 स्वीकृत हुआ ।
 खंड 8 से 10 स्वीकृत हुए ।
 खंड 11 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 12 स्वीकृत हुआ ।
 खंड 13 स्वीकृत हुआ ।
 खंड 15 से 17 स्वीकृत हुए ।
 खंड 18 स्वीकृत हुआ ।
 खंड 19 स्वीकृत हुआ ।
 खंड 20 स्वीकृत हुआ ।
 खंड 21 से 23 स्वीकृत हुए ।
 खंड 24 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 25 स्वीकृत हुआ ।
 खंड 26 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 27 और 28 स्वीकृत हुए ।
 खंड 29 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 30 से 35 स्वीकृत हुए ।
 खंड 36 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 खंड 37 से 39 स्वीकृत हुए ।
 खंड 1 यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ ।
 उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए ।

कुमारी सैलजा ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया गया।

रात्रि 8.14 बजे

(चार) संसद (निरहता निवारण) संशोधन विधेयक, 2013 राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय: 2 मिनट

श्री कपिल सिंबल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री कपिल सिंबल ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

रात्रि 8.16 बजे

(पांच) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय: 23 मिनट

श्री कपिल सिंबल द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री कपिल सिंबल ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक पारित किया जाए।

निम्नलिखित सदस्य बोले:—

1. श्री भर्तृहरि महताब
2. श्री कीर्ति आजाद

3. श्री पी० करुणाकरन
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री टी०के०एस० इलेंगोवन
6. श्री शैलेन्द्र कुमार
7. श्री दिनेश त्रिवेदी
8. श्री दारा सिंह चौहान

श्री कपिल सिब्बल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित किया गया।

रात्रि 8.39 बजे

15. सदस्यों द्वारा निवेदन

निम्नलिखित सदस्यों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के चेयरमैन श्री श्याम शरण की रिपोर्ट के बारे में रक्षा मंत्री के वक्तव्य के संबंध में निवेदन किए।

1. श्री यशवंत सिन्हा
2. श्री मुलायम सिंह यादव
3. प्रो० सौगत राय
4. श्री दारा सिंह चौहान
5. डॉ० एम० तम्बिटुर्री
6. श्री नामा नागेश्वर राव
7. श्री प्रबोध पांडा
8. श्रीमती विजया चक्रवर्ती
9. डॉ० थोकचोम मैन्या
10. श्री शैलेन्द्र कुमार
11. श्री निनोंग ईरोंग
12. श्री पी० करुणाकरन

श्री ए०के० एंटनी ने उत्तर दिया।

रात्रि 9.59 बजे

16. आधे घंटे की चर्चा

श्री शैलेन्द्र कुमार ने “फसल के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा” के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 241 के संबंध में 27.08.2013 को कृषि मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से उत्पन्न बिन्दुओं पर चर्चा उठाई।

श्री तारीक अनवर ने चर्चा का उत्तर दिया।

रात्रि 10.29 बजे

17. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

रात्रि 10.30 बजे

(लोक सभा रात्रि 10.30 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)

एस० बाल शेखर,
महासचिव।

दिनांक 5.9.2013 के
समाचार—भाग एक
संख्या 334 का
शुद्धिपत्र

पृष्ठ संख्या 8 में, क्रम सं० 5. डॉ मुनाजिर हसन के पश्चात क्रम सं० 6. श्री शेख सैदुल हक जोड़ा जाए।